

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

(सिविल रिट क्षेत्राधिकार)

रिट याचिका (एस) संख्या 6, 2017

सुनील टुडू, पिता- स्वर्गीय लक्ष्मण टुडू, ग्राम-आसनबोनी, डाकघर- मुराठाकुरा, डाकघर- गुराबंडा, जिला-पूर्व-सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, डाकघर- जगरनाथपुर, जिला-रांची
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... ... उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 748/2016

1. रिकेश कुमार यादव, पिता- कपिलदेव गोप, निवासी माडा कॉलोनी, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
2. मनोज कुमार यादव, पिता- भोला नाथ सिंह, निवासी मोहन बाजार, डाकघर- पाथरडीह, थाना-सुदामडीह, जिला-धनबाद, झारखंड

3. बब्लू कुमार खानी, पिता- गोपाल खानी, निवासी पाथरडीह कोलवास्की, डाकघर- पाथरडीह, जिला-धनबाद, झारखंड
4. अमित कुमार साव, पिता- नंद किशोर साव, निवासी-शिमला नगर धैया, डाकघर- आईएसएम, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
5. दुर्गा चरण महतो, पिता- कालेश्वर महतो, निवासी अरैल गड़िया बस्ती, डाकघर- कुसुंडा, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद, झारखंड
6. अजय कुमार, पिता- कामेश्वर प्रसाद, निवासी-गोधर 15 नंबर डाकघर- कुसुंडा, थाना-केंदुआडीह, जिला-धनबाद, झारखंड
7. मनोज कुमार तिवारी, पिता- गोधर विमलेश तिवारी, निवासी बैंक मोड़, डाकघर- धनबाद, थाना-बैंक मोड़, जिला-धनबाद, झारखंड
8. शमशेर अंसारी, पिता- खलील अंसारी, निवासी नुनीडीह बड़की, डाकघर- जितपुर, थाना-जोरा पोखर, जिला -धनबाद, झारखंड
9. अमित कुमार सिंह, पिता- सुबोध प्रसाद सिंह, निवासी प्रेम चंद नगर, डाकघर एवं थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
10. विजय कुमार महतो, पिता- केशो महतो, निवासी भौरा नं.12, डाकघर- भौरा नं.12, थाना-भौरा, थाना-जोरापोखर, जिला-धनबाद, झारखंड
11. अनिल कुमार यादव, पिता- महादेव प्रसाद यादव, निवासी मनईटांड, डाकघर एवं थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
12. उमेश कुमार दुबे, पिता- त्रिवेणी दुबे, निवासी धनुआडीह, डाकघर- झरिया, थाना-धनुआडीह ओपी, जिला-धनबाद, झारखंड
13. पंकज कुमार, पिता- राज किशोर, निवासी सहकारी कॉलोनी, डाकघर- जामाडोबा, थाना-जोरापोखर, जिला-धनबाद, झारखंड
14. गणेश प्रसाद गोप, पिता- शत्रुधन गोप, निवासी हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
15. अमित कुमार भट्ट, पिता- नकुल चंद्र भट्ट, निवासी मधुबन कुजामा बस्ती, डाकघर-धनबाद लोदना, थाना-धनबाद तिसरा, जिला-धनबाद, झारखंड
16. शंकर कुमार साव, पिता- भागवत साव, निवासी-न्यू कॉलोनी वारफ कल, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद, झारखंड

17. धर्मवीर कुमार, पिता- गणेश सिंह, निवासी-दक्षिण कुजामा कोलियारी, डाकघर- लोदना, थाना -तिसरा, जिला-धनबाद, झारखंड
18. रंजय कुमार सिंह, पिता- ददन सिंह, निवासी तेतुलमारी (डाकघर के पास), डाकघर- सिजुआ (चंदौर), थाना-तेतुलमारी, जिला-धनबाद, झारखंड
19. सुबोध कुमार साव, पिता- स्वर्गीय जगदीश प्रसाद साव, निवासी चौथायी कुल्ही, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद, झारखंड
20. राजेंद्र कुमार, पिता- त्रिभुवन यादव, निवासी भगत काठ गोला भागा, डाकघर- भागा, थाना-झरिया, जिला-धनबाद, झारखंड
21. आरिफ कमाल, पिता- मोहम्मद कमाल, निवासी भौरा नंबर 7, डाकघर- भौरा, थाना- जोरापोखर, जिला-धनबाद, झारखंड
22. राज कुमार गोप, पिता- वकील गोप, निवासी विनोद नगर, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला -धनबाद, झारखंड
23. मुकेश कुमार महतो, पिता- स्व. रामचंद्र महतो, निवासी-बोरागढ़, डाकघर- भागाबांध, थाना-झरिया, जिला-धनबाद, झारखंड
24. चंदन कुमार साव, पिता- शत्रुघ्न साव, निवासी कच्ची बलिहारी, डाकघर- कुसुंडा, थाना- पुटकी, जिला-धनबाद, झारखंड
25. अरविंद सिंह, पिता- राम सुरिध सिंह, निवासी पुटकी कच्ची बलिहारी, डाकघर- कुसुंडा, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद, झारखंड
26. मोहम्मद अब्बास आलम, पिता- मोहम्मद अब्दुल रज्जाक, निवासी ढांगी, डाकघर- रोवाम, थाना- तोपचांची, जिला-धनबाद, झारखंड
27. अनुप कुमार, पिता- कामदेव कुहार, निवासी लोदना बाई क्वार्टर, डाकघर- लोदना, थाना- तिसरा, जिला-धनबाद, झारखंड
28. लक्ष्मण कुमार मालाकार, पिता- अर्जुन मालाकार, निवासी लोदना नंबर 12, डाकघर- लोदना, थाना-लोदना तिसरा, जिला-धनबाद, झारखंड
29. मोहम्मद नौशाद अंसारी, पिता- मोहम्मद शमीम अंसारी, निवासी रमजानपुर जामाडोबा, डाकघर- भागा, थाना-जोरापोखर, जिला-धनबाद, झारखंड
30. टेकलाल महतो, पिता- जानू महतो, निवासी पदर पाला महतो टोला, डाकघर- बी। पॉलिटेक्निक, थाना-बैंक मोड़, जिला-धनबाद, झारखंड

31. मनोज कुमार पांडे, पिता- शिव कुमार पांडे, निवासी कुस्तौर, डाकघर- कुस्तौर, थाना- केंदुआडीह, जिला-धनबाद, झारखंड
32. राजेश कुमार, पिता-धनबाद, झारखंड प्रकाश विश्वकर्मा, निवासी डिगवाडीह नंबर 10 न्यू कॉलोनी, डाकघर- जेल गोरा, थाना-जोरा पोखर, जिला-धनबाद, झारखंड
33. अजीत गोराई, पिता- सतीश चंद्र गोराई, निवासी रंगामाटी, डाकघर- सिंदरी, थाना- बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखंड
34. मोहम्मद अजीज अंसारी, पिता- मोहम्मद इसराइल अंसारी, निवासी कुर्मीडीह, डाकघर- कल्याणपुर, थाना-बरवाधा, जिला-धनबाद, झारखंड
35. मनोज कुमार मंडल, पिता- प्रमोद मंडल, निवासी धैया, डाकघर एवं थाना-धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड
36. छोटू राय, पिता- मुक्तेश्वर राय, निवासी रंगामाटी पानी टंकी, डाकघर- सिंदरी, थाना- बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखंड
37. दुलाल चंद्र दत्ता, पिता- गोपाल चंद्र दत्ता, निवासी रंगामाटी (राजाबस्ती), डाकघर- सिंदरी, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखंड
38. प्रदीप कुमार महतो, पिता- गौर महतो, निवासी मुहुलबनी/49, डाकघर- भौरा, थाना- सुदामडीह, जिला-धनबाद, झारखंड
39. शंभु कुमार यादव, पिता- श्री केदार यादव, निवासी राज ग्राउंड, डाकघर एवं थाना-झरिया, जिला-धनबाद, झारखंड
40. मोहम्मद रज्जाक अंसारी, पिता- मोहम्मद इसराइल अंसारी, निवासी राहुर गोरा धैया, डाकघर- नाग नगर, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
41. बीरेंद्र महतो, पिता- संतु महतो, निवासी पाडर पाला, डाकघर- बैंक मोड़, थाना-धनबाद बैंक मोड़, जिला-धनबाद, झारखंड
42. कमलेश कुमार वर्मा, पिता- विनय कुमार वर्मा, निवासी बेकार बांध, डाकघर एवं थाना- धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
43. अमित कुमार, पिता- स्वर्गीय अवध किशोर सिंह, निवासी विनोद नगर, डाकघर एवं थाना - धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... ..प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 872 / 2016

1. गोरख राम, पिता- सीता राम, निवासी लॉ कॉलोनी के पास अंबेडकर नगर, डाकघर और थाना-धनबाद जिला-धनबाद, झारखंड
2. अविनाश दास, पिता-श्री कृष्ण रोही दास, निवासी-तोपचांची, डाकघर एवं थाना- तोपचांची, जिला-धनबाद, झारखंड
3. इरफान हुसैन, पिता- इंसान अंसारी, निवासी बाबूडीह कॉलोनी, डाकघर- मुनीडीह, थाना-पुटकी जिला-धनबाद झारखंड
4. शकील अहमद, पिता-मो. हुसैन अंसारी, निवासी बड़की-बस्ती, डाकघर एवं थाना-महुदा, जिला-धनबाद, झारखंड
5. नवलेश कुमार, पिता- रामजनय प्रसाद सिंह, निवासी- पुलिस लाइन डाकघर एवं थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
6. अनुज प्रसाद दासौंडीह, पिता- राम प्रसाद दासौंडीह, निवासी सी.एम.आर.आई., डाकघर-सी.एम. आर. आई., थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, जिला-धनबाद झारखंड
7. नीरज कुमार, पिता- भोला प्रसाद, निवासी-भिस्तीपाड़ा डाकघर एवं थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड

8. पंकज कुमार सिंह, पिता- गोबिंद सिंह, निवासी जयनगर, डाकघर- मुर्दाडीह, थाना- बरवाअड्डा, जिला-धनबाद, झारखंड
9. मोहम्मद निज़ामुद्दीन, पिता- मोहम्मद सिराज मियां, निवासी कदैयान, डाकघर- केशका, थाना-टुंडी, जिला-धनबाद, झारखंड
10. कमलेश कुमार, पिता- गंगाधर साव, निवासी ठाकुर कुल्ही, पो-धैया आईएसएम, थाना- धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
11. शिव शक्ति कुमार, पिता- कन्हैया लाल सेठ, निवासी विनोद नगर, डाकघर एवं थाना- धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
12. शिवजी पासवान, पिता- मथुरा पासवान, निवासी वास्ता कोल, डाकघर और थाना-धनसार, जिला-धनबाद, झारखंड
13. पवन कुमार रे, पिता- काशी रे, निवासी टाटा सिजुआ 6 नंबर, डाकघर- भेला टांड, थाना- जोगता, जिला-धनबाद, झारखंड
14. रिंकू कुमारी, पत्नी विजय प्रसाद, निवासी प्रेम नगर, डाकघर- कुसुंडा, थाना-पुटकी, जिला- धनबाद, झारखंड
15. अमिता कुमारी, पिता- सुरेश प्रसाद चौरसिया, निवासी लहबनी धैया, डाकघर- आईएसएम, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
16. बिनोद कुमार रजवार, पिता- किस्तु रजवार, निवासी भगेडीह, डाकघर- पोस्ट एवं थाना- टुंडी, जिला-धनबाद, झारखंड
17. बब्लू मंडल, पिता- किशोरी मंडल, निवासी पांडे बेड़ा, डाकघर- झरिया, थाना-झरिया तिसरा, जिला-धनबाद, झारखंड
18. सुलेखा कुमारी, पिता- आनंदी पंडित, निवासी चिरगोड़ा, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड
19. शंभू कुमार साव, पिता- अयोध्या प्रसाद साव, निवासी गोबिंदपुर, डाकघर एवं थाना- गोबिंदपुर, जिला-धनबाद, झारखंड
20. अखिलेश कुमार गोप, पिता- नटवर गोप, निवासी धारकिरो, डाकघर- रोवाम, थाना- कतराश (ओ.पी. राजगंज), जिला-धनबाद, झारखंड
21. अजय कुमार सिंह, पिता-नागेश्वर सिंह, निवासी- न्यू कॉलोनी नुनुडीह नंबर 2, डाकघर- जीतपुर, थाना-जोरापोखर, जिला-धनबाद, झारखंड

22. हीरा पासवान, पिता- रामाधीन पासवान, निवासी- जयरामपुर कोलियरी, डाकघर- जीनागोश, थाना-तिसरा, जिला-धनबाद, झारखंड
23. रामू महतो, पिता- मतल महतो, निवासी-गरेरिया बस्ती, डाकघर- बंसकोड़ा थाना-केंदुआडीह, जिला-धनबाद, झारखंड
24. रमन कुमार चौबे, पिता- स्वर्गीय रामवचन चौबे, निवासी- पुटकी कच्ची कोलियारी, डाकघर- कुसुंडा, थाना-पुटकी, जिला-धनबाद, झारखंड
25. पानू महतो, पिता- सुम्मेर महतो, निवासी तारटांड, डाकघर- केशका, थाना-टुंडी, जिला-धनबाद, झारखंड
26. दिनेश कुमार सिंह, पिता- केशवर सिंह, निवासी लहवानी धैया, डाकघर- आईएसएम थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड
27. वकील महतो, पिता- मुकुंद मुरारी महतो, निवासी सरायढेला, डाकघर एवं थाना- सरायढेला, जिला-धनबाद, झारखंड
28. निर्भय कुमार रजक, पिता- राजेश्वर रजक, निवासी वृंदावन कॉलोनी, डाकघर- केजी आश्रम, थाना-सरायढेला, जिला-धनबाद, झारखंड
29. गुड्डु कुमार ठाकुर, पिता- सतीश ठाकुर, निवासी बारामुडी, डाकघर- बी पॉलिटेक्निक थाना और जिला धनबाद झारखंड
30. उमा कांत वर्मा, पिता- सीता राम वर्मा, निवासी लोदना नंबर 12, डाकघर लोदना, थाना-तिसरा, जिला- धनबाद, झारखण्ड
31. दीपू कुमार, पिता- परभुनाथ राम, निवासी - सरायढेला जगजीवन नगर, डाकघर एवं थाना- सरायढेला, जिला - धनबाद, झारखंड।
32. विक्रम कुमार राऊत, पिता-सुरेन्द्र राऊत, निवासी-सीएमपीएम डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड।
33. सुनीता कुमारी, पिता-शैनी मंडल, निवासी-आकाश किनारी नं. 4, डाकघर एवं थाना-कतरासगढ़, जिला-धनबाद, झारखंड।
34. शशिकला कुमारी, पिता- स्वर्गीय देवनंदन महतो, निवासी-कोलानी पलानी, डाकघर- पलानी, थाना- बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखंड।
35. मुकेश कुमार सिंह, पिता-गणपति सिंह, निवासी-हीरापुर, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड।

36. रमेश कुमार सिंह, पिता-मृग नाथ सिंह, निवासी-आनंद नगर लोहार कुल्ही, डाकघर- आइएसएम, थाना- सरायढेला, जिला-धनबाद, झारखंड।
37. सुशील कुमार यादव, पिता- धर्मदेव यादव, निवासी-हिन्दू मिशन रोड, हीरापुर, डाकघर- धनबाद, झारखण्ड।
38. छाया बाउरी, पिता-प्रवेश कुमार बाउरी, निवासी-बांधडीह, डाकघर- भेलाटांड, थाना-कतरास, जिला-धनबाद, झारखंड।
39. उर्मिला देवी, पिता-सुधीर चंद्र महतो, निवासी-धोखरा, थाना -दामोदरपुर, थाना-धनसार, जिला-धनबाद, झारखंड।
40. मनोज पासवान, पिता-महेंद्र पासवान, निवासी-41 झरिया राज मैदान, डाकघर एवं थाना- झरिया, जिला-धनबाद, झारखंड।
41. राजेश कुमार पाठक, पिता-दिनेश कुमार पाठक, निवासी-आईएसएम, डाकघर- आइएसएम धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
42. सरोज कुमार यादव, पिता-भुनेश्वर यादव, निवासी-लाहवानी धैया, डाकघर- आइएसएम, थाना-धनबाद, झारखंड।
43. संग्राम सिंह, पिता-विश्वनाथ, निवासी-पुराना स्टेशन, डाकघर- धनबाद, थाना- धनसार, जिला-धनबाद, झारखंड।
44. देवेंजय कुमार, पिता-नन्द कुमार सिंह, निवासी-पुलिस लाइन, डाकघर एवं थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड।
45. सुमित कुमार उपाध्याय, पिता-सुरेंद्र उपाध्याय, निवासी- सीएमपीएफ, डाकघर-सीएमपीएफ, थाना- सरायढेला, जिला-धनबाद, झारखंड।
46. मृत्युंजय कुमार, पिता- नंद कुमार सिंह, निवासी- पुलिस लाइन, डाकघर और थाना- धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड।
47. सुभाष कुमार सिंह, पिता- अर्जुन सिंह, निवासी- बासदेवपुर, डाकघर- कुसुंडा, थाना- केंदुआडीह, जिला- धनबाद, झारखंड।
48. राजू शर्मा, पिता-नन्दलाल शर्मा, निवासी-डिगवाडीह नं. 10, डाकघर- जीलगोरा, थाना- जोरापोखर, जिला- धनबाद, झारखंड।
49. उपेन्द्र कुमार शर्मा, पिता-सुरेन्द्र शर्मा, निवासी-पांडरपाला, डाकघर- बी.पॉलिटेक्निक, थाना- बैकमोर, जिला-धनबाद, झारखंड।

50. रेनू कुमारी, पिता- संत महतो, निवासी- काली गढ़ बस्ती, डाकघर- भागाबंद, थाना- झरिया, जिला- धनबाद, झारखंड।
51. लक्ष्मी कुमारी, पिता-भुवनेश्वर महतो, निवासी-कल्याणपुर, डाकघर- रामनगर गढ़, थाना- महुदा जिला-धनबाद, झारखंड।
52. रघुनाथ कुमार दास, पिता- कपिलदेव दास, निवासी- चिंकोठी, डाकघर- झरिया, थाना- धनुआडीह, जिला- धनबाद, झारखंड।
53. जीतू राम महतो, पिता- चुरामन महतो, निवासी- भिखनीडीह, डाकघर- तंत्री, थाना- तोपचांची, जिला- धनबाद, झारखंड।
54. अरविंद कुमार, पिता- असित मंडल, निवासी- खेशमी, डाकघर- गोमो, थाना- तोपचांची, जिला- धनबाद, झारखंड।
55. संजय कुमार, पिता- झगडू राम, निवासी- पांडरपाला, डाकघर- बी.पॉलिटैक्निक, थाना- बैंक मोड़, जिला- धनबाद, झारखंड।
56. मो. मोनाजिर, पिता- मो. मुस्लिम, निवासी- पर्यटन विभाग के पीछे, डाकघर एवं थाना- धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड।
57. जय प्रकाश सिंह, पिता- बीरेंद्र सिंह, निवासी- उत्तरी तिसरा, डाकघर- जिनागढ़, थाना- तिसरा, जिला- धनबाद, झारखंड।
58. भुवन बाउरी, पिता- स्वर्गीय नारद बाउरी, निवासी- कुस्तौर, डाकघर एवं थाना- केंदुआडीह, जिला- धनबाद, झारखंड।
59. संजय गोस्वामी, पिता- नंद जी गोस्वामी, निवासी- शास्त्री नगर धोबीटांड, डाकघर- बैंकमोर, थाना- धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड।
60. राकेश कुमार, पिता- कृष्ण कुमार, निवासी- लोदना 12 नंबर, डाकघर- लोदना, थाना- तिसरा, जिला- धनबाद, झारखंड।
61. अजय कुमार ठाकुर, पिता- भुदु ठाकुर, निवासी- कोयके बांध, डाकघर एवं थाना- झरिया, जिला- धनबाद, झारखंड।
62. ज्योति प्रकाश यादव, पिता- गौरी शंकर यादव, निवासी- जामाडोबा, डाकघर- जामाडोबा, थाना- जोरापोखर, जिला- धनबाद, झारखंड।
63. बिमलेश कुमार, पिता- गंगा सागर सिंह, निवासी- चासनाला, डाकघर चासनाला, थाना- पाथरडीह, जिला-धनबाद, झारखंड।

64. शंकर कुमार गोप, पिता- नारायण गोप, निवासी- शिवमंदिर, डाकघर- जामाडोबा, थाना- जोरापोखर, जिला- धनबाद, झारखंड।
65. मनोज कुमार यादव, पिता-उपेन्द्र यादव निवासी-डिगवाडीह नं. 12, डाकघर- जेलगोरा, थाना- जोरापोखर, जिला- धनबाद, झारखंड।
66. त्रिलोचन तिवारी, पिता- जगरनाथ तिवारी, निवासी जीतपुर, डाकघर- डाकघर- जोरापोखर, जिला-धनबाद, झारखंड।
67. राजेश कुमार, पिता-कृष्ण प्रसाद यादव, निवासी-पुलिस लाइन, हीरापुर, डाकघर एवं थाना- धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
68. अस्मित कुमार, पिता-अशोक सिंह, निवासी-पुलिस लाइन, डाकघर- धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
69. दुर्गा कुमारी, पिता-ब्रज किशोर प्रसाद, निवासी-बरमसिया, डाकघर एवं थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला रांची।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला- रांची।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला रांची, पिन-834004।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला- रांची।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन- डोरंडा, जिला- रांची, झारखंड।

....प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 899 / 2016

1. बास्की कुमार दुबे, पिता-श्यामनंदन दुबे, निवासी-मनिफिट, उदिया बस्ती, डाकघर एवं थाना- टेलको, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
2. मनोज कुमार यादव, पिता- राम नगीना यादव, निवासी - काशीडीह एल.नंबर 1 मकान नंबर 3, डाकघर और थाना - साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
3. विष्णु रजक, पिता-स्वर्गीय गणचारी रजक, निवासी-कैरेज कॉलोनी, डाकघर- गोपहाड़ी, थाना-वर्मागाइंस, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
4. पंकज कुमार सिन्हा, पिता-बैजनाथ प्रसाद, निवासी-मथुरा बागान, डाकघर एवं थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
5. संतोष कुमार यादव, पिता-आनंदी यादव, निवासी-बाबाकुटी बागबेड़ा, डाकघर एवं थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
6. बुद्धेश्वर भूमिज, पिता-जयचंद भूमिज, निवासी-बारीडीह बस्ती निराला पथ, डाकघर-बारीडीह, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
7. मृत्युंजय कुमार मिश्रा, पिता-राम कुमार मिश्रा, निवासी-गोड बस्ती मानगो, डाकघर एवं थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
8. आनंद कुमार, पिता-रामवृक्ष ठाकुर, निवासी-एल.नं.1 विद्यापीठ लोहराबस्ती, डाकघर-बारीडीह, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
9. अजय कुमार, पिता-सुभाष प्रसाद, निवासी-458 बारा फ्लैट, सिदगोड़ा, डाकघर एवं थाना-एग्रिको, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
10. रामजी सिंह, पिता-स्वर्गीय रामदत्त सिंह, निवासी-विद्यापति नगर नेता जी रोड, बारीडीह, डाकघर- बारीडीह, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
11. उत्पल कर्मकार, पिता-रवींद्र नाथ कर्मा, निवासी-जोन नंबर 9 मकान नंबर 13 क्रैश रोड 5 बिरसानगर, डाकघर और थाना-बिरसानगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
12. पप्पू कुमार सिंह, पिता-बसंत कुमार सिंह, निवासी- आरपी पटेल हाई स्कूल नियर स्टाफ प्र.सं. 1, डाकघर और थाना - जुगसलाई, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
13. श्रवण शंकर पांडे, पिता- नरेश कुमार, निवासी- जाप-6 सिदगोड़ा, डाकघर- एग्रिको, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

14. सुशील कुमार शर्मा, पिता-हीरालाल शर्मा, निवासी-नामदा बस्ती, आनंद नगर 4/न. 06एच/सं. 02, डाकघर एवं थाना-गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
15. विजय कुमार, पिता-रामदेव राम, निवासी-प्र.नि. 18 पुलिस लाइन, डाकघर और थाना - गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
16. राम प्रताप, पिता-जगविलास सिंह, निवासी-न्यू पुलिस लाइन प्र.सं. 27, डाकघर- एग्रिको, थाना- गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
17. भीम कुमार सिंह, पिता-हरि शंकर सिंह, निवासी-एल5/111 मेन रोड एग्रिको, डाकघर- एग्रिको, थाना- सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
18. राजीव कुमार, पिता-चंद्रचूड़ सिंह, निवासी-नयाबाजार वेस्ट रोड, डाकघर और थाना- जुगसलाई, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
19. मनीष कुमार , पिता-ललन सिंह, निवासी-डाकघर रोड गोड बस्ती मानगो, डाकघर और थाना-मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
20. धीरज कुमार अग्निहोत्री, पिता-दुर्गा प्रसाद अग्निहोत्री, निवासी-गौशाला नाला रोड, डाकघर एवं थाना-जुगसलाई, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
21. ओम प्रकाश सिंह, पिता-बालमुकुन्द सिंह, निवासी-प्र.सं. 289, एल.नं. 19, ए- ब्लॉक तुइलौंगी, डाकघर और थाना- गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
22. विजय कुमार दुबे, पिता- शंभूनाथ दुबे, निवासी- आदर्श नगर मनीफिट, डाकघर एवं थाना- टेलको, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
23. नवीन कुमार सिंह, पिता-शत्रुधन सिंह, निवासी-एसआर-96 ट्यूब कॉलोनी, डाकघर- बारीडीह, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
24. जितेंद्र कुमार, पिता- नंद कुमार ठाकुर, निवासी-विद्यापति नगर राधाकिशन रोड, डाकघर- बारीडीह, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
25. राजू कुमार दुबे, पिता- अखिलेश्वर कुमार दुबे, निवासी - ए/28 विजयनगर, डाकघर- गोलमुरी, थाना-सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
26. छोटक कुमार पांडे, पिता-सरजू पांडे, निवासी-बड़बेड़ा कॉलोनी रोड नंबर 1, डाकघर- टाटानगर, थाना-बड़बेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
27. रिकू तिवारी, पिता-महेंद्र तिवारी, निवासी - कैलाशनगर बर्मामाइंस, डाकघर और थाना - बर्मामाइंस, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

28. अंतु कुमार सिंह, पिता-कामेश्वर सिंह, निवासी-मकदमपुर मकान नं. 135, डाकघर-टाटानगर, थाना-परशुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
29. सुकलाल मार्ली, पिता- राम मार्ली, निवासी - टिकसिरिंग (बाजार गोड़ा) डाकघर- भालकी, थाना-पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
30. राजेश कुमार, पिता- ननकू रे, निवासी - दुबे मुहल्ला जुगसलाई, डाकघर और थाना - जुगसलाई, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
31. मनोज कुमार यादव, पिता-गुप्तेश्वर यादव, निवासी-परसुडीह ग्वालापट्टी, डाकघर-टाटानगर, थाना-परसुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
32. धनंजय सिंह, पिता- राजेंद्र सिंह, निवासी - कालिंडा रोड, क्यू-नंबर 53/3 कदमा, डाकघर और थाना - कदमा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
33. विनोद कुमार, पिता-रामधनी प्रसाद, निवासी-शंकोसाई रोड नंबर 5, डाकघर- एजीएम, थाना-ओलीडीह मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
34. राजू कुमार, पिता-श्याम लाल यादव, निवासी-डीबी रोड बाबाकुटी बड़बेड़ा, डाकघर एवं थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
35. दीपा कुमारी, पिता- केदार नाथ शर्मा, निवासी प्र.सं. 281 भुईयाडीह, डाकघर- एग्रिको, थाना-सीताराम डेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
36. रामेश्वरी शेखर कालिंदी, पिता-स्वर्गीय सुशांत शेखर कालिन्दा, निवासी-भुइयाडीह कालिन्दा बस्ती, डाकघर- एग्रिको, थाना-सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
37. चिंता कुमारी, पिता- जी. प्रसाद, निवासी-मु.सं. 436 बागान नंबर 4, रोड नंबर 1 काशीडीह, डाकघर और थाना - साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
38. मानसी कुमारी नायक, पिता-निरंजन नायक, निवासी-एसपी कॉलेज प्ले ग्राउंड के पास करनडीह, डाकघर- गोलपहाड़ी, थाना-परशुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
39. रंजन कुमार सिंह, पिता- विशेखर सिंह, निवासी-जयप्रभा नगर गोलपहाड़ी, डाकघर-टाटानगर, थाना-परशुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
40. आशा रानी सांडिल, पिता- अभय कुमार शांडिल, निवासी - मकान नंबर 235 जोन नंबर 23 बिरसानगर, डाकघर और थाना - बिरसानगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
41. आदित्य कुमार सिंह, पिता- शशि भूषण सिंह, निवासी- सोपडेरा, सराजमाड़ा, डाकघर-सराजमादा, थाना- परशुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

42. डी हेमलता, पिता- डी. भास्कर राँ, निवासी- मकान नं. 355 ए, जोन नंबर 2 रोड नंबर 1 बिरसानगर, डाकघर और थाना - बिरसानगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
43. आशा सिंह मुंडा, पिता- प्रकाश सिंह मुंडा, निवासी - आजादनगर मानगो, डाकघर और थाना - मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
44. मोहन सिंह देवगम, पिता- स्वर्गीय दिबर देवगम, निवासी- भोया, डाकघर- भोया, थाना- मुफस्सिल चाईबासा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
45. चतुर्भुज सिंह, पिता- नारायण सिंह, निवासी-रामनगर बागबेड़ा, डाकघर- टाटानगर, थाना- बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
46. अमर नाथ उर्फ अमर नाथ महतो, पिता- कुशेश्वर महतो, निवासी-बाबूकुटी बस्ती, डाकघर और थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
47. नीरज कुमार रजक, पिता- मिठू रजक, निवासी- डीबी रोड जुगसलाई, निकट-विश्वकर्मा मंदिर, डाकघर- जुगसलाई, थाना- बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
48. चंचल कुमार कौशल, पिता-शिवजी प्रसाद, निवासी-बजरंग टेकरी, शीतला मंदिर बागबेड़ा, डाकघर- जुगसलाई, थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
49. अवधेश झा, पिता- शंकर झा, निवासी- आनंदनगर लाल बिल्डिंग, बागबेड़ा, डाकघर- टाटानगर, थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
50. चंद्रमणि चौबे, पिता- विपीन बिहारी चौबे, निवासी शिवनगर बागबेड़ा, चौबे निवास, डाकघर एवं थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
51. अनिल कुमार पांडे, पिता- शिवकुमार पांडे, निवासी-एल-4/89 नई शांधिया रोड, डाकघर और थाना - साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
52. कृष्ण कुमार पिता- ज्ञानचंद्र प्रसाद, निवासी - न्यू उलीडीह शिव मंदिर रोड मानगो, डाकघर - मानगो, थाना- उलीडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
53. अखिलेश ठाकुर, पिता- रामजी ठाकुर, निवासी - काशीडीह लाइन नंबर 1 बागान नंबर 3, डाकघर और थाना - साकची, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
54. राजीव कुमार महतो, पिता- श्री अम्बुज च. महतो, निवासी - कुड़ियानी, डाकघर - कुड़ियानी, थाना - बोरम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
55. शिव शंकर यादव, पिता- सोमारू यादव, निवासी - न्यू ग्वाला बस्ती पारर पाड़ा सोनारी, डाकघर और थाना - सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

56. चुन्नु कुमार, पिता- स्वर्गीय दिनेशी रे, निवासी - सिक्थोरिटी फ्लैट एच/ए गरमानाला, डाकघर और थाना - बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
57. लव कुमार, पिता-अवधेश रे, निवासी-गरमनाला सिक्थोरिटी फ्लैट, डाकघर और थाना- बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
58. निवास कुमार रे, पिता- गुप्तेश्वर रे, निवासी - गर्मानाला सिक्थोरिटी फ्लैट एच- 22, डाकघर और थाना - बिष्टुपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
59. हरे कृष्ण सिंह, पिता- अशोक सिंह, निवासी - झारखंड नगर, परशुडीह, डाकघर - टाटानगर, थाना - परशुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
60. राहुल प्रकाश, पिता- गुप्तेश्वर रे, निवासी - भोलाबागान रोड नंबर। 2, डाकघर और थाना - छोटा गोविंदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
61. दीपक कुमार भट्ट, पिता- कृष्ण बिहारी भट्ट, निवासी - भुइयाडीह, डाकघर - नंदन नगर, थाना - सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
62. लखन किस्कू, पिता- सालखु किस्कू, निवासी - रेपट कॉलोनी एमजीएम, डाकघर और थाना - एमजीएम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
63. किशन कुमार, पिता-कपिलदेव राम, निवासी-हरहरगुट्टू (बड़ा तालाब), डाकघर- हरहरगुट्टू, थाना-बागबेड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
64. जय नाथ सिंह, पिता- कन्हैया सिंह, निवासी - कुइयानी, डाकघर - कुइयानी, थाना - बोवाम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
65. बिकास बास्की, पिता- जीसु बास्की, निवासी - पाबनपुर, डाकघर - दिधी, थाना - पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
66. संजय उराँव, पिता-आशुतोष उराँव, निवासी नूतनडीह, डाकघर- पगड़ा, थाना-बोवाम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखण्ड।
67. विकाश कुमार शर्मा, पिता- राम अवतार शर्मा, निवासी - नामदाबस्ती आनंद नगर, निवासी। 3 एच.नं. 7, डाकघर और थाना - गोलमुरी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
68. दुलाल महली, पिता- स्वर्गीय सुना राम महली, निवासी - बुकामडीह, डाकघर - कोवाली, थाना - पोटका, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

69. दीपक कुमार महतो, पिता- बुद्धेश्वर महतो, निवासी - कश्मीर, डाकघर - बांकीशोल, थाना - डुमुरिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
70. ईशान बास्की, पिता- गहन बास्की, निवासी - सुंदर पुरटोला-लायडीह, डाकघर और थाना - पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 912 / 2016

1. महेश भगत, पिता- स्वर्गीय बुधु भगत, निवासी - जहां गुटवा, डाकघर और थाना - बिष्णुपुर, जिला - गुमला, झारखंड

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।

2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 में स्थित है।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 913/2016

1. बृहस्पति कुमार दुबे, पिता- श्री बालेश्वर दुबे, निवासी दुबे टेबल, डाकघर और थाना - मंघियां, जिला - गढ़वा, झारखंड।
2. जैनेंद्र पाल, पिता- श्री दीना नाथ पाल, निवासी - बांका, डाकघर - बांका, थाना - मेराल, जिला - गढ़वा, झारखंड।
3. दिवाकर मिश्रा, पिता- श्री गोपाल मिश्रा, निवासी अकालुरानी, डाकघर- लगमा, थाना- मेराल, जिला-गढ़वा, झारखंड।
4. संदीप कुमार पांडे, पिता- श्री सचिदा नंद पांडे, निवासी - उंचरी, डाकघर - हरिगवा, थाना - मंझिओन, जिला - गढ़वा, झारखंड।
5. देवेन्द्र कुमार बैठा, पिता-श्री सूर्यदेव बैठा, निवासी-अधौरा, डाकघर- अधौरा, थाना-नगरउंटारी, जिला-गढ़वा, झारखंड।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।

2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड।

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 914 / 2016

1. मंटू गोराई, पिता- किशन गोराई, निवासी - पूर्ण पानी, डाकघर और थाना - नीमडीह, जिला - सरायकेला-खरसावां, झारखंड।
2. महेश्वर सोय, पिता- श्री श्यामल सोय, निवासी - भुरकुंडा, डाकघर और थाना - कुचाई, जिला - सरायकेला-खरसावां, झारखंड।
3. मंगल सिंह सोय, पिता- स्वर्गीय प्रधान सोय, निवासी - भुरकुंडा, डाकघर और थाना - कुचाई, जिला - सरायकेला-खरसावां, झारखंड।
4. सुनील कुमार परमानिक पिता- धनंजय परमानिक, निवासी - टीकर, डाकघर - टीकर, थाना - ईचाघर, जिला - सरायकेला-खरसावां, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।

3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 933 / 2016

1. अंकुर बिश्वकर्मा, पिता-दिलीप बिश्वकर्मा, निवासी-कुवर सिंह कॉलोनी, डाकघर और थाना-चास, जिला-बोकारो, झारखंड।
2. संतोष कुमार, पिता- रामायण सिंह, निवासी - कैंप -1 आवास संख्या डी/3, डाकघर और थाना - मारफारी, जिला - बोकारो, झारखंड।
3. अंकु कुमार सिंह, पिता- विजय बहादुर सिंह, निवासी - कैंप-1 आवास नंबर डी/ई, डाकघर और थाना, मारफारी, जिला - बोकारो, झारखंड।
4. मोहम्मद अलाउद्दीन, पिता- - मोहम्मद अब्दुल जबर, निवासी - सुल्तान नगर, डाकघर और थाना - चास, जिला - बोकारो, झारखंड।
5. संजीव कुमार पांडे, पिता-परशुराम पांडे, निवासी करनाल मार्केट मारफारी, डाकघर और थाना-मारफारी, जिला-बोकारो, झारखंड।
6. संतोष कुमार, पिता- ज्ञानंद चौधरी, निवासी - सेक्टर 9 डीए रोड, डाकघर - सेक्टर-9, थाना - हरला, जिला - बोकारो, झारखंड।
7. सुलोचना कुमारी, पिता- संजय प्रसाद रे, निवासी - कैंप 5 प्र. संख्या सी-14, डाकघर और थाना - मारफारी, जिला - बोकारो, झारखंड।
8. पंकज कुमार शर्मा, पिता- अशोक शर्मा, निवासी- सेक्टर 9 सी रामडीह रोड, डाकघर-सेक्टर-9, थाना, हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
9. सोहन यादव, पिता-भैरव यादव, निवासी-तेलो, डाकघर- तेलो, थाना-नवाडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।

10. गोपाल साव, पिता-लखन साव, निवासी-तेलो, डाकघर- तेलो, थाना-नवाडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
11. अनिल राम, पिता- लाल मोहन, निवासी - सारम, डाकघर - सारम, थाना - गोमिया, जिला-बोकारो, झारखंड।
12. मुकेश महतो, पिता-मोहन महतो, निवासी-बोड्रो, डाकघर- भेंड्रा, थाना-नवाडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
13. नीरज कुमार ठाकुर, पिता-परमेश्वर ठाकुर, निवासी-गोविंदपुर, डाकघर और थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो, झारखंड।
14. अरुण कुमार महतो, पिता- खगपात्र महतो, निवासी - गोबिंदपुर, डाकघर और थाना - बोकारो थर्मल, जिला -बोकारो, झारखंड।
15. अनिता टोपनो, पिता- बिकसल टोपनो, निवासी - घोचा टोला, डाकघर- सिवानडीह, थाना-मारफारी, जिला-बोकारो, झारखंड।
16. धनेश्वर रविदास, पिता- सूदन रविदास, निवासी-तरंगा, डाकघर- तरंगा, थाना-नवाडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
17. बंगी कुमारी बास्की, पिता- सुराई बास्की, निवासी - मटकम टोला टुटुलिया, डाकघर - सिवानडीह, थाना - सेक्टर 12, जिला - बोकारो, झारखंड।
18. नीलम तिर्की, बेटी - अरुण उराव तिर्की, निवासी - पुलिस लाइन सेक्टर - 12, डाकघर और थाना- सेक्टर -12, जिला - बोकारो, झारखंड।
19. सरिता सुंडी, पिता-लेवाया सुंडी, निवासी-गणेश होटल कुर्मीडीह, डाकघर- रेलवे स्टेशन, थाना-बालीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
20. टिंकू परमाणिक, पिता- गंगाधर परमाणिक, निवासी - बैधमारा, डाकघर- बैधमार, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
21. कमल परमानिक, पिता-बतुल परमानिक, निवासी-चास सेहरी शेतारा, डाकघर- भर्मा, थाना-चास, जिला-बोकारो, झारखंड।
22. अजय कुमार, पिता- बालेश्वर यादव, निवासी-सेक्टर 4/एफ अपना बाजार के पास, डाकघर और थाना - सेक्टर -4, जिला - बोकारो, झारखंड।
23. चंदन कुमार, पिता-सच्चिदानंद सिंह, निवासी-बेरमो डाकघर और थाना-बेरमो, जिला-बोकारो, झारखंड।

24. राकेश कुमार, पिता-भुनेश्वर सिंह, निवासी-जोशी कॉलोनी लकड़ा खंदा आवारा नंबर ईएफ/95, डाकघर- ओ-मारफारी, थाना-बी.ए. शहर, जिला-बोकारो, झारखंड।
25. राजन कुमार, पिता- मोहन महतो, निवासी- चौफर, डाकघर- बैधमारा, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
26. संदीप कुमार, पिता- महेंद्र शर्मा, निवासी सेक्टर 1 बी, अंबेडकर नगर, डाकघर - सेक्टर - 12, थाना-बीए सिटी, जिला - बोकारो, झारखंड।
27. सरोज कुमार ठाकुर, पिता-विदेशी ठाकुर, निवासी सेक्टर 9 डी स्ट्रीट-37 प्र.सं. 934, डाकघर- सेक्टर 9/बी, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
28. अनिमा एक्का, पिता-अब्राहम एक्का, निवासी-पुलिस लाइन 12, डाकघर और थाना-सेक्टर-12 जिला-बोकारो, झारखंड।
29. धनेश्वर महतो, पिता- बट्टीनारायण महतो, निवासी - अमराटांड (बांधडीह) डाकघर और थाना - दुग्दा, जिला - बोकारो, झारखंड।
30. बीरबहादुर कुमार, पिता- राज किशोर शर्मा, निवासी - कैंप - 2 एच-57/6, डाकघर - 12, थाना-बीए सिटी, जिला - बोकारो, झारखंड।
31. राजेश कुमार महतो, पिता-स्वर्गीय भीम महतो, निवासी-बोडिया बस्ती, डाकघर- कथारा, थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो, झारखंड।
32. मनु प्रजापति, पिता-लखन प्रजापति, निवासी-लहरिया तमड, डाकघर और थाना-बोकारो थर्मल, जिला-बोकारो, झारखंड।
33. कृष्ण कुमार महली, पिता- बालगोबिंद महली, निवासी - जमकडीह, डाकघर- होसिर, थाना-गोमिया, जिला-बोकारो, झारखंड।
34. परशु राम महतो, पिता- फलेन्द्र महतो, निवासी-गहियातो, डाकघर- गोनियाटो, थाना-नवाडीह, जिला-बोकारो, झारखण्ड।
35. संजय कुमार महतो, पिता- बुधन महतो, निवासी - रतारी (बांधडीह), डाकघर और थाना - दुग्दा, जिला - बोकारो, झारखंड।
36. कोकिल महतो, पिता-शनिचर महतो, निवासी-बांधडीह, डाकघर और थाना-डुगा, जिला-बोकारो, झारखंड।
37. नीरज कुमार रवानी, पिता-मुरली रवानी, निवासी-दुग्दाबस्ती, डाकघर और थाना-करमाटांड, जिला-बोकारो, झारखंड।

38. गौतम कुमार गंझू, पिता-लाल मोहन गंझू, डाकघर- अंतपुर, थाना-जरीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
39. नरेश मंडल, पिता-बैजनाथ मंडल, निवासी-दुग्दा बस्ती, डाकघर- कर्माटांड, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखंड।
40. नगीना कुमार सिंह, पिता-जयनंदन सिंह, निवासी-जैनामोड़, डाकघर- जैनामोड़, थाना-जरीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
41. धर्मेन्द्र कुमार, पिता-शत्रुधन राम, निवासी-सेक्टर 9/डी स्ट्रीट037 आवास नं. 959, डाकघर-सेक्टर-9, थाना-सरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
42. प्रदीप केवट, पिता-काशी केवट, निवासी-दुग्दा, डाकघर- करमाटन, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखंड।
43. पवन कुमार साव, पिता-स्वर्गीय तुलसी साव, निवासी-दुग्दा बस्ती, डाकघर- करमाटांड, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखंड।
44. मोहम्मद इलियास अंसारी, पिता-एमडी यूसुफ अंसारी, निवासी-तुपकाडीह, डाकघर-तुपकाडीह, थाना-जरीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
45. जीतेन्द्र कुमार रे, पिता-रामनाथ रे, निवासी-सेक्टर-12/एफ/आवास नं. 1092, डाकघर और थाना सेक्टर-12, जिला-बोकारो, झारखंड।
46. मीरा कुमारी, पिता-महेंद्र मिश्रा, निवासी- ट्रानिज हॉस्टल नंबर 1, डाकघर और थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
47. ज्योति कुमारी, पिता-दीना राय यादव, निवासी-सेक्टर-9 खटाल, डाकघर- सेक्टर 9, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
48. नील माया शर्मा, पिता-चूडामणि शर्मा, निवासी-सेक्टर-3/ए आवास संख्या 590, डाकघर एंड थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
49. सबरा बेगम, पिता-साकिर हुसैन, निवासी-उक्रिड, डाकघर- बीए सिटी, थाना-सेक्टर-12, जिला-बोकारो, झारखंड।
50. ममता कुमारी, पिता-महेश राम, निवासी-सेक्टर 2/सी प्र.सं. 1-199, डाकघर- सेक्टर2/डी, थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
51. ओम प्रकाश, पिता-सुमेश्वर सिंह, निवासी-सेक्टर-2/बी प्रश्न संख्या- 2- 226 एफ रोड, डाकघर- सेक्टर-2, थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।

52. मनोज कुमार, पिता-सुरेन्द्र सिंह, निवासी-सेक्टर 9/सी स्ट्रीट 28 प्र.सं.1358, डाकघर-सेक्टर-9, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
53. शकुंतला कुमारी, पिता-जगदीश प्रसाद यादव, निवासी-सेक्टर-ओ/बी स्ट्रीट-14 आवास संख्या 947, जिला-बोकारो, झारखंड।
54. इमामुल हुसैन, पिता-बड़ा बाबू अंसारी, निवासी-उकरीद, डाकघर- बीए सिटी, थाना-सेक्टर-12, जिला-बोकारो, झारखंड।
55. शिवचरण केवट, पिता-रोहन केवट, निवासी-दुग्दा बस्ती, डाकघर- करमाटांड, थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखंड।
56. कमलेश कुमार, पिता-विधा सिंह, निवासी-जोशी कॉलोनी, डाकघर- माराफारी, थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
57. मोहन कुमार सिंह, पिता-कपिलेश्वर सिंह, निवासी-सेक्टर 1 सी आवास नं. 1029, डाकघर और थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
58. सुधीर कुमार, पिता-उमेश प्रसाद, निवासी-जेएपी-4, डाकघर और थाना-सेक्टर-12, जिला-बोकारो, झारखंड।
59. मोहम्मद मुख्तार अहमद, पिता- शब्बीर बाबू अंसारी, निवासी - मोहाल टोला भंडारी बैंड, डाकघर- मोहाल, थाना-चंदनकियारी, जिला-बोकारो, झारखंड।
60. विशाल कुमार, पिता-ब्रजमोहन सिंह, निवासी-रामडीह बस्ती, डाकघर- बैधमारा, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
61. सरोज कुमार, पिता-वीरेंद्र कुमार सिंह, निवासी- सेक्टर 3 डी, डाकघर- सेक्टर-2, थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
62. कमलेश कुमार, पिता- स्वर्गीय सरदार सिंह, निवासी भोजपुर कॉलोनी चास, डाकघर और थाना-चास, जिला-बोकारो, झारखंड।
63. सुदामा कुमार, पिता- रामजी सिंह, निवासी-बीएएल (एलएच) स्ट्रीट - 6/62, डाकघर-सिवानडीह, थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
64. संजीव कुमार रे, पिता- नरसिंह रे, निवासी-सेक्टर-11/सी प्र.सं. 3210, डाकघर- सेक्टर-9, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
65. अमित कुमार महथा, पिता-नरेंद्र महथा, निवासी-रतारी, डाकघर- डाकघर- दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखंड।

66. मोहम्मद अली इमाम, पिता- मोहम्मद मनीर हसम, निवासी- रतारी, डाकघर और थाना- दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखंड।
67. प्रकाश कुमार, पिता-महेन्द्र प्रसाद, निवासी-सेक्टर-6/डी, पुलिस स्टेशन के पास, डाकघर और थाना-सेक्टर-6, जिला-बोकारो, झारखंड।
68. रमेश गोप, पिता- अधनु गोप, निवासी - वानसिमली, डाकघर- राधानगर, थाना-बालीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
69. सच्चिदानंद प्रसाद, पिता-बैधनाथ प्रसाद, निवासी-सेक्टर-8/ए स्ट्रीट-5 आवास संख्या 1244, डाकघर- सेक्टर-9, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
70. ओम प्रकाश, पिता- जय नारायण दुबे, निवासी-बीएएल (एलएच) स्ट्रीट -14 आवास नं. 72, डाकघर- सिवनडीह, थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
71. सुभाष कुमार महतो, पिता-काशी नाथ महतो, निवासी बांधडीह, डाकघर और थाना- डुडगा, जिला-बोकारो, झारखंड।
72. गोरी शंकर महतो, पिता-बासुदेव महतो, निवासी-चंदुआडीह, डाकघर और थाना-दुग्दा, जिला-बोकारो, झारखंड।
73. बीरू कुमार, पिता-त्रिभुवन सिंह, निवासी-नियर स्ट्रीट 8 झोपड़ी, डाकघर- सेक्टर 9ए सरला, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
74. घन श्याम सिंह, पिता- सरोज प्रसाद सिंह, निवासी- सेक्टर 12/सी क्यू नंबर 1007, डाकघर और थाना - सेक्टर 12, जिला - बोकारो, झारखंड।
75. जय प्रकाश सिंह, पिता-नंदजी सिंह, निवासी-सेक्टर 2 बी आवास नं. 2-175, डाकघर और थाना-बीए सिटी, जिला-बोकारो, झारखंड।
76. अनिल कुमार, पिता- ईश्वर साव, निवासी-सेक्टर/डी आवास नं. 1980, डाकघर- सेक्टर9, थाना-हरला, जिला-बोकारो, झारखंड।
77. शेख इनायत हुसैन, पिता-शेख ताहिर महतो, निवासी-बांधडीह, डाकघर- बांधडीह, थाना- जरीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।
78. मनोज कुमार महतो, पिता-थन्नु महतो, निवासी-रतारी, डाकघर और थाना-दुग्दा, जिला- बोकारो, झारखंड।
79. अजय कुमार प्रसाद, पिता- विनोद प्रसाद, निवासी - न्यू कॉलोनी कुर्मीडीह, डाकघर- रेलवे कॉलोनी, थाना- बालीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।

80. श्वेता कुमारी, पिता- मोतीलाल पांडे, निवासी- कुर्मीडीह, डाकघर- रेलवे कॉलोनी, थाना- बालीडीह, जिला-बोकारो, झारखंड।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 999 / 2016

1. मिर्जा हांसदा, पिता- शंखाई हांसदा, निवासी - पथरा, डाकघर- गंदनाटा, थाना-बोरशोले, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
2. सुधीर कुमार रे, पिता-कृपा शंकर रे, निवासी-बजरंग पथ देवनगर, डाकघर- साकची, थाना- सीतारामडेरा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
3. परमेश्वर शर्मा, पिता- विदेश्वर शर्मा, निवासी - पानी टंकी कंपाउंड कुवर बस्ती, डाकघर और थाना - मानगो, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
4. संजय प्रसाद, पिता- स्वर्गीय उदय प्रसाद, निवासी - शंको साई रोड नंबर 4 मानगो डिमना रोड, डाकघर - एमजीएम, थाना -उलीडीह, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

5. ठाकुर दास हांसदा, पिता- मंगल चंद्र हांसदा, निवासी - सुरगी, डाकघर - भालकी, थाना - गुरुबंदा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
6. जसाई सोरेन, पिता- चैतन सोरेन, निवासी - देवशाल, डाकघर - पांडुआ, थाना-ढाल भूमगढ़, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
7. दांदू राम हेम्ब्रम, पिता-स्वर्गीय बासेन हेम्ब्रम, निवासी-बिहिन्दा, डाकघर- मोहली शोले, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
8. दिलीप कुमार मुर्मू, पिता-स्वर्गीय भुवा मुर्मू, निवासी-भालकी, डाकघर- भालकी, थाना-गुराबांदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
9. खुदी राम मुर्मू, पिता-कान्हू मुर्मू, निवासी-मछभंडार, डाकघर- मुराठाकुरा, थाना-गुराबांदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
10. राम राय मुर्मू, पिता-स्वर्गीय उतर मुर्मू, निवासी-नलधुआ, डाकघर- कोकपाड़ा, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
11. कुइलू मंडी, बेटा-मेघराय मंडी, निवासी-रावतड़ा, डाकघर- रावतदा, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
12. सिंगो मंडी, पिता- मेघराई मंडी, निवासी- रावतड़ा, डाकघर- रावतड़ा, थाना- धालभूमगढ़, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
13. गोपाल सोरेन, पिता- पिथो सोरेन, निवासी-नुआग्राम, डाकघर- मोहनपुर, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
14. लाल मोहन सिंह, पिता-जगन्नाथ सिंह, निवासी-बारा बांकी, डाकघर- पिपला, थाना-एमजीएम मानगो, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
15. मनसा राम महतो, पिता-नसीब चंद्र महतो, निवासी-सिंहपुरा, डाकघर- सिंघपुरा, थाना-गुराबांधा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
16. जय राम मिश्रा, पिता-चन्द्र मोहन मिश्रा, निवासी-प्र.सं. एल4 बिस्टुपुर, डाकघर और थाना बिस्टुपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
17. हृदया नंद, पिता-मुरली प्रसाद, निवासी-न्यू ग्वाला पट्टी आदर्श नगर सोनारी, डाकघर-कागलनगर, थाना-सोनारी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
18. सार्जेन बेसरा, पिता-दुर्गा चरण बेसरा, निवासी-पोलाश बोनी, डाकघर- रावतारा, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

19. बब्लू हंसदाह, पिता- अरुण मांझी, निवासी - रसुनचोपा (बालीडीह) डाकघर - रसुनचोपा, थाना- पोटका, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
20. रूपचंद मांडी, पिता- स्वर्गीय रुपाई मांडी, निवासी बसाझोर, डाकघर- रावतारा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
21. पांडु हेम्ब्रोम, पिता- केदार राम, निवासी - राहरगोड़ा, डाकघर - राहरगोड़ा, थाना- परसुडीह, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
22. भीम मांडी, पिता-स्वर्गीय गणेश मांडी, निवासी-रघुनाथडीह (जयरामडीह), डाकघर- डोवा, थाना-धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
23. आयथु हांसदा, पिता-स्वर्गीय मिर्जा हांसदा, निवासी- गालुसिंगी, डाकघर- रसुनचोपा, थाना- पोटका, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
24. रेनजो सिद्धु, पिता-स्वर्गीय रघु सिद्धु, निवासी-राहरगोरा, डाकघर- राहरगोरा, थाना- परसुडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
25. शंभु चरण महतो, पिता- पासन महतो, निवासी - बेलडीह, डाकघर - बिदरा, थाना - कमलपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
26. चूना राम मुंडा, पिता-दहलान महरो, निवासी- एकताल डाकघर- नूतनगढ़म, थाना- धालभूमगढ़, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
27. कंचन महतो, पिता- दीनबंधु महतो, निवासी-दोरखुली, डाकघर- सिमडी, थाना-चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
28. राजीव महतो, पिता-शक्ति पदा महतो, निवासी-बेलडीह, डाकघर- बेलडीह, थाना-बोराम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
29. अजय सिंह, पिता- स्वर्गीय रवि सिंह, निवासी झाटी झरना, डाकघर - झाटी झरना, थाना - घाटशिला जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
30. बासुदेव महतो, पिता- अनिल चंद्र महतो, निवासी - हुटुपाथर, डाकघर - कश्मीर, थाना - कमलपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
31. महाबीर हांसदा, पिता-स्वर्गीय घासी राम हांसदा, निवासी-पहाड़पाड़ा, डाकघर- कुड़ियानी, थाना-बोराम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
32. चूना राम मांडी, पिता- लबाई मांडी, निवासी- पहाड़पुर, डाकघर- कुड़ियानी, थाना- बोरम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

33. उत्तम बेसरा, पिता-विभूति बेसरा, निवासी-पबनपुर, डाकघर- दिघी, थाना-पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
34. चूना राम हांसदा, पिता-स्वर्गीय तारा हांसदा, निवासी-हथिया डीह, डाकघर- बाराचिरका, थाना-बोराम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
35. बिश्वनाथ हेम्ब्रम, पिता- बीरबल हेम्ब्रम, निवासी - हथियाडीह, डाकघर - बाराचिरका, थाना - बोरम, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
36. बालेश्वर मुर्मू, पिता- पंचानन मुर्मू, निवासी - पथरा, डाकघर - गंडांता, थाना - बोरशोले, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
37. आशीष महतो, पिता- स्वर्गीय उपेन्द्र नाथ महतो, निवासी- मुचीडीह, डाकघर- कुईनी, थाना- बोरम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
38. हेमन्त बेसरा, पिता-अम्बुज बेसरा, निवासी-पबनपुर, डाकघर- दिघी, थाना-पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
39. गणेश सिंह, पिता- काली पदा सिंह, निवासी पटमदा, डाकघर और थाना पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
40. गोबिंदा मुर्मू, पिता- स्वर्गीय पीतम मुर्मू, निवासी - पिथाटी, डाकघर -काराडुबा, थाना-घाटशिला, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
41. परसुराम सिंह, पिता- बाबूलाल सिंह, निवासी - जोरडीह, डाकघर - भिलाई पहाड़ी, थाना - एमजीएम मानगो, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
42. चंडी पद सिंह, पिता- बाबूलाल सिंह, निवासी जोरडीह, डाकघर - भिलाई फाड़ी, थाना- एमजीएम मानगो, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
43. मुक्तलाल महतो, पिता-रजनीकांत महतो, निवासी-लच्छीपुर, डाकघर- लच्छीपुर, थाना-पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
44. गोपाल चंद्र बास्की, पिता- काली राम बेस्की, निवासी - कांकीडीह, पोस्ट - कुमीर, थाना - कमालपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
45. हिमांगसु गोप, पिता-ज्योति गोप, निवासी लोधाशोली, डाकघर- लोधाशोली, थाना-चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
46. मुकेश कुमार महतो, पिता- मोहिनी मोहन महतो, निवासी - तरंगा, डाकघर - चाकुलिया, थाना-चाकुलिया, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

47. सागर मांडी, पिता-सोबन मांडी, निवासी-खरबंधा, डाकघर- लोधाशोली, थाना-चाकुलिया, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
48. शिव प्रकाश कुमार, पिता- राम श्लोक यादव, निवासी - बारा बस्ती डी ब्लॉक काली मंदिर के पास, डाकघर - बारीडीह, थाना-सिदगोड़ा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
49. ईश्वर राय, पिता- राजाराम राय, निवासी - प्र.सं. 6 रोड नंबर 8, आनंदनगर नमदाबस्ती, डाकघर और थाना- गोलमुरी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
50. उपेन्द्र साव, पिता-यमुना साव, निवासी-बारीडीह बस्ती, मीरा पथ, डाकघर- बारीडीह, थाना- सिदगोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
51. अजय कुमार रजक, पिता- राम चन्द्र रजक, निवासी - बारीडीह बस्ती भोजपुर कॉलोनी, डाकघर - बारीडीह, थाना - सिदगोड़ा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
52. राकेश तिवारी, पिता- वीरेंद्र तिवारी, निवासी - 10 नंबर बस्ती सिंध रोड प्र.सं.203, डाकघर - गोलमुरी, थाना- सिदगोड़ा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
53. राजेश कुमार गुप्ता, पिता-हरिद्वार लाल गुप्ता, निवासी-बीएनओ। 15/15 जल टावर क्षेत्र, डाकघर - कदमा, थाना-बीएच क्षेत्र कदमा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
54. पप्पू ठाकुर, पिता- बुटन ठाकुर, निवासी - 4 ब्लॉक जोन नंबर 3, डाकघर और थाना - बिरसानगर, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
55. विनय चौबे, पिता- रमेश कुमार चौबे, निवासी - तरुण कॉम्प्लेक्स फ्लैट नंबर 14 ए/ब्लॉक, डाकघर और थाना - मानगो, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
56. सोनू कुमार झा, पिता-स्वर्गीय कामेश्वर झार, निवासी-प्रेम नगर रोड 5, टेलको, डाकघर और थाना-टेलको, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
57. सी वेंकट कृष्ण राव, पिता- आदि वेंकट साव, निवासी - एच-49 नामदा, बस्ती, विकास कॉलोनी, डाकघर और थाना - गोलमुरी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
58. बिरम मुर्मू, पिता- स्वर्गीय आदु मुर्मू, निवासी - देवघर, डाकघर - भिलाई पहाड़ी, थाना- एमजीएम, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
59. काले राम मार्ली, पिता- स्वर्गीय छकु मार्ली, निवासी - ओरकबेरा, डाकघर - कालिकापुर, थाना - पोटका, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
60. कार्तिक मुर्मू, पिता- स्वर्गीय पीतांबर मुर्मू, निवासी - बारीडीह, डाकघर - भागाबंडी, थाना - डुमुरिया, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

61. हरे उराँव, पिता- स्वर्गीय लाखिन उराँव, निवासी - इचरा, डाकघर और थाना - जादूगोड़ा, दी सख्त - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
62. सुभाष मुर्मू, पिता-दुला मुर्मू, निवासी-दीघा, डाकघर- ई डेलबारा, थाना-घाटशिला, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
63. महेश टुडू, पिता- सुनाराम टुडू, निवासी धोबनी, डाकघर और थाना मोसाबनी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
64. विश्वनाथ हांसदा, पिता-स्वर्गीय दमन हांसदा, निवासी-लौकेशरा, डाकघर- सुरदा माइंस, थाना-मुसाबनी, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
65. लुखीराम टुडू, पिता- रमेश टुडू, निवासी - बाराघाट, डाकघर- सुरदा, थाना- मुसाबोनी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
66. जगन नाथ हांसदा, पिता- साबुआ हांसदा, निवासी-दुबराजपुर, डाकघर- काराडुबा, थाना- घाटसाला, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
67. रोहन सोरेन, पिता- बुधु सोरेन, निवासी - बालीगुमा, डाकघर और थाना - एमजीएम कॉलेज, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
68. बिक्रम हांसदा, पिता- स्वर्गीय पारव हांसदा, निवासी न्यू कॉलोनी मुसाबनी, डाकघर और थाना - मुसाबनी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
69. सिमल बास्की, पिता- स्वर्गीय मंगल बास्की, निवासी - कुइलिसुता, पो - बदिया थाना - मुसाबनी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
70. पचिया टुडू, पिता- मंगल टुडू, निवासी - पुखुरिया, डाकघर - बाराजुरी, थाना - घाटशिला, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
71. परितोष महतो, पिता- स्वर्गीय गंगाधर महतो, निवासी - कमलाबेरा, डाकघर- पिपला, थाना-एमजीएम डिमना, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
72. जितेन महाकुंड, उर्फ जितेन महाकुंड, पिता- स्वर्गीय पंचानन महाकुंड, निवासी - बलियागोरा (पुडुडीह), डाकघर - बदिया, थाना-मोसाबोनी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
73. प्रवीण कुमार, पिता-भागवत प्रसाद, निवासी-शंकोसाई रोड नंबर 1 रामनगर, डाकघर- एमजीएम कॉलेज थाना-ओलीडीह, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
74. अमीश कुमार रे, पिता- योगेन्द्र राय, निवासी - शंकोसाई रोड नंबर 1 मानगो, डाकघर - एमजीएम, थाना - उलीडीह, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

75. अजीत कुमार महतो, पिता-गोपाल चंद्र महतो, निवासी-खेरुआ, डाकघर- दिधी थाना- पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
76. भोगन हांसदा, पिता- स्वर्गीय राम हांसदा, निवासी-पूर्णापानी, डाकघर- दांडुडी, थाना- भारागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
77. सिंगू राम मांडी, पिता-स्वर्गीय सोमाय मांडी, निवासी-केंडोपुसी, डाकघर- आसना, थाना- घाटशिला, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
78. सदा नंदा मुर्मू, पिता- सोना मुर्मू, निवासी - भदुआ, डाकघर - बेनासोली, थाना - बड़शोल, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
79. सरस्वती मंडी, बेटा-ठाकुर मंडी, निवासी-बहरागोड़ा सिंहपुरा, डाकघर और थाना-बहरागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
80. मुटुक सोरेन, पिता-सुरेंद्र सोरेन, निवासी रापाचा, डाकघर- पगड़ा, थाना-बोराम, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
81. गुरुचरण हेम्ब्रम, पिता- नारायण हेम्ब्रम, निवासी - कानिमोहाली, डाकघर- आसना, थाना- घाटसिला, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
82. भोला नाथ यादव, पिता- राम विलास साव, निवासी - विद्यापति नगर, मेन रोड बारीडीह, डाकघर - बारीडीह, थाना-सिदगोड़ा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
83. दिलीप कुमार बेहरा, पिता- रवि नारायण बेहरा, निवासी - सोनारी खुल्डीह, डाकघर और थाना- सोनारी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
84. जनार्दन खरवार, पिता- द्वारिका खरवार, निवासी - बिहार मैत्री संघ, विरुपा रोड साकची, डाकघर और थाना - साकची, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
85. शिबा राम मुर्मू, पिता- जगु मुर्मू, निवासी - राजहाता, पोस्ट - माधबपुर, थाना - बोरम, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
86. शीलू रे बेसरा, पिता- श्री गोपाल बेसरा, निवासी - बानालोपा, डाकघर और थाना - मुसाबनी, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
87. बंकिम सोरेन, पिता-स्वर्गीय सबन सोरेन, निवासी-बनकाटा, डाकघर- अंगरपाड़ा, थाना- गुराबांदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
88. बिश्वनाथ सिंह, पिता- सुफल सिंह, निवासी-खेरुआ टोला पलमा, डाकघर- गोबरघुसी, थाना- पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

89. जोगेंद्र नाथ मुर्मू, पिता- प्रमेश्वर मुर्मू, निवासी - खेरुआ टोला पलमा, डाकघर- गोबरघुसी, थाना- पटमदा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
90. लखी राम बेसरा, पिता-हपना बेसरा, निवासी-बारूडीह, डाकघर- पगड़ा, थाना-बोराम पटमदा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
91. नबीन सिंह, पिता- बैद्यंत सिंह, निवासी - सिसदा, डाकघर - गोबरघुसी, थाना - पटमदा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
92. सुनील सिंह, पिता- बैद्यनाथ सिंह, निवासी - सिसदा, डाकघर - गोबरघुसी, थाना - पटमदा, जिला - पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।
93. दलपति मुर्मू, पिता- दुबराज मुर्मू, निवासी- बेनगरिया, डाकघर- बालीजुरी, थाना- गुराबांदा, निवासी- सिस्दा, डाकघर- गोबरघुसी, थाना-पटमदा, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1029 / 2016

सनी कुमार सिंह, पिता- गोपाल सिंह, निवासी पुलिस केंद्र, डाकघर और पुलिस स्टेशन-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा, झारखंड

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1036 / 2016

1. दीपक मेहता उर्फ दीपक मेहता, पिता- कुंज बिहारी मेहता, निवासी हनवा, डाकघर- रजवाडीह, थाना-डाल्टनगंज, जिला-पलामू, झारखंड
2. दिनेश तिवारी, पिता- मुरारी तिवारी, निवासी भोगू, डाकघर- खामडीह, थाना-मेदिनीनगर, जिला-पलामू, झारखंड
3. संतोष कुमार, पिता- स्वर्गीय खदेरन राम, निवासी कांडू मुहल्ला, डाकघर- वार्ड नंबर 18, थाना -मेदनीनगर, जिला-पलामू, झारखंड
4. जगदीश कुमार यादव, पिता- नन्हक यादव, निवासी कौरिया, डाकघर- सुआ, थाना- डाल्टनगंज, जिला-पलामू, झारखंड

5. अखिलेश कुमार, पिता- राजेंद्र प्रसाद, निवासी कांदू मुहल्ला, डाकघर- वेलवाटिकर, थाना- मेदिनीनगर, जिला-पलामू, झारखंड
6. शिव शंकर प्रसाद, पिता- विपीन प्रसाद साहू, डाकघर- वर्मा चौक, थाना- मेदिनीनगर, जिला-पलामू, झारखंड
7. शिव पूजन कुमार, पिता- उदय साव, निवासी कांडू मुहल्ला, डाकघर- वार्ड नंबर 18, थाना- मेदिनीनगर, जिला-पलामू, झारखंड

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला-रांची
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला-रांची
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1069 / 2016

1. तेज नारायण प्रसाद, पिता- शिव शंकर प्रसाद, निवासी पुलिस कॉलोनी, डाकघर- हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
2. रघुवीर कुमार, पिता- गोरख सिंह, निवासी पुलिस लाइन वार्ड नं. .9, डाकघर- हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड

3. सुशील कुमार तिवारी, पिता- रामेश्वर तिवारी, निवासी पुलिस कॉलोनी, डाकघर- हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
4. शशि कुमार, पिता- सहदेव राम, निवासी सिंघरावां, डाकघर- सिंघरावां, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, झारखंड
5. प्रमोद कुमार ओझा, पिता- तुलसी ओझा, निवासी कृष्णा पुरी, डाकघर- हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
6. भुनेश्वर साव, पिता- बाबून साव, निवासी बसरिया, डाकघर और थाना-बसरिया, जिला-हजारीबाग, झारखंड
7. अनिल कुमार गुप्ता, पिता- केवल साव, निवासी प्रतापपुर, डाकघर- रामपुर, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, झारखंड
8. सतेंद्र कुमार यादव, पिता- गोपाल प्रसाद यादव, निवासी विकास नगर (दीपुगढ़ा), डाकघर-हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
9. भानु कुमार, पिता- बिरजू राणा, निवासी नूरा, डाकघर -हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
10. अरविंद कुमार शर्मा, पिता- कमलेश शर्मा, निवासी सुभाष नगर, डाकघर- सुभाष नगर, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
11. संतोष कुमार, पिता- /ओ नारायण महतो, निवासी पतरातू, डाकघर और थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
12. धीरेंद्र कुमार, पिता- गुप्तेश्वर, निवासी सुभाष नगर, डाकघर- हजारीबाग, थाना-सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
13. महेश प्रसाद, पिता- लाली यादव, निवासी /ओ मधुबन, डाकघर- बेरोकला, थाना-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग, झारखंड
14. प्रकाश यादव, पिता- बालो यादव, निवासी केदालीकला, डाकघर- बृंदावन, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, झारखंड
15. नरेश यादव , पिता- रामेश्वर गोप, निवासी केदलीकला, डाकघर- बृंदावन, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, झारखंड
16. राज देव कुमार, पिता- केदार रविदास, निवासी केंदुआ, डाकघर- चौपारण, थाना-चौपारण, जिला-हजारीबाग, झारखंड

17. मनोज कुमार यादव, पिता- अयोध्या यादव, निवासी बसरामो, डाकघर- चुगलामो, थाना- बरकैथा, जिला-हजारीबाग, झारखंड
18. संतोष कुमार सिंह, पिता- हीरामन सिंह, निवासी कपका, डाकघर- कपका, थाना- बरकैथा, जिला-हजारीबाग, झारखंड
19. प्रवीण कुमार मेहता, पिता- तालेश्वर प्रसाद मेहता, निवासी पतरारू, डाकघर और थाना- पतरातू, जिला-हजारीबाग, झारखंड
20. भीम साव, पिता- दवे साव, निवासी-जगदीशपुर, डाकघर- पांडेयबारा, थाना-चौपारण, जिला- हजारीबाग, झारखंड
21. सतीश कुमार, पिता- तुलशी रजक, निवासी परतापुर, डाकघर- रामपुर, थाना -चौपारण, जिला-हजारीबाग, झारखंड
22. अजय कुमार ठाकुर, पिता- हुलाश ठाकुर, निवासी खंभवा, डाकघर- खंभवा, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, झारखंड
23. रौशन कुमार सिंह, पिता- अरुण कुमार सिंह , निवासी पतरातू, डाकघर और थाना- पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
24. मोहम्मद समीर अंसारी, पिता- स्वर्गीय सहादत हुसैन, निवासी नईसराय, डाकघर और थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड
25. संतोष कुमार मेहता, पिता- वकील प्रसाद मेहता, निवासी क्वारी गेट, डाकघर- बलकुदरा, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
26. शंकर कुमार, पिता- छोटन महतो, निवासी भुरकुंडा, डाकघर- भुरकुंडा, थाना- पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
27. मोहम्मद माजिद, पिता- मंजूरल हक, निवासी लोहसिंघना, डाकघर- हजारीबाग, थाना- सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
28. सुनील प्रसाद मेहता, पिता- स्वर्गीय जगदीश प्रसाद मेहता, निवासी सौंदा, डाकघर- सौंदा, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
29. मोहम्मद इमरान कौसर, पिता- शमीम अहमद, निवासी नूरा, डाकघर- हजारीबाग, थाना- सदर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
30. अजय कुमार दास, पिता- रामजी राम, निवासी माईल, पो-चितरपुर, थाना-रामगढ़, जिला- रामगढ़, झारखंड

31. मनोज कुमार महतो, पिता- हरिदास महतो, निवासी तेलियातू, डाकघर- बरकाकाना, थाना- पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
32. अजय महतो, पिता स्वर्गीय रामलाल महतो, निवासी चिनगाड़ा, पोच-चिनागड़ा, थाना- पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
33. सुभाष करमाली, पिता स्वर्गीय वंशीलाल करमाली, निवासी पोचरा, पोचरा- बरकाकाना, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
34. तौफीक अंसारी, पिता- मोहम्मद गुलजार अंसारी, निवासी पीरी, डाकघर- बरकाकाना, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
35. दयानंद कुमार, पिता- श्री सूरत कुमार, निवासी बेहराडीह, डाकघर- बेहराडीह, थाना- डोमचांच, जिला-कोडरमा, झारखंड
36. संत किशोर प्रसाद मेहता, पिता- लाखो प्रसाद मेहता, निवासी मील, डाकघर- चितरपुर, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड
37. अर्जुन कुमार यादव, पिता- बुधन यादव, निवासी बरकाकाना, डाकघर- बरकाकाना, थाना- पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
38. गुंजन सिंह, पिता- ददन सिंह, निवासी शास्त्रीनगर, डाकघर और थाना- रामगढ़, जिला- रामगढ़, झारखंड
39. विजय पांडे, पिता- पवन पांडे, निवासी बनपुरा, डाकघर- चुगलामो, थाना-बरकट्टा, जिला- हजारीबाग, झारखंड
40. पूरन महतो, पिता- जिबलाल महतो, निवासी गोरहर, डाकघर और थाना-गोरहर, जिला- हजारीबाग, झारखंड
41. युगेश्वर प्रसाद, पिता- बबुनी महतो, निवासी गैपहाड़ी, डाकघर- काल्हाबाद, थाना-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग, झारखंड
42. कुँवर प्रसाद, पिता- गुलाब चंद महतो, निवासी झुरझुरी, डाकघर- झुरझुरी, थाना- बरकट्टा, जिला-हजारीबाग, झारखंड
43. प्रसाद नाथ महतो, पिता- बंशी महतो, निवासी रिकवा, डाकघर- दारी, थाना-गिद्दी, जिला- हजारीबाग, झारखंड
44. शत्रुधन प्रसाद, पिता- नागेश्वर महतो, निवासी चैनगड़ा, डाकघर- चाहिंगदा, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड

45. राज कुमार राणा, पिता- लोकनाथ राणा, निवासी लगनवां, डाकघर- शिलाडीह, थाना- गोरहर, जिला-हजारीबाग, झारखंड
46. सचिन कुमार, पिता- स्वर्गीय मोलो महतो, निवासी डोमचांच, डाकघर- डोमचांच, जिला- कोडरमा, झारखंड
47. प्रकाश प्रजापति, पिता- जगरनाथ प्रजापति, निवासी जयनगर कुम्हार टोली, डाकघर और थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
48. संजय उराँव, पिता- स्वर्गीय झुबरा उराँव, निवासी रंका चोरधा, डाकघर- भधानी नगर, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखण्ड
49. कुमार उमेश्वर, पिता-रामगढ़, झारखण्ड कुलदीप महतो, निवासी बरतुआ, डाकघर- पलानी, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
50. त्रिवेणी बेदिया, पिता- बुलाका बेदिया, निवासी पाली, डाकघर- पाली, थाना-पतरातू, जिला- रामगढ़, झारखंड
51. रामविकाश बेदिया, पिता- जोगेंद्र बेदिया, निवासी पाली, डाकघर- पाली, थाना-पतरारू, जिला-रामगढ़, झारखंड
52. श्रीकांत महतो, पिता- झमन महतो, निवासी /0 महुआ टोला (लपंगा), डाकघर- भदानीनगर, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
53. तालेश्वर कुमार महतो, पिता- भुनेश्वर महतो, निवासी गरगाली, डाकघर और थाना-मांडू, जिला-रामगढ़, झारखंड
54. गोपाल कुमार यादव, पिता- नेमधारी यादव, निवासी पतरातू, डाकघर और थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
55. कैलाश कुमार मेहता, पिता- मुरली प्रसाद मेहता, निवासी नकारी कॉलोनी, डाकघर- सौंदा। थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
56. अमर कुमार, पिता- मोहन महतो, निवासी भुरकुंडा, डाकघर और थाना-भुरकुंडा, जिला- रामगढ़, झारखंड
57. टिंकू कुमार मेहता, पिता- पोख नारायण प्रसाद मेहता, निवासी बड़काकाना, डाकघर और थाना-बड़काकाना, जिला-रामगढ़, झारखंड
58. सुबोध कुमार, पिता- हेमराज महतो, निवासी भुरकुंडा, डाकघर और थाना-भुरकुंडा, जिला- रामगढ़, झारखंड

59. प्रियतम कुमार, पिता- कुंजलाला महतो, निवासी चैनगड़ा, डाकघर- चंगड़ा, थाना- पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड
60. दिलीप कुमार, पिता- जागेश्वर साव, निवासी रांची रोड, डाकघर- मसर, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड
61. चन्द्रशेखर पटेल, पिता- सेवाचंद महतो, निवासी हीथली मुरगांव, डाकघर और थाना- विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, झारखंड
62. दुलारचंद कुमार, पिता- दिलो महतो, निवासी छोटकी भेलवाड़ा, डाकघर- भेलवाड़ा, थाना- विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, झारखण्ड
63. गिरजा कुमार चौधरी, पिता- स्वर्गीय बुधन महतो, निवासी गोलगा, डाकघर- भेलवाड़ा, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, झारखंड

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1085 / 2016

संदिल टोप्पो, पिता- निस्तोर टोप्पो, निवासी धर्मपुर, डाकघर और थाना-लातेहार, जिला-
लातेहार, झारखंड

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1090 / 2016

बिनोद बेक उर्फ विनोद बेक, पिता- कैलाश बेक, निवासी बारा, डाकघर- मारंगलोइया, थाना-
बालूमाथ, जिला-लातेहार, झारखंड

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।

3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1091 / 2016

1. राकेश कुमार, पिता- महेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी मास्टर पाड़ा, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
2. चंदन कुमार मिश्रा, पिता- महेश दत्त मिश्रा, निवासी मदनाडीह, डाकघर बांसजोड़ा, थाना-लोमाबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
3. वरुण कुमार, पिता- दिनेश शर्मा, निवासी पोखनातिल्हा, डाकघर- हिन्दी विद्यापीठ, थाना-देवघर, जिला-देवघर, झारखंड।
4. जितेंद्र कुमार, पिता- सरजू सिंह, निवासी न्यू बिष्णुपुर, डाकघर- बी। प्लॉयटेक्निक, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
5. नितेश कुमार महतो, पिता- दिलीप कुमार महतो, निवासी प्रधानखंता, डाकघर- प्रधानखंता, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखंड।
6. दीपक कुमार तिवारी, पिता- गोविंद तिवारी, निवासी पुलिस लाइन, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
7. बंधु उराँव, पिता- लोदो उराँव, निवासी पुलिस लाइन इरापुर, डाकघर- धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
8. मोहम्मद शाहीन परबेज, पिता- मोहम्मद जिबैर, निवासी पुलिस लाइन, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
9. रविशंकर कुमार, पिता- विजय सिंह, निवासी चौथायी कुल्ही झरिया, डाकघर और थाना-झरिया, जिला-धनबाद, झारखंड।

10. राजीव रंजन राज, पिता- श्याम किशोर सिंह, निवासी चिरगोड़ा शमशान रोड, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
11. मुकेश कुमार, पिता- रामप्रवेश यादव, निवासी लोदना, डाकघर- लोदना, थाना-तिसरा, जिला-धनबाद, झारखंड।
12. दीपक कुमार, पिता- नंदबिहारी सिंह, निवासी झरनडीह, डाकघर- पॉलिटैक्निक, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
13. भीम सिंह, पिता- स्वर्गीय महावीर सिंह, निवासी हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर- जनता तलार, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
14. सुमित कुमार सिंह, पिता- लाल साहब सिंह, निवासी हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर- धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
15. दुर्गा दत्त तिवारी, पिता- शिव नाथ तिवारी, निवासी नुतुनडीह, डाकघर- जगजीवन नगर, थाना-सरायढेला, जिला-धनबाद, झारखंड।
16. राम नारायण महतो, पिता- घनश्याम महतो, निवासी प्रधानखंता, डाकघर- प्रधानखंता, थाना-बलियापुर, जिला-धनबाद, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1113 / 2016

1. हरि मुंडा, पिता- चंद्रमोहन मुंडा, निवासी तुयू, डाकघर- जहटांडा, थाना-कर्ना, जिला-खूंटी, झारखंड।
2. बर्नार्ड धनवार, पिता- सिरनुस धनवार, निवासी जगू, डाकघर- रायशिमला, थाना-तर्रा, जिला-खूंटी, झारखंड।
3. प्रेम प्रकाश नाग, पिता- देबगाना, निवासी तारासिलादोन, थाना-खूंटी, जिला-खूंटी, झारखंड।
4. पराऊ मुंडा, पिता- बिश्राम मुंडा, निवासी पोकला, डाकघर- ईथे, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
5. दिनेश साहू, पिता- पांडे साहू, निवासी-खेरखाई, डाकघर- अमापकना, थाना-रनिया, जिला-खूंटी, झारखंड।
6. ज्वेल्स तिरु, पिता- साधु तिरु, निवासी सुती, डाकघर- जलटंडा, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
7. प्रमोद कुमार, पिता- भागीरथ राम गंझू, निवासी बेलवादाग, डाकघर- बेलवादाग, थाना-खूंटी, जिला-खूंटी, झारखंड।
8. कुलदीप पूर्ति, पिता- श्री नथनील पूर्ति, निवासी ईदीपिरी, डाकघर- बिंदा, थाना-मुरही, जिला-खूंटी, झारखंड।
9. अशोक कुमार कश्यप, पिता- धनेश्वर राम, निवासी बेलांगी, डाकघर- गुटजोरा, थाना-खूंटी, जिला-खूंटी, झारखंड।
10. जॉन गुरिया, पिता- पॉलस गुरिया, निवासी जुरदाग नवाटोली, डाकघर- जुरदाग, थाना-कर्ना, जिला-खूंटी, झारखंड।
11. राजेश महतो, पिता- तुलसी महतो, निवासी इथे, डाकघर- इथे, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
12. एल्बेन सोय, पिता- निर्मल सोय, निवासी कुर्की, डाकघर और थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
13. धीरज परधिया, पिता- स्वर्गीय बालमुकुंद परधिया, निवासी सरौला, डाकघर- सांगोर, थाना-ककरा, जिला-खूंटी, झारखंड।

14. भोला महतो, पिता- मारवाड़ी महतो, निवासी गनालोया, डाकघर और थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
15. मनराखन महतो, पिता- महावीर महतो, निवासी सारीधकेल, पो-ब्याना, थाना-तोरण, जिला-खूंटी, झारखंड।
16. नंदलाल कुमार, पिता- माधो महतो, निवासी ओकरा, डाकघर- अंगराबाड़ी, थाना-तोरपा, जिला-खूंटी, झारखंड।
17. महेंद्र महतो, पिता- झगु महतो, निवासी बेलांगी, डाकघर- गुटजोरा, थाना-खूंटी, जिला-खूंटी, झारखंड।
18. सिबिलन टोपनी, पिता- नुआस टोपनी, निवासी रामजय, डाकघर और थाना-तोरपा, जिला-खूंटी, झारखंड।
19. अजय मुंडा, पिता- स्वर्गीय लेगो मुंडा, निवासी हेसल, डाकघर- माहिल, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
20. विक्टर ओरेया, पिता- पॉलस ओरेया, निवासी बुरुमा, डाकघर- एसबीएलडीए, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
21. मागो पूर्ति, पिता- तुरी पूर्ति, निवासी मलियादा (बारटोली), डाकघर- सेल्दा, थाना-मुरहू, जिला-खूंटी, झारखंड।
22. सुनील टोपनो, पिता- दुरू टोपनो, निवासी कनकलोया कोरकोटोली, डाकघर- अंबा-पकना, थाना-तोरपा, जिला-खूंटी, झारखंड।
23. अनिल कच्छप, पिता- गंदूर कच्छप, निवासी जारी, डाकघर- रायसिमला, थाना-तोरपा, जिला-खूंटी, झारखंड।
24. राजकुमार किस्पोट्टा, पिता- कोल्हा किस्पोट्टा, निवासी कासीरा, डाकघर- संगर, थाना-कर्मा, जिला-खूंटी, झारखंड।
25. एडवर्ड गुरिया, पिता- सुलेमान गुरिया, निवासी बरकौली, डाकघर- रायसेमला, थाना-तोरपा, जिला-खूंटी, झारखंड।
26. नंदीप ओहदार, पिता- कस्तु ओहदार, निवासी गरसिडाम, डाकघर और थाना-रानिया, जिला-खूंटी, झारखंड।
27. जागेश्वर महतो, पिता- रामदेव महतो, निवासी बाराघाट, डाकघर- सांगोर, थाना-कर्मा, जिला-खूंटी, झारखंड।

28. लच्छू आइंद, पिता- बुधु आइंद, निवासी छोटका रेगरे, डाकघर- लप्पा, थाना-कर्ना, जिला- खूंटी, झारखंड।
29. टीपा डोडराय, पिता- बुधुआ डोडराय, निवासी बालो, डाकघर- बम्हनी, थाना-मुरहू, जिला- खूंटी, झारखंड।
30. मानसीडीह तिरु, पिता- विश्राम तिरु, निवासी पेरका, डाकघर- मढी, थाना-मुरहू, जिला- खूंटी, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला-रांची।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन- जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1477 / 2016

मोहम्मद शमीम इराकी, पिता- मोहम्मद शकीम इराकी, निवासी भूली सेक्टर-5, डाकघर- भूली, थाना-भुली ओपी, जिला-धनबाद, झारखंड।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 2201 / 2016

1. कैलाश गोप, पिता- श्री पारसनाथ गोप, ग्राम-मुरपा, डाकघर- कोराम्बे और थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
2. ललित उराँव, पिता- स्वर्गीय परसु उराँव, ग्राम-अरु, डाकघर- अरु, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
3. सूरज नारायण महली, पिता- श्री सुरेंद्र महली, ग्राम-दानरू, डाकघर- दानरू, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
4. मदन उराँव पिता- श्री सूरजा उराँव, ग्राम-किस्को बंदो टोली, डाकघर और थाना-किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
5. बुद्धदेव भगत पिता- श्री बिरसु भगत, ग्राम-रोरद, डाकघर- पेसरार, थाना-किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
6. बिलचंद उरांव पिता- श्री सुरजा उरांव, ग्राम-होंदगा, डाकघर और थाना-किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
7. अनिल उराँव पिता- श्री महाबीर उराँव, ग्राम-तेतरदार, डाकघर- चारहू, थाना- किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।

8. बिनोद यादव पिता- श्री बाली यादव, ग्राम-अरू, डाकघर- -अरू, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
9. बुधेश्वर यादव पिता- श्री छेदू यादव, ग्राम-तोरार, डाकघर- अरू, थाना- सेन्हा, जिला- लोहरदगा (झारखंड)।
10. 10. बुधराम उराँव पिता- श्री सोमा उराँव, ग्राम-अराहंशा, डाकघर- बदला, थाना - सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
11. दिलीप टोप्पो पिता- श्री मंगरू टोप्पो, ग्राम-कल्हेपाट दीपा टोली, डाकघर- -अरू, थाना - सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
12. लक्ष्मण उराँव पिता- श्री बुधु उराँव, ग्राम+थाना-हनहट, थाना-कैरो, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
13. बिनोद उराँव पिता- श्री देवदाश उराँव, ग्राम-टोटो, आर.ओ.- मसमानो, थाना-भद्रा, जिला- लोहरदगा (झारखंड)।
14. प्रमोद कुमार उराँव पिता- स्वर्गीय भया राम उराँव, ग्राम+डाकघर+थाना-किस्को, जिला- लोहरदगा (झारखण्ड)।
15. अशोक उराँव पिता- श्री बिरसा उराँव, ग्राम-धनमुंजी, डाकघर- बलसोता, थाना - भंडरा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
16. अजीत उराँव पिता- श्री बिनोद उराँव ग्राम-तेतरडाँड़, डाकघर- चारहू, थाना - किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
17. ललित उराँव पिता- श्री सुकरा उराँव, ग्राम-हाटीकुम्बा टोली, डाकघर- इरगाँव, थाना - भंडरा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
18. विजय उराँव पिता- श्री महादेव उराँव, ग्राम-मुरकी, डाकघर- अरेया, थाना - सेन्हा, जिला- लोहरदगा (झारखण्ड)।
19. फूलचंद उराँव पिता- श्री मंगरा उराँव, ग्राम-बानपुर, डाकघर- जोरी, थाना - किस्को, जिला- लोहरदगा (झारखण्ड)।
20. विजय उराँव पिता- श्री जगरनाथ उराँव, ग्राम-पतरातू बड़का टोली, डाकघर- बगरू, थाना - किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
21. दिनेश उराँव पिता- श्री सुकरा उराँव, ग्राम-भैसमुंडो, डाकघर- मसमानो, थाना - भंडरा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।

22. शशिन्दर उराँव पिता- श्री बंधना उराँव, ग्राम-वकील अम्बवा, डाकघर+थाना-भंडरा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
23. सुजीत कुजूर पिता- श्री अशोक कुजूर, ग्राम-बानपुर, थाना, थाना मुहूँ, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
24. कामेश उराँव पिता- श्री फूलदेव उराँव, ग्राम-जनवल, डाकघर + थाना-किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
25. प्रकाश उराँव पिता- श्री उदय उराँव, ग्राम-मन्हो, डाकघर- हिरही, थाना - लोहरदगा, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
26. दशरथ यादव पिता- श्री मंगरा यादव, ग्राम-झालजमीरा तुरी टोली, डाकघर- गगेया, थाना -सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
27. मंटू लोहरा पिता- श्री जादू लोहरा, ग्राम+डाकघर- मसमानो, थाना-भंडरा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
28. संतोष कुमार पिता- स्वर्गीय धनु महतो, ग्राम-भैसमुंडो, डाकघर- मसमानो, थाना - भंडरा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
29. मंटू साहू पिता- श्री रोहित साहू, ग्राम-पतरातू भगत टोली, डाकघर- -बगरू, थाना- किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
30. उषा पन्ना पिता- श्री गोले उराँव, ग्राम-नदिया करचा टोली, थाना +डाकघर- लोहरदगा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
31. राजमुनि उराँव उर्फ राजमुनि कुमारी पिता- श्री साधनु उराँव, ग्राम-सुकुमार, डाकघर- - ओढ़ा, थाना - कुरु, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
32. अनुज उराँव पिता- श्री सुकरा उराँव, ग्राम-बदला नवा टोली, डाकघर- बदला, थाना - सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
33. बेलास बाखला पिता- श्री जोलफोलेश बाखला, निवासी विलोल.-बेथल जामुन टोली, डाकघर- -हेसापीरी, थाना - किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
34. सुनील भगत पिता- श्री बिरिया भगत, ग्राम-मेरहो, डाकघर- -कोराम्बे, थाना - सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
35. घनश्याम भगत पिता- श्री बिश्राम भगत, ग्राम-बेजवाली, डाकघर- भट्टखिजरी, थाना - लोहरदगा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।

36. संजय खाखा पिता- श्री याकूब खाखा, ग्राम-नगरी, डाकघर- + थाना-भंडरा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
37. बिरेन्द्र उराँव पिता- श्री बिशु उराँव, ग्राम-बोंगा, डाकघर- हिसरी, थाना - किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
38. आशीष कुजूर पिता- स्वर्गीय सोहन कुजूर, ग्राम-करक बगीचा टोली, डाकघर- -चिरी, थाना - कुरु, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
39. दिगंबर साहू पिता- श्री-केशवर साहू, निवासी +पी-एस-ग्राम-बंजर किस्को, डाकघर- किस्को, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।
40. भुखला उराँव पिता- श्री अटवा उराँव, ग्राम-हुदहुद, डाकघर- जिंगी, थाना - कुरु, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड)।
41. शाकिर अंसारी पिता- श्री मोहम्मद रोजमथ अंसारी ग्राम-परही बिसाहा टोली, डाकघर-बूटी, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा (झारखंड)।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6667 / 2016

1. गोपाल कुम्हार पिता- श्री दशरथ कुम्हार, निवासी पतराटोली, डाकघर और थाना नामकोम, जिला राँची।
2. बिमल तिर्की पिता- श्री झिरगा तिर्की, निवासी कुसाई, डाकघर- और थानाडोरंडा, जिला राँची।
3. संजीत कुमार पिता- श्री रवीन्द्र शर्मा, ग्राम पंडरा टी.ओ.पी., डाकघर- हेहल, थाना सुखदेव नगर, जिला राँची।
4. श्रीभगवान शर्मा पिता-- संजीत कुमार, निवासी भुईया टोली, इरगु रोड, डाकघर जीपीओ, थाना कोतवाली, जिला राँची।
5. बासुदेव स्वांसी, पिता- श्री चरक स्वांसी, निवासी लोवाडीह, डाकघर और थाना-नामकोम, जिला राँची।
6. अजीत कुमार महतो पिता- श्री विश्वनाथ महतो, निवासी पी पी कॉलोनी, डाकघर और थाना नामकोम, जिला राँची।
7. अरुण कुमार पिता- श्री महेश रे, ग्राम करम चौक, विद्या नगर, दादू होटल के पास, डाकघर हरमू , थाना सुखदेव नगर, जिला राँची।
8. सगुन सिंह पिता- श्री दानी सिंह, निवासी हरमू, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला राँची।
9. विकास कुमार पिता- श्री गुरु प्रसाद, निवासी गांव छोट परासी, डाकघर- परासी, थाना तमाड़, जिला राँची।
10. ईश्वर साहू पिता- श्री गोविंद साहू, ग्राम हुंदुर बंदी टोला, डाकघर हुंडूर थाना पिठोरिया, जिला राँची
11. दामोदर कुमार पिता- श्री अवधेश शर्मा, निवासी इरगु रोड, गाड़ीखाना, डाकघर- हेहल, थाना सुखदेव नगर, जिला राँची।
12. प्रमोद कुमार पिता- श्री मिथलेश शर्मा, निवासी जोड़ा तालाब, बरियातू, डाकघर और थाना बरियातू, जिला राँची।
13. ब्रज किशोर कुमार पिता- श्री सदेय प्रसाद यादव, ग्राम डंगरा टोली, डाकघर जीपीओ राँची, थाना लोअर बाज़ार, जिला राँची।
14. सोनामनी तिग्गा पिता- श्री चमरा उराँव, निवासी हरमू, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला राँची।

15. नारायण रजवार की पिता- मंजू देवी, निवासी, जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला राँची।
16. धीरेन्द्र कुमार शर्मा पिता- स्वर्गीय जगमोहन प्रसाद शर्मा, निवासी हरमू, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला राँची.
17. संतोष कुमार महतो पिता- स्वर्गीय पंचम महतो, ग्राम एडेलडीह, डाकघर जनुमपिरी, थाना- तमाड़, जिला राँची।
18. दुर्जन लोहरा पिता- श्री साईनाथ लोहरा, ग्राम गौतमधारा, डाकघर जोन्हा, थाना अनगढ़ा, जिला राँची।
19. अभिषेक कुमार पिता- श्री राजेंद्र प्रसाद, निवासी डीटी/1515, डाकघर- और थाना धुर्वा, जिला राँची।
20. सुबोध कुमार पिता- श्री रामबाबू, निवासी शिवाजी नगर, होमगार्ड ऑफिस के पास, हरमू कॉलोनी, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला राँची।
21. बनेश्वर महतो पिता- श्री रामदास महतो, निवासी गांव डोर सताकी, डाकघर सताकी, थाना अनगढ़ा, जिला राँची।
22. शर्मिली देवी पत्नी स्व राजेश कुमार सिंह, निवासी बूटी मोड़, डाकघर बूटी मोड़, थाना बूटी, जिला राँची।
23. विजय कच्छप पिता- स्व सोमरा कच्छप, निवासी बड़ा घाघरा, डाकघर और थाना डोरंडा, जिला राँची।
24. प्रकाश महतो पिता- श्री धर्मनाथ महतो, निवासी गांव इरकोद, डाकघर जामुदाग, थाना सोनाहातु, जिला राँची।
25. मुकेश कुमार पिता- परमेश्वर महतो, निवासी बूटी, डाकघर बूटी, थाना सदर, जिला राँची।
26. रंजन कुमार राय पिता- श्री अरविंद कुमार राय, निवासी डी.टी. 2239, टुनकी साइड महावीर मंदिर सेक्टर 9, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला राँची।
27. गीता देवी पत्नी रविन्द्र नाथ महतो, ग्राम सुकुरहुट्टू निवासी, डाकघर और थाना कांके, जिला राँची।
28. रालो देवी पिता- श्री गंगा राम महतो, निवासी गांव लोवाडीह, डाकघर और थाना नामकोम, जिला राँची।

29. सबिता कुमारी पिता- श्री बासुदेव राम, निवासी चुटिया, डाकघर और थाना चुटिया, जिला रांची।
30. सत्य नारायण महतो पिता- श्री लाल मोहन महतो, निवासी गांव खिजुर टोली, डाकघर बूटी, थाना सदर, जिला रांची।
31. लीला कच्छप पिता- श्री बांको कच्छप, निवासी गांव ओबरिया, डाकघर हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची।
32. खुर्शीद अंसारी पिता- शेर अली, निवासी गांव व डाकघर बानापीरी, थाना रातू, जिला रांची।
33. बिमलेश कुमार सिन्हा पिता- श्री शिव शंकर लाल, निवासी इरगु टोली, डाकघर जीपीओ, थाना सुखदेव नगर, जिला रांची।
34. ग्राम न्यू चोरया टोला, डाकघरका. निवासी स्वर्गीय छोटू मुंडा की पिता- पूनम मुंडा। हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची।
35. रोपना तांबा की पिता- पार्वती तांबा, निवासी चोरया टोली, डाकघर हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची।
36. फागंती धान पिता- स्वर्गीय चपड़ा धान, निवासी बड़ा घाघरा (सिरोमटोली), डाकघर और थाना डोरंडा, जिला रांची।
37. अनिता धान पिता- स्वर्गीय चपड़ा धान, निवासी बड़ा घाघरा (सिरोमटोली), डाकघर और थाना डोरंडा, जिला रांची।
38. छोटू साहू पिता- मीनू साहू, निवासी बाली बगीचा, अरगोड़ा, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला रांची।
39. विकाश कुमार पिता- श्री गुरु प्रसाद, ग्राम वरदई, डाकघर- और थाना-बरियातु, जिला रांची।
40. सावित्री देवी पत्नी श्री सूरज ठाकुर, निवासी हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला रांची।
41. फुल कुमारी पिता- श्री सोमरा उरांव, निवासी डोरंडा (बारीक टोली), डाकघर और थाना डोरंडा, जिला रांची।
42. जयंती कैलारा बेक पिता- श्री पोलुश बेक, निवासी हरमू बस्ती, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला रांची।

43. रीतू कुमारी पिता- महादेव उरांव, निवासी कांके रोड, हातमा, डाकघर कांके, थाना लालपुर, जिला रांची।
44. उर्मिला कुमारी पिता- श्री कपिल महतो, निवासी मकान नं. 140 मालसिरिंग, डाकघर मालसिरिंग, थाना पिठोरिया, जिला रांची।
45. बिजेता कुमारी पिता- महादेव मिस्त्री, निवासी मड़वा, डाकघर मड़वा, थाना पिठोरिया, जिला रांची।
46. ब्रज किशोर सिंह पिता- श्री राजेंद्र प्रसाद सिंह, निवासी 2/12, जनता फ्लैट, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला रांची।
47. अजय ठाकुर पिता- श्री अर्जुन ठाकुर, निवासी विद्या नगर, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला रांची।
48. नूरुल हक पिता- अब्दुल लतीफ, निवासी बानापीरी, डाकघर बानापीरी, थाना रातू, जिला रांची।
49. प्रिया कच्छप पत्नी प्रदीप कच्छप, निवासी गांव ओबरिया, डाकघर हटिया, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची।
50. दीपक कुमार पिता- श्री सोनाराम महतो, निवासी गांव सांगा, डाकघर और थाना सांगा जिला रांची।
51. नवनीत कुमार पिता- राम प्रवेश शर्मा, निवासी न्यू पुलिस लाइन, सिंगल क्वार्टर नंबर 11, कांके रोड, डाकघर और थाना कांके, जिला रांची।
52. जितेंद्र साहू पिता- श्री कालू साहू, निवासी चामा, डाकघर बुकरू, थाना कांके, जिला रांची।
53. सुलेखा कुमारी पिता- श्री हलधर महतो, निवासी गांव समलोग बेलबगान, डाकघर नामकोम, थाना नामकोम, जिला रांची।
54. मंटू कोइरी पिता- श्री गणेश कोइरी, निवासी जामुदाग, डाकघर और थाना अरगोड़ा, जिला रांची।
55. रेणुका कुमारी पत्नी ललित किशोर महतो, ग्राम बूटी, डाकघर बूटी, थाना सदर, जिला रांची।
56. शांति कुमारी पिता- स्वर्गीय लुंडू उरांव, निवासी कुसुम बिहार, डाकघर मोरहाबादी, थाना बरियातु, जिला रांची।

57. आशा कुमारी पिता- श्री आशा लिंडा, निवासी करमटोली, डाकघर मोरहाबादी, थाना लालपुर, जिला रांची।
58. अजय कुमार साहू पिता- श्री रामबृक्ष साहू, निवासी हरमू हाउसिंग कॉलोनी, हरमू, डाकघर हरमू, थाना अरगोड़ा, जिला रांची।
59. सुनीता लकड़ा पिता- श्री नथुवा लकड़ा, निवासी सतरंजी, डाकघर हुरहंडू, थाना धुर्वा, जिला राँची।
60. शिला उराँव पिता- स्वर्गीय सुकरा उराँव, निवासी हरमू नदी पार, डाकघर हरमू, थाना सुखदेव नगर, जिला राँची।
61. श्री हरिनाथ महतो पिता-- शशि भूषण महतो, कदमा, डाकघर निवासी। कांके, थाना कांके, जिला रांची.
62. हरिकिस्टो महतो पिता- श्री टुकन महतो, ग्राम मनातू, डाकघर और थाना कामरे, जिला राँची।
63. महेंद्र महतो पिता- स्वर्गीय विशुन महतो, ग्राम निवासी और डाकघर बारीडीह, थाना ओरमांड़ी, जिला रांची.
64. कृष्णा राय पिता- श्री अनिरुद्ध राय, ग्राम राम नगर, डाकघर और थाना चुटिया, जिला राँची।
65. गोपाल कुमार पिता- श्री सर्वदानन्द सिंह, निवासी किशोरगंज, रोड, नं. 2, डाकघर हेहल, थाना सुखदेव नगर, जिला राँची।
66. हरि किशुन साह पिता-- सुबोध कुमार, क्यूआर निवासी। नंबर एल-471, शहरपुरा, डाकघर और थाना सिंदरी, जिला धनबाद।
67. अविनाश कुमार शर्मा पिता- श्री अमरेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी सीएमपीएल, डाकघर और थाना धनबाद, जिला धनबाद।
68. सत्येन्द्र नाथ महतो पिता- श्री श्रीधर महतो, ग्राम सताकी, डाकघर साटाकी, थाना। राहे, जिला राँची।
69. भुनेश्वर कश्यप पिता- श्री इंदर कश्यप, ग्राम बाराबरू, डाकघर- डुंडीगढ़ा, थाना खूँटी, जिला खूँटी.
70. तुरिया तिर्की पिता- सुकरा तिर्की, ग्राम जाजपुर, डाकघर और थाना. सापरोम, जिला राँची।

71. जागेश्वर महतो पिता- श्री रामदेव महतो, ग्राम बरगाई, डाकघर- संगोर, थाना करी, जिला खूंटी.
72. एडवर्ड गुरिया पिता- श्री सुलेमान गुरिया, ग्राम बरकुली, डाकघर रायसेमला, थाना तोरपा, जिला खूंटी.
73. मागो पुरती पिता- श्री तुरी पुरती, ग्राम मलियादा (बारटोली), डाकघर सेल्दा, थाना मुरहू, जिला खूंटी.
74. अनिल कच्छप पिता- श्री गंदूर कच्छप, ग्राम जारी, डाकघर रायसिमला, थाना तोरपा, जिला खूंटी.
75. मनराखन महतो पिता- श्री महाबीर महतो, ग्राम सारिडकेल, डाकघर बिछना, थाना तोरपा, जिला खूंटी.
76. ज्वेल्स तिरु पिता- श्री साधो तिरु, ग्राम सुती, डाकघर जलटंडा, थाना मुरहू, जिला खूंटी.
77. विक्टर ओरेया पिता- श्री पॉलस ओरेया, ग्राम बुरूमा, डाकघर सेल्दा, थाना मुरहू, जिला खूंटी.
78. बर्नार्ड धनवार पिता- श्री सिरनुस धनवार, ग्राम जगु, डाकघर रायशिमला, थाना तोरपा, जिला खूंटी.
79. सिबिलन टोपनो पिता- श्री नुअस टोपनो, ग्राम रामजय, डाकघर तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूंटी।
80. अजय मुंडा पिता- स्वर्गीय लेगो मुंडा, ग्राम हेसल, डाकघर माहिल, थाना मुरहू, जिला खूंटी।
81. सबन कंडुलना पिता- स्वर्गीय बुथुवा कंडुलना, ग्राम लोवा, डाकघर कहतंगा, थाना रांटा, जिला खूंटी।
82. इमैनुअल गुरिया पिता- स्वर्गीय सुधीर गुरिया, ग्राम तोरपा बड़का टोले, डाकघर तोरपा, थाना तोरपा, जिला खूंटी।
83. राम किशन सोनी पिता- स्वर्गीय हरिभंज सोनी, ग्राम सैलॉग डाकघर बिरदा, थाना करी, जिला खूंटी।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, जिसका कार्यालय राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना-डोरंडा, जिला-रांची ।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपने अध्यक्ष के माध्यम से, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची।

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6668 / 2016

1. गुलशन कुमार रजक पिता- श्री राम प्रसाद रजक, ग्राम पुतुर, डाकघर कटहरकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
2. नारद चौधरी पिता- श्री लक्ष्मण चौधरी, ग्राम राजी, डाकघर राजीव, थाना खरौंधी, जिला गढ़वा।
3. पुरुषोत्तम चतुर्वेदी पिता- श्रीकृष्ण चतुर्वेदी ग्राम घुरूआ, डाकघर- शिवपुर, थाना मंझिआंव (कांडी), जिला गढ़वा।
4. मुन्ना लाल पिता- श्री जोगेश्वर राम, ग्राम जमुआ, पी.0. जमुई, थाना नगर उंटारी, जिला गढ़वा।
5. सुनील कुमार यादव पिता- श्री लालू यादव, ग्राम घघरी, थाना. बीरबल, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
6. छोटेलाल यादव पिता- स्व. गोबर्धन यादव, ग्राम टोरी कला, डाकघर- जराही, थाना डंडई, जिला गढ़वा।
7. अरुण कुमार यादव पिता- श्रीहरि प्रसाद यादव, निवासी झोतर, डाकघर जोराही, थाना मेराल, जिला गढ़वा।

8. हरेन्द्र कुमार पासवान, पिता- श्री नरेश पासवान, ग्राम मोरबे, डाकघर मंजियोन, थाना मंझिओन, जिला गढ़वा।
9. नंदू सिंह पिता- स्वर्गीय परमेश्वर सिंह, निवासी चिरका, डाकघर और थाना चिनिया, जिला गढ़वा।
10. राम जनम सिंह पिता- श्री ब्रह्मदेव सिंह, ग्राम रानी चेरी, डाकघर- रानी चेरी, थाना रंका, जिला गढ़वा।
11. अनिल कुमार यादव पिता- नरेश यादव, ग्राम भजनिया, डाकघर और थाना मोहम्मदगंज, जिला पलामू.
12. पम्पू कुमार गुप्ता पिता- श्री सीता साह, ग्राम- लवाही खुर्द, डाकघर- बालेखंड, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
13. बीरेन्द्र सिंह पिता- श्री मंगल सिंह, निवासी जरही, डाकघर जरही, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
14. अजय कुमार ठाकुर पिता- श्री कृष्ण ठाकुर, ग्राम डंडई, डाकघर- डंडई, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
15. मनोज कुमार मेहता पिता- श्री अमृत महतो, निवासी बलिगढ़, डाकघर बेलहरा, थाना गढ़वा, जिला गढ़वा (झारखंड)।
16. सियाराम प्रजापति पिता- श्री भुनेश्वर प्रजापति, ग्राम बीरबल, डाकघर- बीरबल, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
17. उमेश चन्द्र यादव पिता- स्वर्गीय सोहर यादव, ग्राम चिनिया, थाना. चिनिया, जिला गढ़वा।
18. लालमनी यादव पिता- श्री राम बेलास यादव, ग्राम चिनियां, डाकघरसं. और थाना चिनिया, जिला गढ़वा।
19. हेमन्त कुमार पिता- श्री बिनोद राम, ग्राम खोरीडीह, डाकघर- अटौला, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
20. रामप्रवेश सिंह, पिता- श्री तेतर सिंह, ग्राम पृथुखंड, डाकघर- रनपुरा, थाना चिनिया, जिला गढ़वा।
21. देव कुमार राम पिता- श्री नंद केश्वर राम, ग्राम राजी, डाकघर राजी, थाना खरौंधी, जिला गढ़वा।

22. विवेकानन्द पाण्डे पिता- श्री महेंद्र पाण्डे, ग्राम व डाकघर चिन विश्राम, थाना नगर उंटारी, जिला गढ़वा।
23. श्री राम परसाद बैठा पिता-- मनोज कुमार बैठा, ग्राम पुतुर, डाकघर- कथारकल्ला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
24. बुल्लू प्रसाद यादव पिता- श्री मखराज यादव, ग्राम पुतुर, डाकघर- कटहरकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
25. इमाम अली अंसारी पिता- बसरुद्दीन अंसारी, ग्राम तसरार, डाकघर जरही, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
26. जितेनरा कुमार यादव पिता- मखराज यादव, ग्राम पुतुर, डाकघर- कटहरकला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
27. संजय यादव पिता- श्रीनायक यादव, ग्राम खुरी, डाकघर- रनपुरा, थाना चिनिया, जिला गढ़वा।
28. बरुद्दीन हजाम पिता- ताजुद्दीन हजाम, ग्राम भुसुवा, डाकघर मंझियांव, थाना मंझियांव, जिला गढ़वा।
29. अंजनी कुमार तिवारी पिता- श्री राजमणि तिवारी, ग्राम कुट्टी, डाकघर रमकंडा, थाना रंका, जिला गढ़वा।
30. नूर आलम अंसारी पिता- अलीमुद्दीन अंसारी, ग्राम सलगरा, थाना. डुमरिया, पंसस. गढ़वा, जिला गढ़वा।
31. विनय कुमार यादव पिता- श्री सूर्यदेव प्रसाद यादव, ग्राम व डाकघर अरसाली, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा।
32. वीरेन्द्र कुमार पिता- श्री बिरझु राम, ग्राम पिपरी, डाकघर- राजी, थाना खरौंदी, जिला गढ़वा।
33. सत्येन्द्र कुमार बैठा, पिता- श्री करमदेव बैठा, ग्राम सिलिदाग, डाकघर सिलिडाग, थाना नगर उंटारी, जिला गढ़वा।
34. ठाकुर दयाल सिंह पिता- श्री उदन सिंह, ग्राम छतैलिया, डाकघर चिनिया, थाना चिनिया, जिला गढ़वा।
35. रामप्रवेश राम पिता- श्री लालबिहारी राम, ग्राम पिपरी, थाना. राजी, थाना खरौंधी, जिला गढ़वा।

36. सर्वेश कुमार सिंह पिता- स्वर्गीय राम परीखा सिंह, ग्राम पिपरी, थाना. राजी, थाना खरौंधी, जिला गढ़वा।
37. श्योचंद प्रसाद गुप्ता पिता- श्री नगीना प्रसाद गुप्ता, ग्राम बिरावल, डाकघर- बिरावल, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
38. निर्मल राम पिता- श्री गुमान राम, ग्राम टाटीदिरी, डाकघर- तातिदिरी, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
39. राजीव रंजन राय पिता- श्री गंगेश्वर राय, ग्राम पीपरडीह, थाना. महदेइया, थाना नगर उंटारी, जिला गढ़वा।
40. नागेन्द्र विश्वकर्मा पिता- श्री नारायण विश्वकर्मा, ग्राम कुसडण्ड, डाकघर- अधौरा, थाना नगर उंटारी, जिला गढ़वा।
41. बीरेन्द्र प्रसाद पिता- श्री रामध्यान साह, ग्राम डंडई, डाकघर- डंडई, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
42. जितेन्द्र प्रसाद गुप्ता पिता- श्री कृष्ण प्रसाद गुप्ता, ग्राम डंडई, डाकघर डंडई, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
43. नन्हकू साह पिता- श्री जवाहर साह, ग्राम हरिहरपुर, डाकघर हरिहरपुर, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा।
44. संजय कुमार गुप्ता पिता- श्री कृष्ण साह, ग्राम कर्णपुरा, डाकघर रोहिला, डाकघर नगर उंटारी, जिला गढ़वा।
45. राम बली राम पिता- श्री नाथुन राम, ग्राम पिपरी कला, डाकघर पिपरी कला, डाकघर नगर उंटारी , जिला गढ़वा।
46. दिलीप कुमार पिता- श्री सुखारी राम, ग्राम सिलीदाग, डाकघर सिलीदाग, थाना नगर उंटारी, जिला गढ़वा।
47. प्रताप यादव पिता- रामनाथ यादव, ग्राम गेरुआ, डाकघर देवगंगा, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
48. सुनील कुमार पांडे पिता- श्री विजय पांडे, ग्राम करुआ कलां, डाकघर- डुमरिया, पंसस. गढ़वा, जिला गढ़वा।
49. अजय यादव पिता- श्री शिवधर यादव, ग्राम बिशुनिया, डाकघर- गनियारी कला, थाना धुरकी, जिला गढ़वा।

50. अनोज कुमार यादव पिता- श्रीगोपाल यादव, ग्राम झोतर, डाकघरसं. जरही, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
51. आकाश विष्वकर्मा पिता- श्री जगजीवन विष्वकर्मा, ग्राम जरही, डाकघर- जरही, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
52. उदय यादव पिता- श्री शिव लोचन यादव, ग्राम भण्डार, डाकघर और थाना धुरकी, जिला गढ़वा।
53. महेंद्र कुमार पिता- श्री नन्हकू राम, ग्राम ददू, डाकघर- डंडई, थाना मेराल, जिला गढ़वा।
54. मदन कुमार रवि पिता- श्री शिवनाथ राम, ग्राम सोनदाग, थाना. रांका, थाना रांका, जिला गढ़वा।
55. नवल किशोर सिंह पिता- श्री सुदामा सिंह, ग्राम शिशवा, डाकघर उदयपुर, थाना रमकंडा, जिला गढ़वा।
56. मुखलाल यादव पिता- श्री राम प्रसाद यादव, ग्राम रनपुरा, डाकघर रनपुरा, थाना चिनिया, जिला गढ़वा।
57. भादर महली पिता- श्री लक्ष्मण महली, ग्राम हेसागुट्ट, कल्लू टोली, डाकघर अर्को, थाना सिसई, जिला गुमला.
58. अरविन्द यादव पिता- श्री महावीर यादव, ग्राम तुरी लंगुराही, डाकघर- कटेया, पं.स. हरिहरगंज, जिला पलामू.
59. अभय कुमार सिंह पिता- स्व0 शिवनारायण सिंह, ग्राम बिशुनपुर, डाकघर कुरहट कटेया, पं.स. हरिहरगंज, जिला पलामू.
60. अनिल कुमार यादव पिता- श्रीचन्द्रिका यादव, ग्राम चोरटिया, डाकघरसं. घरटिया, थाना रामपुर, जिला पलामू।
61. रमेश यादव पिता- श्री तुलसी यादव, ग्राम सरसोत, डाकघर- सरसोत, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू.
62. नील कुसुम डोडराय पिता- श्री ताई डोडराय, ग्राम काचन, डाकघर रामगढ़, थाना चैनपुर, जिला पलामू.
63. शांति डोडराय पिता- श्री ताई डोडराय, ग्राम काचन, डाकघर रामगढ़, थाना चैनपुर, जिला पलामू.

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, जिसका कार्यालय राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना डोरंडा, जिला रांची।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपने अध्यक्ष के माध्यम से, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची।

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6672 / 2016

1. रंजीत कुमार सिंह, पिता- श्यामसुंदर सिंह, ग्राम बजरंग मुहल्ला, कोडरमा, डाकघर + थाना जिला कोडरमा.
2. सकलदेव यादव, पिता- भिखन यादव, ग्राम खरपोका, थाना. जयनगर, डाकघर मकतपुर, जिला-कोडरमा।
3. पंकज कुमार सिंह, सिंह, पिता- हरिदेव निवासी, ग्राम बजरंग नगर, बाइपास रोड कोडरमा, थाना. और जिला कोडरमा.
4. राजेश ठाकुर, पिता- लखन ठाकुर, ग्राम कांटी, डाकघर- तिलैया बांध, थाना जयनगर, जिला कोडरमा।
5. चंदन कुमार, पिता- मगर यादव, निवासी कांको, कोडरमा। ग्राम कुर्मीडीह, डाकघर- थाना जयनगर, जिला.
6. दिलीप कुमार, ग्राम पूर्णा नगर पो एंड थाना एंड जिला कोडरमा झारखंड
7. अर्जुन यादव, ग्राम धूबाडीह डाकघर जामू थाना मरकच्यो जिला कोडरमा झारखंड।
8. राम बृक्षराम, ग्राम कुर्मीडीह पो कांको थाना चंदवारा जिला कोडरमा झारखंड।

9. दामोदर कुमार यादव, ग्राम सिंगारडीह पो कांको थाना जयनगर जिला कोडरमा झारखंड।
10. संतोष कुमार यादव, ग्राम कांटी पो तेलैया डैम थाना जयनगर जिला कोडरमा झारखंड
11. पिंटू रजक, पिता- लच्छो रजक, ग्राम + डाकघर मार्चोई, थाना सतगावां, जिला कोडरमा।
12. मनोज कुमार यादव, पिता- रामा महतो, ग्राम निमाडीह, डाकघर निवासी। मसमोहना, थाना मरकच्यो, जिला कोडरमा।
13. मो. शमशाद सेराजुद्दीन, जलवाबाद, डाकघर- कोडरमा. अख्तर, पिता- निवासी+थाना + के एमडी गांव जिला.
14. मुंशी यादव पिता-- दिनेश्वर यादव, ग्राम अमजो, डाकघरनि० निवासी। नईटांड, थाना जयनगर, जिला कोडरमा।
15. सुशील कुमार पिता- रामचन्द्र ग्रेन, ग्राम सिमरिया, जामू, थाना। कोडरमा. डाकघर मरकच्यो, जिला.
16. दीपक कुमार यादव, पिता- मदन लाल एल गोप, ग्राम+डाकघर गुझंडी, थाना झुमरीतिलैया, जिला कोडरमा।
17. नितेश कुमार यादव, पिता- कैलाश यादव, ग्राम + डाकघर कांको, कोडरमा. थाना जयनगर, जिला
18. दिलीप कुमार, पिता- स्वर्गीय लालधारी यादव, ग्राम बुचीटांड, डाकघर बागडो, थाना डोमचांच, जिला कोडरमा।
19. प्रफुल्ल कुमार, पिता- बुद्धि प्रसाद, ग्राम नारायडीह, डाकघर बासोडीह, थाना कोडरमा. सतगावां, जिला
20. बिरेन्द्र यादव, पिता- सहदेव यादव, निवासी दशारो, ग्राम कुशहना, थाना. खुर्द, जिला कोडरमा। डाकघर मरकच्यो,
21. विजय कुमार यादव, पिता- बंशी यादव, निवासी कुरमा डीहा मकतपुर, थाना. कोडरमा. जयनगर, डाकघर जिला।
22. जय प्रकाश यादव, पिता- छोटू यादव, 22, ग्राम पहाडीडीह, डाकघर बेहराडीह,. थाना डोमचांच, जिला कोडरमा।
23. पवन कुमार यादव, पिता- पंचानन्द यादव, ग्राम नावाडीह, डाकघर- इंदरवा, थाना कोडरमा, जिला कोडरमा।
24. सावन कुमार, पिता- बेदु, ग्राम झरीटांड, इंदरवा, थाना. +जिला कोडरमा. यादव, डाकघर

25. रविशंकर चौधरी, 25/पिता- गणेश चौधरी, ग्राम+डाकघर मकतपुर, थाना जयनगर, कोडरमा. ज़िला।
26. अनिता कुमारी, पिता- शिव नारायण सिंह, कोडरमा, कोडरमा। निवासी डाकघर + थाना का सहाना रोड + जिला।
27. दिनेश यादव, पिता- बिसुन चौधरी, निवासी भुवालडीह, डाकघर मकतपुर, थाना जयनगर, जिला कोडरमा।
28. मुकेश प्रसाद यादव, पिता- प्रसाद यादव, निवासी नंदूडीह, डाकघर- नंदूडीह, सतगावां, जिला कोडरमा। रीवा गांव के थाना
29. उपेन्द्र कुमार पंडित, पिता- निवासी बिच्छीपहाड़ी, डाकघर बेकोबार, जिला कोडरमा। परमेश्वर गांव थाना +.
30. बिनोद कुमार, पिता- बालेश्वर प्रसाद यादव, ग्राम नावाडीह, डाकघर- खुट्टा, थाना सतगावां, जिला कोडरमा।
31. मो. सरफराज, मो. मकबूल का पिता-, घुरमुंडा, डाकघर निवासी। परसाबाद, थाना जयनगर, जिला कोडरमा।
32. अर्जुन पासवान का पिता- दीपक पासवान, निवासी शिव मुहल्ला, कोडरमा, डाकघर + थाना +जिला कोडरमा.
33. महेश राम, पिता- बनवारी राम, ग्राम काराखुट, डाकघर- बागडो, थाना डोमचांच, जिला कोडरमा।
34. बाबूलाल पासवान का पिता- राजू पासवान, ग्राम महावीर मुहल्ला कोडरमा, डाकघर कोडरमा. + थाना + जिला.
35. आशीष कुमार, पिता- इंद्रदेव यादव, ग्राम सुंदरनगर, डाकघर + थाना +जिला कोडरमा.
36. विक्कू कुमार, सिन्हा, पिता- भवानी प्रसाद, ग्राम शिव मुहल्ला, कोडरमा, डाकघर जिला कोडरमा. + थाना +.
37. मो. तनवीर आलम, पिता- मुस्तफा, लोहाशिकर, गुलाम ग्राम डाकघर का निवासी। बेकोबार, थाना कोडरमा, जिला कोडरमा।
38. महादेव महतो पिता-- मनोज कुमार वर्मा, ग्राम महुआटांड़, डाकघरका0 निवासी। कोडरमा. + थाना मरकच्चो, जिला.

39. कारू कुमार पांडे, पिता- ब्रह्मदेव पांडे, ग्राम जामुखाड़ी, डाकघर कोडरमा. + थाना चंदवारा, जिला.
40. जीतेन्द्र प्रसाद, पिता- उमाशंकर प्रसाद ग्राम कालीडीह, डाकघर बासोडीह, थाना सतगावां जिला-कोडरमा.
41. अरुण यादव पिता-गुली महतो, ग्राम बासडीह, डाकघर चोपनाडीह, थाना मरकच्चो, जिला कोडरमा।
42. दिवाकर कुमार यादव, पिता- तेजो यादव, ग्राम चक, थाना. कांको, थाना जयनगर, जिला कोडरमा।
43. संजय कुमार पिता- किशुन यादव, ग्राम पुतोडीह, डाकघर नंदूडीह, थाना सतगावां, जिला कोडरमा।
44. रवि कुमार, पिता- मुरली शर्मा, ग्राम लंगड़ापीपर, थाना. डोमचांच, थाना डोमचांच, जिला कोडरमा।
45. कुश कुमार रौशन, पिता- बालेश्वर साव, ग्राम दुरोडीह, डाकघर- + थाना डोमचांच, जिला कोडरमा।
46. अरुण कुमार, यादव, निवासी मसनोडीह, थाना. कोडरमा. उपेन्द्र प्रसाद का पिता- ग्राम डाकघर डोमचांच, जिला +
47. .राम प्रवेश गिरि, पिता- बासुदेव गिरि, ग्राम गवनपुर, डाकघर कांको, थाना कोडरमा. जयनगर, जिला.
48. राजेंद्र यादव पिता- बंशी महतो, निवासी चोपनाडीह, कोडरमा। ग्राम बेलाडीह, डाकघर थाना मरकच्चो, जिला।
49. मंटू कुमार, पिता- योगेंद्र सिंह, ग्राम + डाकघर मरचोई, थाना सतगावां, जिला कोडरमा।
50. कमलेश कुमार, पिता- योगेंद्र सिंह, ग्राम + डाकघर मरचोई थाना सतगावां, जिला कोडरमा.
51. राहुल कुमार, पिता- रविशंकर प्रसाद, ग्राम इटायन, डाकघर जोगीडीह, डाकघर सतगावां, जिला कोडरमा।
52. मो. रसीद, पिता- मो. जहीर, ग्राम उरवां, डाकघर + डाकघर चंदवारा, जिला कोडरमा।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, डाकघर जगरनाथपुर, जिला, रांची।
2. सचिव, गृह झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
3. झारखंड राज्य चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर- III, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, जिला रांची । थाना जगरनाथपुर, जिला रांची।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, जिला- रांची, झारखंड

.....प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6702 / 2016

1. रंजीत कुमार, पिता- श्री राजबल्लभ सिंह, हाउसिंग कॉलोनी, धनबाद, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
2. मनोज कुमार, पिता- श्री राम दिनेश शर्मा, निवासी पुलिस लाइन, धनबाद, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
3. सरोज कुमार डे, पिता- श्री धनंजय मोदक, निवासी कतरास बाजार, धनबाद, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
4. विजय कुमार सामल, पिता- श्री चिंता मणि सामल, निवासी धोबी घाट, जगजीवन नगर, धनबाद, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
5. मिथिलेश कुमार, पिता- श्री अशोक कुमार, निवासी दूधीमाटी, कोडरमा, पोस्ट कोडरमा, थाना कोडरमा, जिला कोडरमा।
6. संजीत कुमार, पिता- श्री रामा शंकर प्रसाद सिंह, मनोहर कॉलोनी, हाउसिंग कॉलोनी के पास, धनबाद, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
7. कंचन कुमारी, पिता- स्वर्गीय ननकू प्रसाद, धैया मध्य विद्यालय, धैया, पोस्ट आईएसएम, थाना आईएसएम, जिला धनबाद।

8. बिमलेश प्रसाद, पिता- श्री बबन प्रसाद, फिल्टर लाइन, कुमारधुबी, पोस्ट कुमारधुबी, थाना चिरकुंडा, जिला धनबाद।
9. विजय कुमार, पिता- श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, शास्त्री नगर, गिरिडीह, पोस्ट गिरिडीह, थाना गिरिडीह, जिला गिरिडीह ।
10. प्रकाश कुमार, पिता- श्री लालमणि प्रसाद, निवासी संजय नगर, कालीमंडा, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
11. नितेश कुमार महतो, पिता- श्री दिलीप कुमार महतो, ग्राम प्रधानखंता (छताकुल्ही) । पोस्ट धनबाद, पुलिस स्टेशन धनबाद, जिला धनबाद।
12. शांति देवी, पत्नी ठाकुर प्रसाद महतो, निवासी डोमनपुर, पोस्ट ब्राह्मणडीहा, थाना तोपचांची, जिला धनबाद।
13. गणेश पॉल, पिता- मधु सूदन पॉल, निवासी तोपचांची, पोस्ट तोपचांची, थाना तोपचांची, जिला धनबाद।
14. नूनूचंद महतो, पिता- श्री दुर्गा प्रसाद महतो, कुदामू, पोस्ट तंत्री, थाना तोपचांची, जिला धनबाद।
15. विकाश कुमार प्रसाद, पिता- श्री मिथिलेश प्रसाद, पुलिस लाइन कैम्पस, शिव मंदिर के पास, हीरापुर, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
16. सुनील कुमार यादव, पिता- शिव मुनि यादव, राजा तालाब, बकरी हाट मोड़, झरिया, पोस्ट झरिया, थाना झरिया, जिला धनबाद।
17. सुशील कुमार यादव, पिता- शिव मुनि यादव, राजा तालाब, बकरी हाट मोड़, झरिया, पोस्ट झरिया, थाना झरिया, जिला धनबाद।
18. अखिलेश्वर यादव, पिता- रघुवर यादव, निवासी राजा मैदान, झरिया, पोस्ट झरिया, थाना झरिया, जिला धनबाद।
19. चंदन कुमार मिश्रा, पिता- राम दयाल मिश्रा, निवासी पुलिस लाइन, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
20. कृष्ण मुरारी, पिता- राम बिनय, निवासी पुलिस लाइन, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
21. ओम प्रकाश गोस्वामी, पिता- स्वर्गीय बलराम गोस्वामी, निवासी चिरागोरा, समशान रोड, हीरापुर, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।

22. कुमोद रंजन सिंह, पिता- श्री बालकेश्वर सिंह, निवासी नूतनडीह राँय कॉलोनी, पोस्ट जगजीवन नगर, थाना सरायढेला, जिला धनबाद।
23. राम नारायण महतो, पिता- श्री घनश्याम महतो, निवासी केंदुआडीह, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
24. मुकेश कुमार, पिता- स्वर्गीय रामाधार शर्मा, मनोहर नगर, पानी टंकी के पास, पोस्ट सी.एम.पी.एफ. । पुलिस स्टेशन धनबाद, जिला धनबाद।
25. 25.सावित्री निवास में रहने वाली राम लगन साह की बेटी निशा कुमारी। रंगमटिया, पोस्ट धनबाद, पुलिस स्टेशन धनबाद, जिला धनबाद।
26. जीतू राम महतो, पिता- श्री चुरामन महतो, भिखनीडीह, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
27. अरविन्द कुमार, पिता- श्री असित मंडल, निवासी खेसमी, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
28. अस्मित कुमार, पिता- अशोक सिंह, निवासी पुलिस लाइन, धनबाद, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
29. घन श्याम सिंह, पिता- श्री सरोज प्रसाद सिंह, क्वार्टर नंबर 2179, सेक्टर 12 एफ, पोस्ट बोकारो, पुलिस स्टेशन सेक्टर 12, जिला बोकारो।
30. धर्मेन्द्र कुमार, पिता- स्व. शत्रुघ्न राम, क्वार्टर नं. 959, सेक्टर 9डी, पोस्ट बोकारो, थाना बोकारो सिटी, जिला बोकारो ।
31. सरोज कुमार, पिता- श्री बीरेंद्र कुमार सिंह, क्वार्टर नं. 573 । सेक्टर 3 बी. पोस्ट सेक्टर, पुलिस स्टेशन सिटी थाना सेक्टर 1, जिला बोकारो
32. मो. मुख्तार अहमद, पिता- शब्बीर बाबू अंसारी, निवासी मोहाल, टोला भंडारीबांध, पोस्ट मोहाल, थाना चंदनकियारी, जिला बोकारो।
33. हीरा कुमार चौधरी, पिता- दशरथ चौधरी, निवासी सेक्टर 12 बी, पोस्ट बोकारो, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो।
34. शिवचरण केवट, पिता- रोहन केवट, निवासी दुग्दा बस्ती, पोस्ट करमाटारन, थाना दुग्दा, जिला बोकारो।
35. पवन कुमार साव, पिता- स्वर्गीय तुलसी साव, निवासी दुग्दा बस्ती, पोस्ट करमाटारन, थाना दुग्दा, जिला बोकारो।

36. सतेन्द्र कुमार, पिता- श्री गोपाल प्रसाद, निवासी चिरुडीह, पोस्ट चिरुडीह, थाना नवाडीह, जिला बोकारो।
37. कुलदीप महतो, पिता- मुची राम महतो, निवासी बांधडीह, पोस्ट दुग्दा, थाना दुग्दा, जिला बोकारो,
38. सबन कुमार महतो, पिता- गोस्त बिहारी महतो, निवासी बिरा (डांगा), पोस्ट बिरा, थाना पटमदा , जिला पूर्वी सिंहभूम।
39. डोलगोबिंदा महतो, पिता- श्री बुकु महतो, निवासी गंगारा, पोस्ट बांगुरदा, थाना कमलपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम।
40. शक्ति पदा महतो, पिता- स्वर्गीय गणेश चंद्र महतो, निवासी मुचीडीह, पोस्ट कुड़यानी, थाना बोरम, जिला पूर्वी सिंहभूम।
41. तपन चंद्र महतो, पिता- रत्थू महतो, निवासी हथियाडीह, पोस्ट बाराचिरका, थाना बोरम, जिला पूर्वी सिंहभूम।
42. चिन्मय महतो, पिता- स्वर्गीय विश्वनाथ महतो, कांटागोड़ा, पोस्ट कुमीर, थाना कमलपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले।
43. अनंत लाल सोरेन, पिता- श्री रतन सोरेन, गोलकाटा, पोस्ट बांगुरदा, थाना कमलपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम।
44. गुरु चरण महतो, पिता- घल्टू महतो, निवासी डुंडू, पोस्ट बोरम, थाना बोरम, जिला पूर्वी सिंहभूम।
45. राय मोहन महतो पिता-- फटिक चंद्र महतो, गुगलूबनी, पोस्ट रसिक नगर, थाना बोरम, जिला पूर्वी सिंहभूम के रहने वाले।
46. मोती लाल हांसदा, पिता- स्वर्गीय सुरेंद्र हांसदा, निवासी कांकीडीह, पोस्ट कुमीर, थाना कमलपुर, जिला पूर्वी सिंहभूम।
47. कृष्णा बेसरा, पिता- श्री देवनाथ बेसरा, निवासी सालकुंडा, पोस्ट गेरिया, थाना बिंदापाथर, जिला जामताड़ा।
48. अजीत मरांडी, पिता- कलेश्वर मरांडी, निवासी पहाड़गोड़ा, पोस्ट चापुरिया, थाना बिंदापाथर, जिला जामताड़ा।
49. पृथ्वी चंद्र मरांडी, पिता- शिकार मरांडी, निवासी कालीपाथर, पोस्ट अम्बा, थाना बगडेदारी, जिला जामताड़ा।

50. उत्पल कुमार दत्ता, पिता- श्री जगरनाथ दत्त, निवासी कुंडहित, पोस्ट कुंडहित, थाना कुंडहित, जिला जामताड़ा।
51. सेख रिंकू, पिता- सेख अतुल, निवासी चूहादाहा, पोस्ट बगरहारी, थाना बगरहरी, जिला जामताड़ा।
52. नसीरुद्दीन अंसारी, पिता- मो. हसीमुद्दीन अंसारी, बाघासोला, पोस्ट कुंडहित, थाना कुंडहित, जिला जामताड़ा।
53. नसीरुद्दीन अंसारी, पिता- मो. हसीमुद्दीन अंसारी, बाघासोला, पोस्ट कुंडहित, पुलिस स्टेशन कुंडहित, जिला जामताड़ा ।
54. आशीष पॉल, पिता- स्वर्गीय गौर पॉल, तुलसीचक, पोस्ट अंबा, पुलिस स्टेशन कुंडहित, जिला जामताड़ा ।
55. ओम प्रकाश, पिता- सुमेश्वर सिंह, क्वार्टर नंबर 2-226, सेक्टर 2 बी, पोस्ट सेक्टर 2, पुलिस स्टेशन बीएस सिटी, जिला बोकारो ।
56. मनोज कुमार, पिता- सुरेंद्र सिंह, क्वार्टर नंबर 1358, सेक्टर 9 सी, पोस्ट सेक्टर 9, पुलिस स्टेशन हरला, जिला बोकारो ।
57. इमामुल हुसैन, पिता- बड़ा बाबू अंसारी, उकरीद बस्ती, पोस्ट सेक्टर 12, पुलिस स्टेशन सेक्टर 12, जिला बोकारो ।
58. अमित कुमार महथा, पिता- श्री नरेन्द्र महथा, निवासी रातरी, पोस्ट दुग्धा, थाना दुग्धा, जिला बोकारो।
59. मोहम्मद अली इमाम, पिता- मोहम्मद मनीर हासम, रातारी, पोस्ट दुग्धा, थाना दुग्धा, जिला बोकारो ।
60. धनेश्वर रविदास, पिता- श्री सूदन रविदास, तरंगा, पोस्ट तरंगा, पुलिस स्टेशन नावाडीह, जिला बोकारो ।
61. ज्योति कुमारी, दीना राय यादव की बेटी, सेक्टर 9, बड़ा खटाल, पोस्ट सेक्टर 9, थाना हरला, जिला बोकारो में रहती हैं।
62. हरेन्द्र कुमार सिंह की पत्नी किरण कुमारी, रेलवे कॉलोनी, बालीडीह, पोस्ट बालीडीह, थाना बालीडीह, जिला बोकारो।
63. सबरा बेगम पिता- सकील हुसैन निवासी उकरीद बस्ती, पोस्ट बी.एस. नगर, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो।

63. प्रदीप केवट, पिता- श्री काशी केवट, निवासी दुग्दा, पोस्ट करमाटांड, थाना दुग्दा, जिला बोकारो।
64. गोरी शंकर महतो, पिता- श्री बासुदेव महतो, निवासी चंदुवाडीह, पोस्ट दुग्दा, थाना दुग्दा, जिला बोकारो।
65. शंकर महतो, पिता- श्री दुखन महतो, करमाटांड, पोस्ट करमाटांड, थाना दुग्दा, जिला बोकारो।
66. मनोज कुमार महतो, पिता- ठन्नू महतो, निवासी रातरी, पोस्ट दुग्दा, थाना दुग्दा, जिला बोकारो।
67. दीवान अनवर खान, दीवान उन्नान खान पिता--, जेएपी-4 कैंप, पोस्ट सेक्टर 12, थाना सेक्टर 12, जिला बोकारो ।
68. श्री शनिचर महतो पिता-- कोकिल महतो, अमराटरन, पोस्ट दुग्दा, थाना दुग्दा, जिला बोकारो।
69. नील माया शर्मा, पिता- चुरा मणि शर्मा, सेक्टर 3 ए, पोस्ट बी.एस. में रहती हैं। सिटी, पुलिस स्टेशन बी.एस. शहर, जिला-बोकारो.
70. मानिक कुमार महतो, पिता- श्री गोरा चंद्र महतो, निवासी सुरंगा, पोस्ट सुरंगा, थाना तिसरा, जिला धनबाद।
71. कृष्ण कुमार, पिता- स्वर्गीय शंभु महतो, बेकारबांध, पोस्ट धनबाद, थाना धनबाद, जिला धनबाद।
72. लालजी महतो, पिता- श्री करमू महतो, निवासी ढांगी, पोस्ट प्रधानखंता, थाना बलियापुर, जिला धनबाद।
73. अजय कुमार, पिता- श्री बालेश्वर यादव, निवासी सेक्टर 4 एफ, पोस्ट सेक्टर 4 सी, थाना सेक्टर 4, जिला बोकारो।
74. पंकज कुमार शर्मा, पिता- श्री आलोक शर्मा, निवासी रामडीह मोड़, पोस्ट सेक्टर 9, थाना हरला, जिला बोकारो।
75. संदीप कुमार, पिता- महेंद्र शर्मा, निवासी सेक्टर 1बी, अंबेडकर नगर, पोस्ट सेक्टर 1, थाना सिटी थाना, जिला बोकारो।
76. मनु कुमारी महतो, पत्नी रूपल महतो, निवासी पुपुनकी, पोस्ट पुपुनकी, थाना सेक्टर 12 ए, जिला बोकारो।

77. राकेश कुमार, पिता- स्वर्गीय मुनेश्वर सिंह, जोशी कॉलोनी, पोस्ट माराफारी, पुलिस स्टेशन बी.एस. सिटी, जिला बोकारो ।
78. चंदन कुमार, पिता- श्री सचिता नंद सिंह, जोशी कॉलोनी, लकड़ा खंडा, पोस्ट सिवानडीह, पुलिस स्टेशन बी.एस. सिटी, जिला बोकारो ।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, रांची, प्रोजेक्ट भवन, पोस्ट धुर्वा, पुलिस स्टेशन जगन्नाथपुर, जिला रांची।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, रांची, प्रोजेक्ट भवन, पोस्ट धुर्वा, पुलिस स्टेशन जगन्नाथपुर, जिला रांची ।
4. महानिदेशक, होम गार्ड, झारखंड, रांची, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डोरंडा, पोस्ट डोरंडा, पुलिस स्टेशन डोरंडा, जिला रांची।
5. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची अपने अध्यक्ष के माध्यम से काली नगर, चाय बागान, नामकुम, पोस्ट नामकुम, पुलिस स्टेशन नामकुम, जिला रांची ।
6. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची, काली नगर, चाय बागान, नामकुम, पोस्ट नामकुम, पुलिस स्टेशन नामकुम, जिला रांची ।

उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6853 / 2016

1. वाल्टर मिंज पिता- श्री एमिल मिंज ग्राम घाघरा, डाकघर कांसी, थाना रायडीह, जिला गुमला.
2. कमल टोप्पो पिता- श्री लक्ष्मण टोप्पो ग्राम पुगू ढौंठा टोली डाकघर- अरमई, थाना और जिला गुमला.
3. कमल मुंडा पिता- स्वर्गीय अघनु मुंडा ग्राम जहान गुटवा डाकघर और थाना बिसुनपुर, जिला गुमला.

4. झरी भगत पिता- श्री नागा भगत ग्राम घाघराटोंका टोली, डाकघर और थाना घाघरा जिला गुमला.
5. सिंहासन भेंगरा पिता- श्री पौलुस भेंगरा ग्राम सुरमगर सिमदार टोली, डाकघर सुरमगर, थाना चैनपुर, जिला गुमला.
6. बिश्वनाथ उराँव पिता- श्री सहदेव उराँव ग्राम भवरगनी, डाकघर सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला.
7. मझिया उराँव पिता- श्री देवमोहन उराँव ग्राम महुगाँव डाकघर ईचा, थाना घाघरा, जिला गुमला.
8. रामचन्द्र उराँव पिता- श्री बंधनु उराँव ग्राम सुकुरहुटू लालटोली, डाकघर- पाबेया, पी.एल.एस. भरनो, जिला गुमला.
9. मनीष उराँव पिता- श्री रतिया उराँव ग्राम गरवाली गंगुवा टोली डाकघर पुसो, थाना सिसई, जिला गुमला.
10. संजय उराँव पिता- श्री अंगनु उराँव ग्राम बहादुरा, डाकघर कुगाँव, थाना घाघरा जिला गुमला.
11. सुरेश उराँव पिता- स्वर्गीय सुकरा उराँव ग्राम बनतरिया, डाकघर लुंगटू, थाना बसिया, जिला गुमला.
12. अशोक महतो पिता- श्री फिरू महतो ग्राम परवल, डाकघर- दस्तिया, थाना भरनो, जिला गुमला.
13. नन्दलाल यादव पिता- श्री कृष्ण यादव ग्राम रूकी, डाकघर तुकी, थाना घाघरा, जिला गुमला.
14. दशरथ कुमार बड़ाईक पिता- श्री पुनी बड़ाईक, ग्राम बानागुटु जोगोटोली, डाकघर और थाना बसिया, जिला गुमला.
15. श्री रामदेव गोप पिता-- राजेंद्र गोप, ग्राम अमलिया पीपर टोली, डाकघर- अमलिया, थाना भरनो, जिला गुमला.
16. इन्द्रजीत उराँव पिता- श्री अर्जुन उराँव ग्राम बड़कादोहर, डाकघर, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला.
17. ईश्वर साहू पिता- श्री बिनेश्वर साहू ग्राम करौंदी, डाकघर- करौंदी, प्र.स. और जिला गुमला.

18. जीतेन्द्र साहू पिता- श्री रघुशेश्वर साहू ग्राम रेहे टोली, डाकघर और थाना बिशुनपुर, जिला गुमला.
19. दशरथ उराँव पिता- श्री महादेव उराँव ग्राम कुहीपाट बरवाटोली, डाकघर गुनिया, थाना घाघरा, जिला गुमला.
20. जूलियस कुल्लू पिता- श्री अंजेलस कुल्लू ग्राम गोजा बनटोली, डाकघर बघिमा, थाना पालकोट, जिला गुमला.
21. नंद कुमार यादव पिता- श्री बंधन महतो ग्राम बरंडा, डाकघर पाबेया, थाना भरनो, जिला गुमला.
22. संजीव टोप्पो पिता- श्री चारो टोप्पो ग्राम महाराजगंज, डाकघर गंगरा, थाना बसिया, जिला गुमला.
23. सुखदेव महतो पिता- श्री फेकला महतो ग्राम बुहीरपाट, डाकघर और थाना भरनो, जिला गुमला.
24. तारकेश्वर उराँव पिता- श्री करमा उराँव ग्राम सिंगरौली, डाकघर- मारासिली, थाना भरनो, जिला गुमला.
25. गणेश भगत पिता- श्री मेघनाथ भगत ग्राम दंतोली, डाकघर- मझगांव, थाना डुमरी, जिला गुमला.
26. तुलसी कुजूर पिता- श्री सुलेमान कुजूर ग्राम अलंकेरा झगरदार, डाकघर- बघीमा, थाना पालकोट, जिला गुमला.
27. कपिल लोहरा पिता- श्री जयनाथ लोहरा ग्राम कनचोरा, डाकघर केमटे, थाना रायडीह, जिला गुमला.
28. कार्तिक उराँव पिता- श्री बिरसाय उराँव ग्राम पांडनटोली, डाकघर सिलम, थाना रायडीह, जिला गुमला.
29. जॉर्ज किरा पिता- श्री फ्रांसिस किरा ग्राम मरदा तेतर टोली, डाकघर मर्दा, थाना लकोट, जिला गुमला.
30. दुर्गेश उराँव पिता- श्री शनि चरवा उराँव ग्राम मईल, डाकघर -देवारी, थाना घाघरा, जिला गुमला.
31. बुधवा उराँव पिता- श्री बिश्वनाथ उराँव ग्राम कुम्हरो सतीटोली, डाकघर और थाना भरनो, जिला गुमला.

32. बंधना उराँव पिता- श्री दुखु उराँव ग्राम मारासिली, डाकघर और थाना भरनो जिला गुमला.
33. कुलदीप सिंह पिता- लगते जीतू सिंह ग्राम हरी, डाकघर शिवनाथपुर, थाना सिसई, जिला गुमला.
34. करमचंद लोहरा पिता- श्री महावीर लोहरा ग्राम ओमेसेरा, डाकघर करंज, थाना भरनो, जिला गुमला.
35. केश्वर यादव पिता- श्री कालेश्वर यादव ग्राम चामा, डाकघर सारंगो, थाना घाघरा, जिला गुमला.
36. सिलवानुस सोरेंग पिता- श्री एलियाजेर सोरेंग ग्राम सुरहु नवाटोली, डाकघर सुरहू, थाना कामडारा, जिला गुमला.
37. अरुण टोप्पो पिता- श्री कार्लुस टोप्पो ग्राम कोयनार टोली, डाकघर सातो, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला.
38. पंचू उराँव पिता- श्री बसुवा उराँव ग्राम खरका, डाकघर अमलिया, थाना भरनो, जिला गुमला.
39. सेबियान कौंगारी पिता- स्वर्गीय सोमा कौंगारी ग्राम सरिता डाकघर सरिता थाना कामडारा, जिला गुमला.
40. बसंत टोप्पो पिता- श्री छन्दू टोप्पो ग्राम करसिली, डाकघर तुसगांव, डाकघर घाघरा, जिला गुमला।
41. एरेनियस टोपनो पिता- श्री विंसेंट टोपनो ग्राम रामतोल्या डाकघर- रामतोल्या डाकघर कामडारा, जिला गुमला।
42. प्रवीण टोप्पो पिता- श्री क्रिस्टोफर टोप्पो ग्राम तुलमुंगा, डाकघर मांझाटोली, थाना रायडीह, जिला गुमला।
43. राज कुमार गोप पिता- श्री जेठू गोप ग्राम मलाई हाटोटोली, डाकघर बाघेमा, थाना पालकोट, जिला गुमला।
44. बंधनु धनवार पिता- श्री टुइलू धनवार निवासी गांव चौकटंगरा, डाकघर और थाना पालकोट, जिला गुमला।
45. अब्राहम लकड़ा पिता- श्री प्रभु प्रकाश लकड़ा निवासी गांव तिग्गावाल, डाकघर और थाना चैनपुर, जिला गुमला।

46. अजय तिर्की पिता- श्री सुधराम तिर्की निवासी गांव लोहरा, डाकघर चिरैया, थाना डुमरी, जिला गुमला।
47. सुमन कुल्लू श्री बेनेडिक्ट कुल्लू पिता--, निवासी गांव कुलुसेरा, डाकघर लुंगटू, थाना बसिया, जिला गुमला।
48. श्री बहुरन लोहरा पिता- सुरेन्द्र लोहरा, गांव सिलपेरी, डाकघर और थाना चैनपुर, जिला गुमला।
49. श्री ओसवाल्ड सुरीन पिता- रूपस सुरीन, गांव बेतेरकेरा, डाकघर कुरकुरा, थाना कामडारा, जिला गुमला।
50. मनोज तिर्की पिता- श्री एतवा तिर्की ग्राम चितापीर, डाकघर अंबा पखना, थाना कामडारा, जिला गुमला।
51. अरिल टोपनो पिता- श्री पांडे टोपनो ग्राम कोंडेकेरा बागीचाटोली, डाकघर पोकला, थाना कामडारा, जिला गुमला।
52. संदीप उरांव पिता- श्री मंगरा उरांव ग्राम सिलम, डाकघर सिलम, थाना रायडीह, जिला गुमला।
53. सीताराम उरांव पिता- श्री बंधन उरांव ग्राम बरडीह, डाकघर तबेला, थाना चैनपुर, जिला गुमला।
54. जगतपाल कुजूर पिता- श्री सोमा कुजूर ग्राम उरु बरडीह, डाकघर तबेला, थाना चैनपुर, जिला गुमला।
55. जितेन्द्र मुंडा पिता- श्री रतिया मुंडा ग्राम कोंडरा, डाकघर कोंडरा, थाना रायडीह, जिला गुमला।
56. सुलेन्द्र नाग पिता- श्री रामचन्द्र नाग ग्राम गरई, डाकघर और थाना कामडारा, जिला गुमला।
57. जतरू उरांव पिता- स्वर्गीय बरखू उरांव ग्राम सुपा महुवाटोली, डाकघर पबेया, थाना भरनो, जिला गुमला।
58. अनिल लकड़ा पिता- श्री विलम लकड़ा ग्राम लुरु, डाकघर कुरुमगढ़, थाना चैनपुर, जिला गुमला।
59. उमलेश उरांव पिता- श्री सोमरा उरांव ग्राम पेटसेरा, डाकघर और थाना पालकोट, जिला गुमला।

60. एतवा मांझी पिता- श्री सुकरा मांझी ग्राम कुलकुकेरा भंडारटोली, पो. पोर्जेगा, थाना पालकोट, जिला गुमला।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
4. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।
5. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004।

... ..प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6939 / 2016

1. पंकज कुमार पिता- स्वर्गीय हरिहर बैठा, ग्राम सोहगरा, पो. शिवपुर, थाना कांडी, जिला गढ़वा।
2. उलेन्द्र कुमार गुप्ता पिता- स्वर्गीय द्वारिका साव, ग्राम सोहगरा, पो.आ. शिवपुर, थाना कांडी, जिला गढ़वा।
3. मिथिलेश कुमार रजक पिता- लखन लाल रजक, ग्राम चोरार, डाकघर- उदयगढ़, पी.एल.एस. छतरपुर, जिला पलामू।
4. अखिलेश राम पिता- स्वर्गीय राम सेवक राम, ग्राम नैनाबार, पो. कांडी, थाना कांडी, जिला गढ़वा।

5. सुनील कुमार मेहता पिता- श्री शंकर मेहता, ग्राम डुमरसोता, पो. कांडी, थाना भवनाथपुर, जिला गढ़वा।
6. कमलेश यादव पिता- स्वर्गीय रामजी यादव, ग्राम बेलहथ, पो.सं.
7. बेलहथ, थाना कानि, जिला गढ़वा।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और पुलिस स्टेशन धुर्वा, जिला-रांची।
3. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, पुलिस स्टेशन-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, पुलिस स्टेशन-जगरनाथपुर, जिला-रांची।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम जिला रांची।

... .. उत्तरदाता

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 7123 / 2016

1. राकेश कुमार साहू पिता- संतोष साहू ग्राम लावागेन, पोस्ट लावागेन, पोस्ट कुरु, जिला लोहरदगा।
2. सिबोल भगत पिता- बिंदेश्वर भगत ग्राम उमरीदुवार पोस्ट सिंगो जिला लोहरदगा।
3. इस्टर बाखला पिता- निर्झर बाखला ग्राम बंसरी, पोस्ट सेन्हा जिला लोहरदगा।
4. सुरेश लोहरा पिता- समुंदर लोहरा ग्राम परही बाबर टोली, पोस्ट हेसवे पोस्ट सेन्हा जिला लोहरदगा।
5. संजय कुमार पाहन पिता- बोलको पाहन ग्राम कनरगान, पोस्ट करंगन, जिला लोहरदगा।

6. राजपति कुमारी पिता- सनी चरवा लोहरा ग्राम करचा टोली, पोस्ट लोहरदगा, जिला. लोहरदगा.
7. चांदनी किंडो ग्राम निवासी रेंगा किनोड़ का पिता-। करचाटोली, थाना और जिला. लोहरदगा.
8. सोहनी लकड़ा पिता- दयानंद उराँव ग्राम। कामो पात्र टोली, डाकघर लोहरदगा, जिला. लोहरदगा.
9. भुखला उराँव पिता- एतवा उराँव निवासी हुरद पो. जिमी जिला. लोहरदगा.
10. सुशील उराँव पिता- वेंकटेश्वर उराँव ग्राम जोरी, नवाटोली, पो. जोरी थाना लोहरदगा, जिला. लोहरदगा.
11. आशीष गोड़, पिता- चक्रधारी गोप, ग्राम रघु डाकघर हरमू जिला. लोहरदगा.
12. ग्राम निवासी बरजू रवानी का पिता- नवल कुमार रवानी। अरहांसा डाकघर बदला, थाना सेन्हा जिला. लोहरदगा.
13. पंकज भगत पिता- बुदराम भगत ग्राम कुजरा बरवा टोली, पो. कुजरा, थाना लोहरदगा, जिला. लोहरदगा.
14. सुबाष उराँव पिता- राजेन्द्र उराँव ग्राम कुट्टमु फिकवा डाकघर निगनी जिला. लोहरदगा.
15. राजेंद्र उराँव पिता- बंदे उराँव ग्राम भिट्टा डाकघर भिट्टा, थाना भंडरा जिला. लोहरदगा.
16. सुरेंद्र कुमार साहू पिता- चांद साहू ग्राम. मर्ले डाकघर - हिसरी, थाना किस्को जिला. लोहरदगा.
17. मथुरा साहू पिता- कलेश्वर साहू ग्राम भौरारो डाकघर भौरो, थाना भनरा जिला. लोहरदगा.
18. ग्राम निवासी रामलाल गोप का पिता- नागेन्द्र गोप कोलसिमरी थाना लवागई, थाना कुरु, जिला. लोहरदगा.
19. बिष्णु मुंडा ग्राम निवासी चुटुवा मुंडा का पिता- हुरहुरी, डाकघर रातू जिला. रांची.
20. जीतबाहन उराँव पिता- एतवा उराँव ग्राम बगरू, जामुनटोली, डाकघर और थाना और जिला. लोहरदगा.
21. देवनाथ कुमार पिता- बैजनाथ साहू ग्राम बुर्का डाकघर मसमानो थाना भांडा जिला. लोहरदगा.
22. बिरेन्द्र उराँव पिता- बिशु उराँव ग्राम बोंगा, थाना हिसरी, थाना किस्को, जिला. लोहरदगा.
23. महेश उराँव पिता- जीतराम उराँव ग्राम हिश्री, थाना किस्को, जिला. लोहरदगा.

24. रामकिशुन उराँव पिता- एतवा उराँव ग्राम तुइमी झापीपाथर, डाकघर कुराग, थाना सेन्हा, जिला. लोहरदगा.
25. दिनेश उराँव पिता- बिश्वनाथ उराँव ग्राम नान्तिलो झखरा टोली, डाकघर लवागिन, डाकघर कुरु, जिला. लोहरदगा.
26. रणधीर उराँव पिता- जकुया उराँव ग्राम झिको थाना झिको चट्टी, थाना भंडरा जिला. लोहरदगा.
27. इन्द्रु तिग्गा पिता- सुक्रास तिग्गा ग्राम निवासी मन्हो सिया टोली, डाकघर हिरही, थाना और जिला. लोहरदगा.
28. राजेश गोप पिता- विश्वनाथ गोप ग्राम निवासी प्राहा डाकघर सेमरा थाना भादरा जिला. लोहरदगा.
29. दशरथ महली पिता- पूरन महली ग्राम कुंडगारी डाकघर अरु थाना सेन्हा जिला. लोहरदगा.
30. निरज कुमार पासवान पिता- महेंद्र माझी ग्राम पो. धावाडीह, थाना लेस्लीगंज, जिला. पलामू.
31. प्रमोद राम पिता- राज मोहन राम ग्राम + थाना धावाडीह, थाना लेस्लीगंज, जिला. पलामू.
32. गजेन्द्र प्रसाद पिता- बन्धु साव ग्राम रीवा रातू, डाकघर धावाडीह, थाना लेस्लीगंज, जिला. पलामू.
33. शाबिर अंसारी पिता- जान मोहम्मद अंसारी ग्राम बोहिता डाकघर धावडीह, थाना. लेस्लीगंज, जिला. पलामू.
34. महेंद्र कुमार यादव पिता- ब्लोलारिक यादव ग्राम भवर्धन डाकघर असेशर थाना पनकी जिला. पलामू.
35. शंकर यादव पिता- रामधनी यादव ग्राम रबडा, डाकघर कंडा थाना बलरामपुर, जिला. पलामू.
36. हयूम खान पिता- अब्दुल रहीम खान ग्राम बारी डाकघर खामडीह, थाना डाल्टनगंज, जिला. पलामू.
37. रंजीत कुमार पिता- सत्यदेव मिस्त्री निवासी कांदू मुहाला वर्मा चौक वार्ड संख्या 26 थाना. डाल्टनगंज जिला. पलामू.
38. बिजेन्द्र पासवान पिता- बिपत पासवान ग्राम बिश्रामपुर डाकघर सरैया थाना हरि हरगन जिला. पलामू.

39. गणेश प्रसाद यादव पिता- श्री अक्षय कुमार यादव ग्राम भंवरदाह डाकघर आसेहर थाना पनकी जिला. पलामू.
40. मनोज कुमार यादव पिता- स्वर्गीय सोहराय यादव ग्राम निवासी भंवरदाह डाकघर आसेहर थाना पनकी जिला. पलामू.
41. संतोष कुमार पिता- श्री कामेश्वर पासवान ग्राम निवासी सेमरवार डाकघर खरगपुर, थाना हरिहरगंज, जिला पलामू.
42. उमेश सिंह पिता- श्री गिरवर सिंह ग्राम। मुर्मा थाना सतबरवा, पंस. डाल्टनगंज, जिला. पलामू.
43. जनेश्वर कुमार यादव पिता- श्री नन्हक प्रसाद यादव ग्राम कौरिम डाकघर सुआ, थाना डाल्टनगंज, जिला पलामू।
44. सुनील राम पिता- श्री मुनेश्वर राम ग्राम डाकघर बकोरिया थाना सतबरवा जिला पलामू।
45. परविंद उरांव पिता- मिथलेश उरांव निवासी गांव कोडवरिया डाकघर सकलदीपोआ थाना पिपटा जिला पलामू
46. राजा राम पिता- द्वारिका राम निवासी गांव डाकघर पिपरा थाना पिपरा जिला पलामू
47. रामू कुमार राय पिता- सुनियर राय निवासी गांव कोडवरिया भांगा डाकघर सकलदीपा थाना हरिहरगंज, जिला. पलामू.
48. नागदेव यादव पिता- दुखी यादव ग्राम। सुशीगंज डाकघर लथेया थाना छतरपुर, जिला. पलामू.
49. संतोष पीडी. कामेश्वर पंडित पिता-- यादव. यादव ग्राम निवासी स्व. राजहरा, डाकघर धनगंवा, थाना लेस्लीगंज, जिला. पलामू.
50. रवीन्द्र कुमार पाण्डे पिता- श्री चूरन पाण्डे ग्राम। केकाकला, डाकघर काकाकला, थाना पाटन, जिला. पलामू.
51. दिलीप कुजूर पिता- दानिला कुजूर निवासी बानपुर दशहरा टोली, पो. जोरी, थाना किस्कू जिला. लोहरदगा.
52. त्रिपति नाथ पांडे पिता- गैबी नाथ पांडे ग्राम। हरहरगुट्ट, प्रसाद बागान, थाना बागबीरा जिला जमशेदपुर।
53. विनता दास पिता- स्वर्गीय चंद्रिका रविदास निवासी मकान नं. 09, सीआर आरडी नं. 10, दैगो, टीटीओ, कुम्हारपाड़ा डाकघर आजाद नगर थाना मनोग जिला जमशेदपुर।

54. जितेंद्र यादव पिता- गुलाब चंद यादव ग्राम बेटा डाकघर रानपुरा, थाना चिन्या जिला गढ़वा।
55. जगजीवन राम पिता- रामदेनी राम ग्राम भनादर थाना धुरकी, थाना टाटीदिरी, जिला गढ़वा।
56. सुमेश राम पिता- कृष्णा राम ग्राम। बेतिया डाकघर रानपुरा थाना चिनिया जिला. गढ़वा
57. अजय राम पिता- कैलाश राम ग्राम. सगमा डाकघर कटहरकला, थाना धुरकी जिला. गढ़वा.
58. कामेश्वर राम पिता- बदुरी राम ग्राम। सुगमा डाकघर कटहरकला, थाना धुरकी जिला. गढ़वा.
59. ग्राम निवासी रामेश्वर राम पिता-- सुमंत कुमार पासवान। रेजो डाकघर बनास थाना मेराल जिला. गढ़वा.
60. मिथुन कुमार सिंह पिता- जगरनाथ सिंह ग्राम निवासी। + डाकघर बांका थाना मेराल जिला. गढ़वा.
61. अरुण कुमार पिता- नागेन्द्र साव ग्राम निवासी। गोंडा, डाकघर बाना थाना मेराल जिला. गढ़वा.
62. सनोज प्रसाद पिता- हेमचंद प्रसाद ग्राम. पुंडगा, डाकघर उदयपुर, थाना रमकंडा जिला. गढ़वा.
63. बिरसा मुडना ग्राम कुँवर सिंह मुंडा पिता--। कुरुमगारी डाकघर उदयपुर, थाना रमकंडा जिला. गढ़वा.
64. मोहम्मद अख्तर अंसारी पिता- अब्दुल गफ्फार अंसारी ग्राम। चामा डाकघर पेस्का थाना मेराल जिला. गढ़वा.
65. उमेश प्रसाद पिता- अशोक सेव ग्राम जांगपेपर डाकघर मोरबे थाना मंझिआंव जिला गढ़वा
66. जीतेन्द्र साव पिता- परिखा साव ग्राम करकट्टू पो. मोरबे थाना मांझीसन जिला गढ़वा
67. ललन साव पिता- सरयू साव ग्राम जांगरेपुर.पो. मोरबी थाना मांझिआंव जिला गढ़वा
68. पवन कुमार पिता- स्वर्गीय परमेश्वर नाग ग्राम डाकघर हनिहाट थाना कैरो जिला लोहरदगा
69. राम निवास गोप पिता- निर्मल निवास गोप ग्राम बगरू डाकघर, बगरू थाना बगरू जिला लोहरदगा
70. राजेश कुमार पिता- ली भुक्ता बैठा निवासी गांव +डाकघर+थाना कुरु जिला लोहरदगा

71. कलाम अंसारी पिता- मोहम्मद कमरु मियां निवासी गांव थांस टोली डाकघर और थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा
72. जफर अहमद पिता- नसीम अहमद निवासी गांव पावर गंज डाकघर और थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा
73. मोहम्मद फैयाज अंसारी पिता- मोहम्मद समसुल अंसारी ग्राम सेन्हा डाकघर सेन्हा थाना सेन्हा जिला लोहरदगा
74. बिंदेश्वर उरांव पिता महादेव उरांव ग्राम छोटकी चानपी डाकघर बड़की चानपी थाना कुरु जिला लोहरदगा
75. मनोज उरांव पिता- स्वर्गीय महारा उरांव ग्राम उरुमुरु पो. जिंगी थाना कुरु जिला लोहरदगा
76. महादेव लकड़ा पिता- सुकरु लकड़ा ग्राम हिरही टोंगरी टोली डाकघर हिरही जिला लोहरदगा
77. रामजीत उरांव पिता- सुकरा उरांव निवासी आठवीं निरहू डाकघर- चारहु थाना किस्को जिला लोहरदगा
78. आशीष कुजूर पिता- स्वर्गीय सोहन कुजूर ग्राम करक बगीचा टोली, डाकघर- चिरी थाना कुरु जिला लोहरदगा
79. रामजीत उरांव पिता- सोमरा उरांव निवासी V III अरेयाटंगरा टोली डाकघर- अरेया थाना किस्को जिला लोहरदगा
80. मो. मुस्तफा अंसारी पिता- सफीउद्दीन अंसारी ग्राम तिगरा डाकघर अर्कोसा थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा
81. राज कुमार कच्छप पिता- स्वर्गीय मंगलू मिस्त्री निवासी बानपुर दसरा, डाकघर जोरी टोली, थाना किस्को जिला लोहरदगा
82. बालक महली स्वर्गीय गंगा महली पिता--, ग्राम बहरगांव, डाकघर अरु डाकघर सेन्हा, जिला लोहरदगा
83. बिनोद उरांव, पिता- घुरना उरांव, निवासी आठवीं आनंदपुर, डाकघर जोरी, डाकघर कोसको, जिला लोहरदगा
84. राज बंधु पन्ना, पिता- अटवा पन्ना, निवासी आठवीं बानपुर, दसरा टोली डाकघर जोरी थाना किस्को जिला लोहरदगा
85. बिनोद उरांव पिता- देवदश उरांव निवासी आठवीं टोटो डाकघर मैसमानो थाना भंडरा जिला लोहरदगा

86. अंजू कुमारी पिता- शीतललाल महतो निवासी गांव+ डाकघर पेसरार थाना किस्को जिला लोहरदगा
87. शिवा लोहरा पिता- नकुल लोहरा निवासी गांव+ सेरेंगहातु डाकघर जुरिया थाना सेन्हा जिला लोहरदगा
88. तोपेश कुमार महतो पिता- आदित्य महतो निवासी आठवीं अंडा डाकघर मुरु थाना निमडीह जिला सरायकेला खरसावां।
89. कमलेश कुमार रे पिता- राम सरेखा रे ग्राम लुंबा डाकघर सतबहिनी.एस. पांडू जिला पलामू
90. धनंजय नोनिया पिता- लखन नोनिया निवासी आठवीं सरहुकिलपर डाकघर बिलासपुर थाना हैदरनगर जिला पलामू
91. सतीश कुमार दीक्षित पिता- जमादार दीक्षित निवासी गांव भौमा डाकघर सतबहानी थाना पांडी जिला पलामू
92. प्रमोद कुमार उरांव पिता- भय राम उरांव ग्राम डाकघर + थाना किस्को जिला लोहरदगा
93. बिलचंद उरांव पिता- सूरज उरांव निवासी VIIIहोंडागा डाकघर किस्को थाना किस्को जिला लोहरदगा
94. बुद्धदेव भगत पिता- बिरसु भगत ग्राम रोरद डाकघर पेसरार थाना किस्को जिला लोहरदगा
95. मदन उराँव पिता- सूरजा उराँव ग्राम किस्को बंदो टोली डाकघर- किस्को थाना किस्को जिला लोहरदगा
96. अनिल कुजूर पिता- गोबरधन उराँव निवासी दसरा टोली डाकघर- जोरी थाना
97. घनश्याम भगत पिता- विश्राम भगत ग्राम बेजवाली डाकघर- भट्टकिंजरे थाना लोहरदगा जिला लोहरदगा
98. श्री राम कुमार पिता- लाई महादेव ग्राम + डाकघर- + थाना तांती जिला सरायकेला
99. जीतेन्द्र सिंह पिता- श्री विजय सिंह ग्राम + थाना कटैया थाना हरिहरगंज जिला पलामू
100. उदेश यादव पिता- दिनेश्वर यादव ग्राम बरदागडाकघर पिपरा थाना पिपरा जिला पलामू
101. रामाश्रय कुमार यादव पिता- दशरथ यादव ग्राम बरदाग डाकघर और थाना पिपरा जिला पलामू
102. जीतेन्द्र कुमार सिंह पिता- लालदेव सिंह ग्राम निवासी। ममरखा डाकघर कटैया थाना हरिहरगंज जिला पलामू

103. मो महफूज अंसारी पिता- मो मोहसिन अंसारी ग्राम टाबर डाकघर- सतबरवा थाना मेदनीनगर जिला पलामू
104. नरेश उराँव पिता- बेफन उराँव निवासी अष्टम दरुआ डाकघर- चापी थाना लेस्लीगंज जिला पलामू
105. रज़ीउल्ला अंसारी पिता-मो. नासिर अंसारी ग्राम- झखरा डाकघर- - बुटी थाना- सेन्हा जिला- लोहरदगा।
106. विजय सिंह पिता- राम केश्वर सिंह ग्राम व डाकघर- डंडार लाला थाना। पांकी जिला- पलामू.
107. गिरेन्द्र कुमार साव पिता-श्री देवबाली साव ग्राम और डाकघर- -डण्डार लाला डाकघर- स. पांकी जिला- पलामू.
108. वाहिद अंसारी पिता- रहमत अंसारी ग्राम-पकरिया डाकघर- टेट्रेन थाना- पांकी जिला- पलामू।
109. अनुज कुमार यादव पिता-श्री अंबिका यादव ग्राम-तोरीकला डाकघर- -जरही थाना-मेराल जिला-गढ़वा।
110. प्रेमेश यादव पिता- श्री राम बिरिछ यादव ग्राम, डाकघर, और थाना चिनिया जिला- गढ़वा.
111. शिवपूजन सिंह पिता-श्री हरि सिंह ग्राम-चिरका डाकघर- रानीचिरका डाकघर- स. रंका जिला- गढ़वा.
112. लक्ष्मण उराँव पिता-कुँवर उराँव ग्राम-बेथाट गिरजा टोली डाकघर- हेसापिरी थाना-किस्को जिला-लोहरदगा।
113. बीरेंद्र बड़ाईक पिता- दुर्जन बड़ाईक ग्राम-देवबहार मनबोध टोली डाकघर- - केरेया थाना- ठेठईटांगर जिला- सिमडेगा।
114. बिपिन पंकज मिंज पिता-पॉल मिंज ग्राम-गरगरबहार डाकघर और थाना-ठेठईटांगर जिला- सिमडेगा।
115. बंधु कांशी पिता- सुरेश बनाम कांशी ग्राम-कुर्कुरा लंगड़ा टोली डाकघर- लोम्बोई थाना- बांसजोर जिला- सिमडेगा।
116. सुन्दर बड़ाईक पिता- गोम्हा बड़ाईक ग्राम-कांसबहाल डाकघर- बांसजोर थाना- जलडेगा जिला- सिमडेगा।

117. सुबोध टेटे पिता- प्रभुदास टेटे ग्राम अम्बापानी लेदवाटोली डाकघर- -जामपानी थाना- ठेठईटांगर जिला- सिमडेगा।
118. सतीश चंद्र बड़ाईक पिता- रणधीर बड़ाईक ग्राम- अलिंगुर रांगियाडीपा डाकघर- बोलबा थाना- बोलबा जिला- सिमडेगा।
119. दयानंद मांझी पिता- कीर्तन मांझी ग्राम- परबा डाकघर और थाना- जलडेगा जिला- सिमडेगा।
120. रामलाल बड़ाईक पिता-सोमरू बड़ाईक ग्राम-पहरसारा कुंबाटोली डाकघर- कोनोस्केली थाना- केरशाई जिला-सिमडेगा।
121. बाल किशुन साहू पिता- मंगरू सानु ग्राम कोनसोडे डाकघर- बारादलोया थाना-बांद जिला- सिमडेगा।
122. प्रसाद बड़ाईक पिता-बिरसा बड़ाईक ग्राम-मालसरा डाकघर- मलसारा बन टोली थाना-बोलबा जिला-सिमडेगा।
123. संदीप महली पिता-तेजनारायण महली ग्राम-बगरू जामुन टोली डाकघर- -बहुरू थाना- किस्को जिला-लोहरदगा।
124. बुद्धदेव उराँव पिता-सोमरा उराँव ग्राम-खवास अम्बोवा डाकघर- नगजुआ थाना-कैरो जिला- लोहरदगा।
125. संदीप उराँव पिता- पुरन भगत ग्रामबाराडीह डाकघर- सिंजो थाना- कुरू जिला- लोहरदगा।
126. हरिहर रबीदास पिता- भीम रबीदास ग्राम-शिवफर डाकघर- - बढतल्ला थाना रांगा जिला साहेबगंज.
127. जिसु ठाकुर पिता- बिश्वनाथ ठाकुर ग्राम- शिवाफर डाकघर- बढतल्ला थाना- रंगा जिला साहेबगंज।
128. भीम हांसदा पिता- चुरका हांसदा ग्राम बारादुर्गपुर डाकघर बारादुर्गपुर थाना- तालझारी जिला- साहेबगंज।
129. नीरज कुमार रे पिता- श्री रवीन्द्र नाथ रे ग्राम- सुतियार पारा डाकघर- - जोफा थाना राजमहल जिला- साहेबगंज.
130. जीतेन्द्र कुमार यादव पिता- शिव नारायण यादव ग्राम- महादेवगंज डाकघर- महादेवगंज थाना। और जिला साहेबगंज.

131. दुबे किशकू पिता-सेना किशकू ग्राम-अर्जुनपुर (नुरानडीह) डाकघर- अर्जुनपुर थाना। पथना जिला- साहेबगंज।
132. नायकी त्तिदु पिता- दुल्ला टुडू ग्राम-गाधीगंज डाकघर- बरमशिया थाना- बरहेट जिला- साहेबगंज।
133. तरूण कुमार रॉय पिता-पफुल्ला कुमार रॉय ग्राम-सुतियापाड़ा/थाना-जंको थाना-राजमहल जिला-साहेबगंज।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने गृह सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय प्रथम तल, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर थाना धुर्वा, जिला- रांची ।
2. पुलिस महानिदेशक जिसका कार्यालय पुलिस मुख्यालय, एचईसी डाकघर थाना धुर्वा जिला- रांची ।
3. पुलिस अधीक्षक, साहेबगंज, डाकघर थाना एवं जिला साहेबगंज।
4. पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा डाकघर थाना एवं जिला लोहरदगा।
5. पुलिस अधीक्षक, सिमडेगा डाकघर थाना एवं जिला सिमडेगा।
6. पुलिस अधीक्षक, पलामू डाकघर थाना एवं जिला पलामू।
7. पुलिस अधीक्षक, गढ़वा डाकघर थाना एवं जिला गढ़वा।
8. पुलिस अधीक्षक, सरायकेला खरसावां, डाकघर थाना एवं सरायकेला खरसावां।
9. पुलिस अधीक्षक, रांची डाकघर थाना और जिला रांची।
10. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपने अध्यक्ष के माध्यम से जिसका कार्यालय एफ-49/50, सेक्टर-III डाकघर थाना धुर्वा जिला- रांची ।
11. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जिसका कार्यालय एफ-49/50, सेक्टर-III डाकघर थाना धुर्वा जिला रांची ।

... ..प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 7195/2016

संजय राम, पिता- श्री चंदू राम, ग्राम-पतरिया, डाकघर- सिमोरा, डाकघर- कांडी, जिला-गढ़वा

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना -धुर्वा, जिला-रांची।
2. झारखंड सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना -धुर्वा, जिला-रांची।
3. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, जिसका कार्यालय राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना -डोरंडा, जिला-रांची।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अपने अध्यक्ष के माध्यम से, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखतोली, नामकोम, डाकघर और थाना -नामकोम, जिला-रांची।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर एवं थाना- नामकोम, जिला-रांची ।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 7383 / 2016

1. विवेकानन्द चैबे, पिता- बचरू चैबे, ग्राम और डाकघर- चौबे मझिगावां, थाना - भवनाथपुर, जिला - गढ़वा।
2. राकेश कुमार उपाध्याय, पिता- श्री भुनेश्वर उपाध्याय, ग्राम-गौरैया, डाकघर- रांका बोरिया, थाना एवं जिला - गढ़वा।
3. अनिल कुमार पाल, पिता- श्री नथुनी पाल, ग्राम-खजुरी, डाकघर- अताउला, थाना मझिगांव, जिला गढ़वा।
4. अरुण कुमार पासवान, पिता- सीता राम पासवान, ग्राम-तमगे खुर्द, डाकघर- तमगेकला, डाकघर- रंका, जिला - गढ़वा।
5. निरंजन तिवारी, पिता- श्री श्यामानन्द तिवारी, ग्राम और डाकघर- रंका बौलिया, थाना एवं जिला - गढ़वा।

6. राजीव कुमार धर दुबे, पिता- नर्वदेश्वर धर दुबे, ग्राम: लोटो, डाकघर एवं थाना एवं जिला - गढ़वा।
7. अनूप कुमार तिवारी पिता- सुशील तिवारी ग्राम और डाकघर-रंका बौलिया, थाना एवं जिला - गढ़वा।
8. व्यास पांडे, पिता- चंद्रिका पांडे, निवासी गढ़वा, डाकघर और थाना एवं जिला - गढ़वा।
9. धर्मेन्द्र रजक, पिता- श्री रंजरू रजक, ग्राम लवाहीखुर्द, डाकघर- बरसेखंड, थाना-डंडई, जिला-गढ़वा।
10. रामकेश रवि पिता-- सुरेंद्र कुमार रवि. ग्राम एवं डाकघर का निवासी - रारो, थाना डंडई, जिला-गढ़वा
11. नसमुल अंसारी पिता-- इम्तेयाजा अंसारी, निवासी झोतरटोला, दतवनिया, डाकघर- जरही, थाना-डंडई, जिला-गढ़वा।
12. अजय कुमार यादव, पिता- सोना प्रसाद यादव, ग्राम-रेजो, थाना- वाना, थाना-मेराल, जिला-गढ़वा।
13. अमरेन्द्र प्रसाद यादव, पिता- बिगन यादव, ग्राम उसरी, डाकघर - सेवडीहा, थाना- रंका, जिला-गढ़वा।
14. मंगर महतो पिता-- जगनाथ महतो, ग्राम भलुवनी खुर्द, डाकघर एवं थाना - बिश्रामपुर, जिला - पलामू।
15. राजेश्वर कुमार यादव, पिता- स्व. रामचंद्र यादव, ग्राम-उसरी, डाकघर एवं थाना - सेवच रंका, जिला - गढ़वा।
16. महेंद्र प्रसाद यादव, पिता- बुधन यादव, ग्राम और डाकघर- सोह, थाना एवं जिला - गढ़वा.
17. शिव कुमार गुप्ता, पिता- परसु साह, ग्राम-बिलासपुर, डाकघर- जमुई, थाना नगर उंटारी, जिला-गढ़वा.
18. दिलीप यादव पिता- पप्पू कुमार यादव, ग्राम और डाकघर- चिनिया, थाना - चिनिया, जिला गढ़वा।
19. सुरेंद्र चौधरी, पिता- शिव चौधरी, ग्राम-डटमा, डाकघर-रंका बौलिया, डाकघर एवं जिला - गढ़वा।
20. तीर्थराज पांडे, पिता- करुणानिधि पांडे, ग्राम-कुट्टी, डाकघर एवं थाना एवं जिला गढ़वा.
21. कपिलदेव बैठा, पिता- बासुदेव बैठा, ग्राम-बरदरी, डाकघर एवं थाना एवं जिला-गढ़वा

22. अरविन्द कुमार तिवारी, पिता- श्री दिवाकर तिवारी, ग्राम-रंका बौलिया, थाना एवं जिला- गढ़वा.
23. संतोष कुमार महतो, पिता- देवरस महतो, ग्राम जाहरसराय, डाकघर एवं थाना मझिगांव, जिला-गढ़वा।
24. मनोज कुमार पासवान, पिता- हिनाथ पासवान, ग्राम-बखनडीह, डाकघर - बरवाडीह, थाना रंका, जिला - गढ़वा।
25. मंटू ठाकुर, पिता- श्री बनारसी ठाकुर, ग्राम शम्भूचक, डाकघर- खामडीह, थाना - मेदिनीनगर, जिला - पलामू।
26. प्रवीण कुमार तिवारी, पिता- श्री भूतनाथ तिवारी, ग्राम-रंका बौलिया, थाना एवं जिला - गढ़वा।
27. विनय कुमार ठाकुर, पिता- स्वर्गीय राम कुमार ठाकुर, ग्राम - बड़कागांव, डाकघर एवं थाना - सदर, जिला - पलामू।
28. देव नारायण ठाकुर, पिता- श्री सरयू ठाकुर, ग्राम - गोगदा, डाकघर - काजी पकरी, थाना तरहसी (मनातू), जिला-पलामू।
29. सुधीर कुमार पांडे, पिता- श्री श्याम सुंदर पांडे, ग्राम और डाकघर- सेमरा, डाकघर- चैनपुर, जिला-पलामू।
30. सुमन कुमार पांडे, पिता- हीरानंद पांडे, ग्राम-गिदही, डाकघर- रोहिला, थाना - नगर उंटारी, जिला - गढ़वा.
31. श्रवण प्रसाद गुप्ता, पिता- जवाहर प्रसाद गुप्ता, ग्राम-सुंडी, डाकघर- राजी, थाना खरौंधी, जिला-गढ़वा।
32. राकेश कुमार राम, पिता- रामनाथ राम, ग्राम-अहिपुरवा, डाकघर एवं थाना - नगर उंटारी, जिला - गढ़वा.
33. मनोज कुमार यादव, पिता- कृष्ण प्रसाद यादव, ग्राम-खर्तिया, डाकघर - रोहैला, थाना - नगर उंटारी, जिला - गढ़वा.
34. लक्ष्मण कुमार सिंह, पिता- श्री पारस नाथ सिंह, ग्राम बटोकला, डाकघर पाचाडुमर, डाकघर- भवनाथपुर, जिला-गढ़वा
35. दिनेश राम, पिता- कैलाश राम, ग्राम-अहीपुरवा, डाकघर और थाना - नगर उंटारी, जिला- गढ़वा

36. राजेंद्र पासवान पिता-- अवधेश कुमार, ग्राम- गरबांध, डाकघर एवं थाना - नगर उंटारी, जिला - गढ़वा।
37. श्रवण कुमार गुप्ता, पिता- बंशी गुप्ता, ग्राम-हुतुर, डाकघर- कटहरकला, थाना - धुरकी, जिला - गढ़वा।
38. राकेश प्रसाद गुप्ता, पिता- बंशी गुप्ता, ग्राम-हुतुर, डाकघर- कटहरकला, थाना - धुरकी, जिला - गढ़वा।
39. नीराजन कुमार पासवान, पिता- शंकर राम, ग्राम-कडेलिया, डाकघर- जरही, थाना - मेराल, जिला - गढ़वा।
40. रामप्रित महतो पिता- संतोष कुमार, ग्राम नरखोरियाकला, डाकघर और थाना नगर उंटारी, जिला-गढ़वा।
41. विपीन बिहारी पाल, पिता- सत्य नारायण पाल, ग्राम-पुरैनी, थाना. एवं थाना - नगर उंटारी, जिला - गढ़वा.
42. शीतल मेहता, पिता- राम चन्द्र मेहता, ग्राम-नरखौरिया कला, डाकघर- एवं थाना - नगर उंटारी, जिला - गढ़वा.
43. सुरेंद्र यादव, पिता- श्री राम शंकर यादव, निवासी-हरदागखुर्द, डाकघर- भागोडीह, थाना नगर उंटारी, जिला-गढ़वा।
44. आशुतोष कुमार धर दुबे, पिता- श्री गिरिजा शंकर धर दुबे, ग्राम-सिवरी, डाकघर- अंबा खोरेया, थाना - धुरकी, जिला गढ़वा।
45. जीतेन्द्र कुमार, पिता- श्री सुरेश राम, ग्राम-करके, डाकघर- सोहेहारा, थाना - मेराल, जिला - गढ़वा।
46. श्रवण कुमार, पिता- झगरू राम, ग्राम-मिरचैया, डाकघर- तातिगिरी, थाना धुरकी, जिला- गढ़वा।
47. सुनील राम, पिता- गोपाल राम, ग्राम-सिकट, डाकघर- एवं थाना - रंका, जिला - गढ़वा।
48. धीरज कुमार दुबे, पिता- नारद दुबे, ग्राम व डाकघर- पूरबडीहा, थाना- चैनपुर, जिला- पलामू।
49. धीरेन्द्र कुमार दुबे, पिता- चन्द्रिका दुबे, ग्राम- कंचनपुर, डाकघर और थाना-रंका, जिला- गढ़वा।

50. शिवदास यादव, पिता- नान्हू यादव, ग्राम बेता, डाकघर- रंगपुरा, थाना चिनिया, जिला - गढ़वा।
51. राकेश कुमार, पिता- रामजी यादव, ग्राम - सिंजो, डाकघर और थाना रंका, जिला गढ़वा।
52. आशीष कुमार पांडेय, पिता- सत्य नारायण पांडेय, ग्राम उचारी, डाकघर हरिगवां, थाना - मझिआंव, जिला - गढ़वा।
53. राम प्रवेश यादव, पिता- ईश्वर दयाल यादव, निवासी रंका, डाकघर और थाना - रंका, जिला - गढ़वा।
54. इंद्रदेव पासवान, पिता- श्री गणेश पासवान, ग्राम - नावाडीह , डाकघर - उदयपुर, थाना रमकंडा, जिला - गढ़वा।
55. मो. नसीम अंसारी, पिता- मो. नूर हसन अंसारी, ग्राम - कंचनपुर, डाकघर और थाना रंका, जिला - गढ़वा।
56. सुरेन्द्र ठाकुर, पिता- शंभू ठाकुर, निवासी तेवाली, डाकघर और थाना भंडरिया, जिला - गढ़वा।
57. अशोक बैठा, पिता- बिराज बैठा, ग्राम - बनखेता, डाकघर - सिलीदाग, थाना - नगर उंटारी, जिला - गढ़वा।
58. मो. महताब आलम, पिता- मो. सत्तार अंसारी, ग्राम - खपरो, डाकघर एवं थाना - रंका, जिला - गढ़वा।
59. मो. इसरार अंसारी, पिता- मो. करीम अंसारी, ग्राम - खपरो, डाकघर एवं थाना रंका, जिला गढ़वा।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. गृह सचिव, झारखंड राज्य, कार्यालय प्रथम तल, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर एवं थाना धुर्वा, जिला रांची ।
2. पुलिस महानिदेशक, कार्यालय पुलिस मुख्यालय, एचईसी, डाकघर एवं थाना धुर्वा, जिला रांची ।
3. पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग डाकघर, थाना एवं जिला हजारीबाग ।
4. पुलिस अधीक्षक, डाकघर, थाना एवं जिला गढ़वा ।

5. पुलिस अधीक्षक, रामगढ़, डाकघर, थाना एवं जिला रामगढ़ ।
6. अध्यक्ष , झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय एफ-49/50, सेक्टर-III डाकघर एवं थाना धुर्वा जिला रांची ।
7. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय एफ-49/50, सेक्टर-III, डाकघर एवं थाना धुर्वा जिला रांची ।

... .. प्रतिवादी

रिट याचिका (एस) संख्या 7528 / 2016

साथ

- 1) महेश कुमार सिंह, पिता- श्री योगेश सिंह, निवासी मनीफिट उड़िया बस्ती, डाकघर- टाटानगर, थाना- बागबेड़ा, जिला पूर्वी सिंहभूम
- 2) मदन कुमार यादव, पिता- श्री हरिहर यादव, निवासी जोन नं. 1 बी रोड नं. 1 लिंट नं. 4 डाकघर- बिसनगर, जिला पूर्वी सिंहभूम
- 3) मुकेश कुमार सिंह, निवासी मकान नं. 7 ज्योति नगर खरंगाझार डाकघर- और थाना टेलको, जिला पूर्वी सिंहभूम
- 4) रेशमा कुमारी, निवासी क्यू नं. 71 लाइन नं. 5 ए ब्लॉक टुइलाडुंगरी डाकघर- गोलमुरी, थाना गोलमुरी, जिला पूर्वी सिंहभूम
- 5) मनीष कुमार प्रजापति, निवासी बिरसा नगर जोन नं. 1 डाकघर- बारीडीह, थाना सिदगोड़ा, जिला पूर्वी सिंहभूम
- 6) कुणाल शर्मा, निवासी आनंदनगर, नामदा बस्ती मेन रोड क्यू नं 14 डाकघर- और थाना गोलमुरी जिला पूर्वी सिंहभूम
- 7) हरि शंकर मिश्रा, निवास नमदाबस्ती आदर्श कॉलोनी क्यू नं 39 लाइन नं 03 डाकघर- और थाना गोलमुरी जिला पूर्वी सिंहभूम
- 8) संदीप महतो, निवास गुटजोरा डाकघर-गुटजोरा थाना खूंटी जिला खूंटी
- 9) प्रदीप बोराल पोद्दार, निवास सिंगाटी डाकघर काशीडीह थाना चांडिल जिला सरायकेल झारखंड
- 10) रजनीश कुमार, निवास एच नं 620 लाइन नं 7 डाकघर- और थाना गोलमुरी जिला पूर्वी सिंहभूम

- 11) प्रमोद कुमार यादव, निवास भुइयाडीह ग्वालबस्ती शजंतीनगर डाकघर- और थाना- सिदगोड़ा जिला पूर्वी सिंहभूम
- 12) फुलदेव कुमार बड़ाइक, निवास ग्राम- अवरजोर डाकघर- टेंसर थाना कुरडेग जिला सिमडेगा
- 13) अरुण सिंह, निवास ग्राम बिंझियाबांध डाकघर- घुटबहार थाना ठेठईजागर जिला सिमडेगा
- 14) प्रदीप केरकेट्टा, ग्राम- कोनपाला पंडरीपानी डाकघर- कोनपाला थाना ठेठईटांगर जिला सिमडेगा
- 15) बोनीफास डुंगडुंग, ग्राम- शाहपुर डीपाटोली डाकघर- शाहपुर थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा
- 16) सीताराम मांझी, ग्राम- हेतमा डीपाटोली डाकघर- हेतमा थाना- कुरडेग जिला सिमडेगा
- 17) रमेश नायक, गंगाधर नायक का पिता- ग्राम तीनसेर माचिया घाट डाकघर तीनसेर थाना केरसई कुरडेग जिला सिमडेगा
- 18) रामेश्वर बड़ाइक, पिता- लोहरा बड़ाइक निवास ग्राम कसिरा डाकघर बलियाजोर थाना बोलबा जिला सिमडेगा
- 19) सुधीर मिंज, पिता- जोवाकिम मिंज निवास विले सेविया बेलटोली डाकघर सेविया थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा झारखंड
- 20) जकुल नायक, पिता- स्वर्गीय विहानु नायक निवास गांव कैरबेरा डाकघर केशलपुर थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा
- 21) पवन तिकी, पिता- सुनील तिकी निवास गांव कुंदुरडेगा थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा
- 22) मुलियान केरकेट्टा पिता- हेरन केरकेट्टा निवास रायबेरा बेहरा टोली डाकघर- टुटिकेल थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा
- 23) रोशन लुगुन, पिता- बिलकन लुगुन निवास गांव चौरापानी डाकघर- बरवाडीह थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा
- 24) प्रभुदास डांग, पिता- जुनास डांग निवास गांव जंभार डाकघर पंडरीपानी थाना थाठेटांगर जिला सिमडेगा झारखंड
- 25) सिकंदर कछुवा, पिता- इलारस कछुवा निवास गांव घुटबहार कुँवर टोली डाकघर घुटबहार थाना ठेठटांगर जिला सिमडेगा
- 26) जूलियन सुरीन, पिता- साइमन सुरीन निवास स्थान ग्राम घुटबहार गोड़ा टोली डाकघर घुटबहार थाना ठेठटांगर जिला सिमडेगा

- 27) रमेश बड़ाईक पिता- समरू बड़ाईक निवास स्थान ग्राम केरेया डेम्बू टोली डाकघर केरेया थाना ठेठतांगर जिला सिमडेगा
- 28) है माएल लुगुन, स्वर्गीय लुकास लुगुन का पिता-, निवास ग्राम हर्पापानी, डाकघर लोम्बोई, थाना जलडेगा, जिला सिमडेगा
- 29) रेयारन बागे, पिता- जुसाफ बागे, निवास स्थान, ग्राम राजाबासा बिरियाम सेरेंग टोली, डाकघर घुटबहार, थाना ठेठईटांगर जिला सिमडेगा
- 30) जोगू मांझी, पिता- श्री पूसा मांझी, निवास स्थान ग्राम मेरोम डेगा खास, डाकघर मेरोमडेगा खश थाना ठेठईटांगर जिला सिमडेगा
- 31) कृष्णा सिंह, पिता- श्री फिरू सिंह निवास स्थान ग्राम कुंदुरडेगा पिथर टोली डाकघर- और थाना- कोलेबिरा जिला सिमडेगा
- 32) सुधीर टेटे, पिता- सैमुअल टेटे निवास स्थान जुरकेला पहाड़टोली डाकघर-अघरमा थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा
- 33) कृष्णा साहू, पिता- शांति साहू निवास स्थान ग्राम परबा डाकघर-सुखझरिया थाना जलडेगा जिला सिमडेगा झारखंड
- 34) रामकुमार सिंह पिता-- घनश्याम सिंह, ग्राम कुरुमडेगी डाकघर- ताराबोगा थाना ठेठईटांगर जिला सिमडेगा का निवास
- 35) बेदन समद, दोरेफा समद का पिता- ग्राम कनारोन डाकघर- लाचरागढ़ थाना बानो जिला सिमडेगा

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

- 1) मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, झारखंड राज्य परियोजना भवन रेंच, डाकघर- धुर्वा थाना जगरनाथपुर जिला रांची
- 2) गृह सचिव झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची डाकघर- धुर्वा थाना- जगरनाथपुर जिला रांची
- 3) झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ 49 5 सेक्टर 3 धुर्वा डाकघर- धुर्वा थाना- जगरनाथपुर जिला रांची
- 4) टी पुलिस महानिदेशक, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची डाकघर धुर्वा थाना जगरनाथपुर जिला रांची

- 5) महानिदेशक होम गार्ड, ऑट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स नेपाल हाउस के पास डाकघर डोरंडा थाना डोरंडा जिला रांची

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 118 / 2017

1. अनिल कुमार तुबिद, पिता- स्व.जगदीश तुबिद, ग्राम-जेतेया, डाकघर और थाना जेतेया, जिला सिंहभूम पश्चिमी, झारखंड।
2. मार्शल बिरूवा, पिता- स्व.रघुनाथ बिरूवा, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना मंझारी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
3. बागुन इचागुट्ट, पिता- श्री बाबूराम इचागुट्ट, ग्राम खूंटपानी, डाकघर और थाना खूंटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
4. राहुल कुमार बेहरा, पिता- श्री सामो बेहरा, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना मंझारी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
5. सनातन हेम्ब्रोम, पिता- श्री राजेंद्र हेम्ब्रोम, ग्राम मंझगावां, डाकघर और थाना मंझगावां, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
6. कमल किशोर सिंक्, पिता- श्री आनंद कुमार सिंक्, ग्राम कुमारडुंगी, डाकघर- एवं थाना कुमारडुंगी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
7. किशुन लागुरी, पिता- श्री लादु लागुरी, ग्राम जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
8. बाबूलाल बारा, पिता- स्वर्गीय बिशु बारा, ग्राम तांतनगर, डाकघर और थाना तांतनगर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
9. सोनू कुदादा, पिता- श्री सुबोध कुदादा, ग्राम तिरुबारा, डाकघर एवं थाना सदर, चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
10. समीर सावैयां, पिता- स्वर्गीय पटोर सावैयां, ग्राम तांतनगर, डाकघर- एवं थाना तांतनगर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
11. डेनियल दिग्गी, पिता- श्री चमरा दिग्गी, ग्राम बंदगांव, डाकघर और थाना बंदगांव, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

12. अमर कुमार तिरिया, पिता- श्री दामू तिरिया, ग्राम जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
13. साधो बारी, पिता- श्री नारा बारी, ग्राम टोंटो, डाकघर और थाना टोंटो, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
14. जगदीश नायक, पिता- स्वर्गीय हरिश्चन्द्र नायक, ग्राम मंझगांव, डाकघर एवं थाना मंझगांव, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
15. देवानंद महतो, पिता- श्री केसेन महतो, ग्राम जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
16. जामदार हेस्सा, पिता- स्वर्गीय बामिया हेस्सा, ग्राम टोंटो, डाकघर और थाना टोंटो, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
17. बुलान सिंह तियु, पिता- स्वर्गीय कृष्णा तियु, ग्राम जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
18. दिवाली कहलखो, पिता- श्री बुदुवा कहलखो, ग्राम तांतनगर, डाकघर और थाना तांतनगर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
19. तेज कुमार खलखो, पिता- श्री बुदुवा खलखो, ग्राम तांतनगर, डाकघर और थाना तांतनगर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
20. मानकी सिंकू, पिता- स्वर्गीय मुकुंद सिंकू, ग्राम जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
21. बासुदेव देवगम, पिता- श्री मोराजी देवगम, ग्राम चाईबासा, डाकघर- और थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
22. सालुका लागुरी, पिता- श्री कुंडू लागुरी, ग्राम टोंटो, डाकघर और थाना टोंटो, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
23. रंजन बानरा, पिता- श्री राज किशोर बानरा, ग्राम जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
24. पाइकराय तुबिद, पिता- श्री दिनेश तुबिद, ग्राम टोंटो, डाकघर और थाना टोंटो, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
25. भजन लाल लागुरी, पिता- श्री सोना लागुरी, ग्राम नोवामुंडी, पो. जगन्नाथपुर, जेक्या, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

26. सुरेश चंद्र नायक, पिता- श्री सहदेव नायक, निवासी विला कुमारडुंगी, डाकघर- और थाना कुमारडुंगी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
27. सागर देवगम, पिता- श्री घनश्याम देवगम, ग्राम चाईबासा, डाकघर- और थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
28. शंकर बुरिउली, पिता- स्वर्गीय लादु बुरिउली, ग्राम तांतनगर, डाकघर और थाना तांतनगर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
29. जुम्बल बुरिउली, पिता- श्री विजय बुरिउली, ग्राम चाईबासा, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
30. डुकरू तियु, पिता- श्री सहदेव तियु, ग्राम खूटपानी, डाकघर और थाना खूटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
31. रवीन्द्र महतो, पिता- स्व.युधिष्ठिर महतो, ग्राम जगन्नाथपुर, थाना एवं थाना। जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
32. सुशाना सुंडी, पिता- श्री विलियान सुंडी, ग्राम बोरदा टोली नूगुट, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
33. दामोदर बारी, पिता- श्री बोडोर बारी, ग्राम टोंटो, डाकघर और थाना टोंटो, नगर चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
34. सूरज हाईबुरु, पिता- श्री सोंगा हाईबुरु, ग्राम खूटपानी, डाकघर और थाना खूटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
35. हीरालाल कुम्हार पिता- स्वर्गीय मदुसूदन कुम्हार, ग्राम मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
36. ताराचंद्र हेम्ब्रोम, पिता- स्वर्गीय रतन हेम्ब्रोम, ग्राम गोइलकेरा, डाकघर- और थाना गोइलकेरा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
37. मुरली बहंदा, पिता- स्वर्गीय प्रधान बहंदा, निवासी गांव गोइलकेरा, डाकघर एवं थाना गोइलकेरा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
38. रेंगो जोन्को, पिता- स्वर्गीय लक्ष्मण जोन्को, निवासी गांव खूटपानी, डाकघर एवं थाना खूटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
39. दुबराज परेया, पिता- श्री रीतुलाल परेया, निवासी गांव मनोहरपुर, डाकघर एवं थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

40. मेघनाथ महतो, पिता- श्री हलधर महतो, निवासी गांव मनोहरपुर, डाकघर एवं थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
41. नारायण तियू, पिता- श्री महानायक तियू, निवासी गांव जगन्नाथपुर, डाकघर एवं थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
42. पवन पुरती, पिता- श्री लक्ष्मण पुरती, निवासी गांव झींकपानी, डाकघर एवं थाना झींकपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
43. राजाराम बेसरा, पिता- श्री सोमा बेसरा, निवासी गांव खूंटपानी, डाकघर एवं थाना खूंटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
44. उपेंद्र सिंकू, पिता- श्री मंगू सिंकू, निवासी गांव हाटगम्हरिया, डाकघर एवं थाना हाटगम्हरिया, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
45. धनुर्जय बालमुचू, पिता- स्वर्गीय महेंद्र बालमुचू, निवासी गांव टोंटो, डाकघर एवं थाना टोंटो, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
46. मानसिंह हेम्ब्रोम, पिता- श्री मांझी हेम्ब्रोम, निवासी गांव खूंटपानी, डाकघर एवं थाना खूंटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
47. सोनू कुम्हार, पिता- स्वर्गीय रूप कुम्हार, ग्राम मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
48. ज्योतिष एक्का, पिता- श्री बीरेन्द्र एक्का, ग्राम मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
49. प्रमोद महतो, पिता- श्री दिलनाथ महतो, ग्राम मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
50. क्रितो कुजूर, पिता- स्व. पिकाश कुजूर, ग्राम मनोहरपुर, पो. एवं प.स. मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
51. शिवरतन महतो, पिता- रिंझु महतो, ग्राम मनोहरपुर, थाना. और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
52. मनोज कुमार यादव, पिता- श्री सत्यदेव चौधरी, निवासी गांव मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
53. लाल सिंह हैबुरू, पिता- स्वर्गीय दुंबी हैबुरू, निवासी गांव खूंटपानी, डाकघर और थाना खूंटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

54. मोहन सिंह देवगम, पिता- श्री डिम्बर देवगम, निवासी गांव खूंटपानी, डाकघर और थाना खूंटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
55. जॉनसन जोजो, पिता- श्री बिरसा जोजो, निवासी गांव मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
56. बिश्राम तिर्की, पिता- स्वर्गीय महादेव तिर्की, निवासी गांव मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
57. जामदार बुरिउली, पिता- स्वर्गीय बित्रिय बुरिउली, ग्राम तेरगो, चाईबासा, पो. बरकुंडरा, थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
58. गुरुचरण पिंगुआ, पिता- श्री उदय सिंह पिंगुआ, ग्राम मंझगांव, डाकघर और थाना मंझगांव, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
59. नीलमती हाईबुरु, पिता- स्वर्गीय मोतिया हाईबुरु, ग्राम खूंटपानी, डाकघर और थाना खूंटपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
60. काण्डेयराम लागुरी, पिता- स्वर्गीय रोयाराम लागुरी, ग्राम हाटगम्हरिया, डाकघर और थाना हाटगम्हरिया, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
61. मंगल सिंह कुम्हार, पिता- श्री गुरुचरण कुम्हार, निवासी गांव गोइलकेरा, डाकघर एवं थाना गोइलकेरा जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
62. बुधराम गुंडुवा, पिता- श्री जयराम गुंडुवा, निवासी गांव गोइलकेरा, डाकघर एवं थाना गोइलकेरा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
63. उमेश चंद्र बिरुवा, पिता- स्वर्गीय जोगना बिरुवा, निवासी गांव तांतनगर, डाकघर एवं थाना तांतनगर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
64. किशोर लुगुन, पिता- श्री रबेल लुगुन, निवासी गांव मनोहरपुर, डाकघर एवं थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
65. आरती लकड़ा, पिता- श्री किशुन लकड़ा, निवासी गांव छोटानीमडीह, डाकघर चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
66. इंद्रा कच्छप, पिता- श्री बुधु कच्छप, ग्राम बारी बाजार, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
67. सुजाता कुमारी नायक, पिता- स्वर्गीय प्रकाश नायक, ग्राम नरसंडा, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

68. मंजू लकड़ा, पिता- श्री बुधु लकड़ा, ग्राम टुंगरी, डाकघर- और थाना चाईबासा, जिला- सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
69. दयानिधि पात्रो, पिता- श्री मधुसूदन पात्रो, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना मंझारी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
70. राजेश कुम्हार पाल, पिता- स्वर्गीय अशोक कुमार पाल, ग्राम चाईबासा, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
71. रूपा चतर, पिता- श्री उदय चतर, ग्राम मंझगांव, डाकघर और थाना मंझगांव, जिला- सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
72. जामदार बिरूवा, पिता- श्री कोलय बिरूवा, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना मंझारी, जिला- सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
73. राजू गोप, पिता- श्रीहरि गोप, ग्राम मंझारी, थाना. और पी.एस . मंझारी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
74. गणेश तिर्की, पिता- स्वर्गीय बंधु तिर्की, ग्राम मनोहरपुर, डाकघर और थाना मनोहरपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
75. राजेन मुंडुइया, पिता- सोंगा मुंडुइया, ग्राम झींकपानी, डाकघर- और थाना झींकपानी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
76. मोजफ्फर इमाम, पिता- श्री जफर इमाम, ग्राम बड़ा बाजार, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
77. रज़ा हसन पिता- श्री जाहिर हसन, ग्राम बड़ा बाजार, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
78. मंगल सिंह सुंडी, पिता- स्वर्गीय तपू सुंडी, निवासी गांव महलराई, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
79. राजेश कुमार गुप्ता, पिता- स्वर्गीय संतोष कुमार गुप्ता, निवासी गांव जगन्नाथपुर, डाकघर। और थाना जगन्नाथपुर, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
80. हरीश गोप, पिता- स्वर्गीय इंद्र गोप, निवासी गांव झींकपानी, डाकघर और थाना झींकपानी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
81. पोवेश निषाद, पिता- स्वर्गीय योगेश्वर निषाद, निवासी गांव झींकपानी, डाकघर एवं थाना झींकपानी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

82. आशुतोष महतो, पिता- स्वर्गीय चंद्र मोहन महतो, निवासी गांव जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
83. ज्योति तापे, पिता- स्वर्गीय हरि देवगम, ग्राम चाईबासा, डाकघर और थाना- चाईबासा, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
84. तिरिया बिरूवा, पिता- स्वर्गीय सदन बिरूवा, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना- मंझारी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
85. राजेश पिंगुआ, पिता- श्री जोगना पिंगुआ, निवासी विला मंझगांव, डाकघर और थाना मंझगांव, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
86. सोनाराम पूर्ति, पिता- श्री ज्योतिया पूर्ति, ग्राम गोबर्धन, पो. नयनगाउन आश्रम, थाना मंझगांव, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
87. दुराचरण मेलगांडी, पिता- श्री जगमोहन मेलगांडी, निवासी गांव खूटपानी, डाकघर और थाना- खूटपानी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
88. दिनेश बागे, पिता- श्री सामू बागे, निवासी गांव मंझारी, डाकघर और थाना- मंझारी , जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
89. मोहन सिंह कुंटिया, पिता- श्री सोंगा सिंह कुंटिया, निवासी गांव टोंटो, डाकघर और थाना टोंटो, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
90. दीपक कुमार बलमुचू, पिता- श्री कृष्ण बलमुचू , निवासी गांव टोंटो, डाकघर और थाना टोंटो, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
91. गुलशन देवगम, पिता- श्री ब्रजमोहन देवगम, निवासी गांव झींकपानी, डाकघर और थाना झींकपानी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
92. राम हेम्ब्रोम, पिता- श्री महाती हेम्ब्रोम, निवासी गांव हाटगम्हरिया, डाकघर और थाना हाटगम्हरिया, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
93. रोशन सोय, पिता- श्री अबराम सोय, निवासी गांव बंदगांव, डाकघर और थाना बंदगांव, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
94. रसिका कोरा, पिता- श्री बेहरा कोरा, निवासी गांव जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
95. जामदार बालमुचू, पिता- श्री हरि बालमुचू, ग्राम झींकपानी, डाकघर और थाना- झींकपानी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

96. जवाहरलाल बोईपाई, पिता- स्वर्गीय लेबेया बोईपाई, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना- मंझारी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
97. लक्ष्मण गुंडुवा, पिता- स्वर्गीय मानेया गुंडुवा, ग्राम गोइलकेरा, डाकघर और थाना- गोइलकेरा, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
98. दुर्गाचरण अंगरिया, पिता- श्री मोहन सिंह अंगरिया, ग्राम गोइलकेरा, डाकघर और थाना- गोइलकेरा, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
99. तौहीद खान पिता- तौहीक खान, ग्राम बड़ा बाजार, डाकघर और थाना चाईबासा, जिला- सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
100. कुशनु तिरिया, पिता- श्री कृष्ण चन्द्र तिरिया, ग्राम जगन्नाथपुर, डाकघर और थाना जगन्नाथपुर, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखण्ड।
101. योगेन्द्र हेम्ब्रोम, पिता- श्री बीरसिंह हेम्ब्रोम, ग्राम हाटगम्हरिया, डाकघर और थाना हाटगम्हरिया, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
102. बबेन्द्र समद, पिता- स्व.उमेश समद, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना- मंझारी, जिला- सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
103. दुर्गाचरण मेलगांडी, पिता- श्री जगमोहन मेलगांडी, ग्राम खूटपानी, डाकघर और थाना खूटपानी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
104. रामजीत कुंकल, पिता- श्री मुकरू कुंडल, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना- मंझारी, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
105. प्रकाश बेहरा, पिता- श्री यदुनाथ बेहरा, ग्राम कुमारडुंगी, डाकघर और थाना कुमारडुंगी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
106. साधु चरण सिरका, पिता- श्री गुरुचरण सिरका, ग्राम मंझारी, डाकघर और थाना मंझारी, डाकघर और थाना मंझारी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
107. रौतु मालमुचू, पिता- श्री रामचंदू बालमुचू, ग्राम कुमारडुंगी, डाकघर और थाना- कुमारडुंगी, जिला-सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।
108. नन्हू महतो, पिता- स्वर्गीय असादु महतो, ग्राम आनंदपुर, डाकघर और थाना आनंदपुर, जिला सिंहभूम पश्चिम, झारखंड।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. सचिव, कार्मिक, प्रशासन, सुधार और राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार के प्रोजेक्ट बिल्डिंग, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपने अध्यक्ष के माध्यम से, एफ-49/50, सेक्टर-III, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची, झारखंड।
4. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबागान, सिरखतोली, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची, झारखंड।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 197 / 2017

मोहम्मद शाद हुसैन, पिता- मोहम्मद याशिन अंसारी, निवासी गांव चनाकला, डाकघर गमहरिया, थाना रमना, जिला गढ़वा, जिला गढ़वा

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, झारखंड राज्य, कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची ।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, कार्यालय राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना डोरंडा, जिला रांची।
4. अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची ।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची ।

... .. प्रतिवादी

रिट याचिका (एस) संख्या 1567 / 2017

1. भगन हांसदा, पिता- श्री दादो हांसदा, ग्राम रामाशोली, पो. नूतनगढ़, थाना धालभूमगढ़, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
2. खुदीराम मुर्मू, पिता- श्री कंडा मुर्मू, ग्राम बिहिन्दा, पो. मोहिलिशोल, थाना धालभूमगढ़, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से झारखंड राज्य, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, जिला रांची, झारखंड ।

... .. प्रतिवादी

रिट याचिका (एस) संख्या 2397 / 2017

अर्जुन प्रसाद यादव, पिता- मौजी प्रसाद यादव, ग्राम बाद, डाकघर खुट्टा, थाना सतगावां, जिला कोडरमा।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से झारखंड राज्य, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची।

2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, जिला रांची, झारखंड ।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 3075/2017

1. अनिता तिकी पिता- स्वर्गीय जागेश्वर तिकी, ग्राम रामर, डाकघर और थाना भंडरिया, जिला गढ़वा।
2. बिनोद कुजूर की पत्नी शोभा कुजूर, ग्राम नवाटोली, पो. मेदिनीनगर, थाना मेदिनीनगर (नगर), जिला पलामू।

... ..याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, झारखंड राज्य, कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची ।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना धुर्वा, जिला रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, कार्यालय राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना डोरंडा, जिला रांची ।

4. अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची ।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखाटोली, नामकोम, डाकघर और थाना नामकोम, जिला रांची ।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4111 / 2017

संजय कुमार सिंह, पिता- शिव मंगल सिंह, निवासी गांव सी.एफ.आर.आई., डाकघर एफ.आर.आई., थाना जोड़ापोखर, जिला धनबाद (झारखंड), पिन कोड-828108.

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड सरकार के मुख्य सचिव के माध्यम से झारखंड राज्य, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर III, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगन्नाथपुर, जिला रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, जिला रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4387 / 2017

राजकुमार उराँव, पिता- श्री गंदीरा उराँव, ग्राम खांडा, पो. नरौली, थाना भंडरा, जिला. लोहरदगा (झारखंड).

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची (झारखंड)।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची (झारखंड)।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची (झारखंड)।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची (झारखंड)।
5. महानिदेशक होमगार्ड, एंड्री हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर + थाना डोरंडा, जिला रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4790 / 2017

6. शिवलाल महतो, पिता- श्री जीतू महतो, ग्राम हुटुप, पंचायत कर्मा, डाकघर इरबा, थाना ओरमांड़ी, जिला रांची, झारखंड।
7. महाबीर काशी, पिता- रामधन काशी, ग्राम लोहगरा, डाकघर खटंगा, थाना रनिया, जिला खूंटी, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. मुख्य सचिव, झारखंड राज्य, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।

2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, जिला रांची, झारखंड

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 5140 / 2017

1. ऑस्कर सोरेंग, पिता- श्री बिरिश सोरेंग, ग्राम रामपुर महतो टोली, डाकघर रामपुर, थाना कामडारा, जिला गुमला, झारखंड।
2. फूलचंद उरांव, पिता- श्री डोमरा उरांव, ग्राम अंकरा गोबरी टोली, डाकघर गारा, थाना कामदरा, जिला गुमला, झारखंड।

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, रांची, डाकघर धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।

5. महानिदेशक, होम गार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर डोरंडा, थाना डोरंडा, जिला रांची, झारखंड।

... .. प्रतिवादी

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 5397 / 2017

1. मनीष कुमार शर्मा, पिता- मोतीलाल शर्मा, ग्राम लुम्बा, डाकघर सतबहिनी, थाना पांडु, जिला पलामू, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर- धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना जगरनाथपुर, जिला रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, थाना डोरंडा, जिला रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6033 /2017

1. योगेन्द्र प्रधान पिता- श्री योगेश्वर प्रधान, निवासी भील यूनिसेल, डाकघरबानो, थाना बानो, जिला सिमडेगा, झारखंड।

2. वैसाखू मांझी पिता- स्वर्गीय उरु मांझी, ग्राम रोबरा काहुपानी, डाकघर- बंगेरा, थाना जलडेगा, जिला सिमडेगा, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

डब्ल्यू.पी (एस) संख्या 1246 / 2018

1. नीरज कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- श्री जितेंद्र कुमार राम ग्राम पंडरपाला, बी-पॉलिटैक्निक, डाकघर- बी-पॉलिटैक्निक, थाना बैंक मोरे, जिला धनबाद।
2. उपेन्द्र यादव, आयु लगभग 30 वर्ष पिता- श्री राम खेलावन यादव, ग्राम शिमलाबहल, डाकघरभागबंध, थाना झरिया, जिला धनबाद।

... .. प्रार्थी

बनाम

1. मुख्य सचिव, झारखंड राज्य, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।

2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1344 of 2018

1. राम टुडू, उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- श्री रतन टुडू, निवासी एनसीएफ-6/33 न्यू कॉलोनी मोसाबोनी, डाकघर- मोसाबोनी, थाना मोसाबोनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।
2. प्रकाश सोरेन, उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- नारायण सोरेन ग्राम जनेगोरा, डाकघर- भागबंदी, थाना डुमुरिया, जिला पूर्वी सिंहभूम।
3. बबीता किस्कू, उम्र लगभग 28 वर्ष पत्नी श्री दुबई किस्कू निवासी गांव जनेगोरा, डाकघर- भागबंदी, थाना- डुमुरिया, जिला पूर्वी सिंहभूम।
4. दशरथ हांसदा, उम्र लगभग 31 वर्ष पिता- स्वर्गीय लोदो हांसदा निवासी गांव मेरिया, डाकघर- और थाना- मुसाबनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।
5. सूरी मरियम चाकी, उम्र लगभग 35 वर्ष श्री तुनु राम चांकी, निवासी किताडीह (सरना मार्शल क्लब के पास), डाकघर- किताडीह, थाना- परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम।
6. मालती माधुरी चाकी, उम्र लगभग 31 वर्ष श्री टुनु राम चाकी, ग्राम किताडीह, डाकघर- किताडीह, थाना परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम।
7. दुलारी किस्कू, उम्र लगभग 34 वर्ष पत्नी श्री वारसा किस्कू, निवासी जनेगोरा, डाकघर- भागबंदी, थाना- डुमुरिया, जिला पूर्वी सिंहभूम।
8. सलखू मुर्मू, उम्र लगभग 28 वर्ष पिता- चांद राय मुर्मू, निवासी एनसीएफ-6/33 न्यू कॉलोनी मोसाबोनी, डाकघर- मोसाबोनी, थाना- मोसाबोनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।

9. सुभाष मरडी, उम्र लगभग 28 वर्ष पिता- स्वर्गीय गंगा राम मरडी, ग्राम बारा अस्ती, डाकघर- बारा अस्ती, थाना गुरबंदा, जिला पूर्वी सिंहभूम।
10. सोना टुडू, उम्र लगभग 35 वर्ष लाधु टुडू निवासी गांव जमशोल, डाकघर- मोसाबोनी, थाना- मोसाबोनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।
11. पानी टुडू, उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी गांव जमशोल, डाकघर- मोसाबोनी, थाना- मोसाबोनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।
12. सीताराम सोरेन, आयु लगभग 31 वर्ष पिता- श्री मोहन सिंह सोरेन, निवासी एनसीएफ- 8/57 न्यू कॉलोनी मोसाबोनी, डाकघर- मोसाबोनी, थाना- मोसाबोनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।
13. बिधान टुडू, उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- श्री रतन टुडू, निवासी एनसीएफ-6/33 न्यू कॉलोनी मोसाबोनी, डाकघर- मोसाबोनी, थाना- मोसाबोनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।
14. बुद्धेश्वर मंडी, उम्र लगभग 28 वर्ष पिता- श्री नरेंद्र नाथ मंडी ग्राम पिठाटी, डाकघर- करादुबा, थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम।
15. संध्या कुमारी, उम्र लगभग 30 वर्ष श्री बेलस पाल, निवासी गांव कांडू मोहल्ला, डाकघर- सुआ, थाना- डाल्टनगंज, जिला पलामू, झारखंड
16. रुचि देवी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी श्री धर्मेंद्र राम, निवासी गांव सरजा माथुर, डाकघर- पांकी, थाना- पनकी, जिला पलामू, झारखंड।
17. कलावती कश्यप, उम्र लगभग 31 वर्ष पत्नी श्री विजय राम निवासी गांव सुदना, डाकघर- और थाना- डाल्टनगंज, जिला पलामू, झारखंड।
18. पालू राम सोरेन, उम्र लगभग 30 वर्ष पिता- श्री गोपाल सोरेन निवासी गांव लतिया (निमडीह), डाकघर- बडिया, थाना मुसाबोनी, जिला पूर्वी सिंहभूम।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर--धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।

3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुवा, डाकघर-धुवा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुवा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाताओं

के साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1960 / 2018

1. दीपक कुमार मिश्रा, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता- हरेंद्र मिश्रा, निवासी ग्राम- आईटीआई परिसर, डाकघर- और थाना-- धनबाद, जिला- धनबाद (झारखंड)।
2. इंद्रजीत महतो, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- श्री झरी महतो, निवासी गांव भूली बस्ती (कुम्हारटोला), डाकघर- भूली नगर, थाना- बैंक मोर, जिला- धनबाद (झारखंड)।
3. हेमंत कुमार महतो, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- हरधन महतो, निवासी ग्राम- पंडरपाला, डाकघर-बी-पॉलिटेक्निक, थाना- बैंक मोर, जिला- धनबाद (झारखंड)।
4. पशुपति महतो, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- स्वर्गीय डोमन चंद्र महतो, निवासी गांव धड़कीडीह टोला कांचीडीह, डाकघर- बिरा, थाना- पटमडा, जिला- पूर्वी सिंहभूम (झारखंड)।

... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुवा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुवा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर- III, धुवा, डाकघर-धुवा, थाना-जगरनाथपुर, जिला - रांची, पिन 834004 ।

4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर- डोरंडा, थाना- डोरंडा, जिला- रांची, झारखंड।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4003 / 2018

1. अजीत कुमार पांडेय उम्र लगभग 31 वर्ष पिता- नकुल चंद्र पांडेय निवासी गैरा, डाकघर चुगलामो, थाना- बरकट्टा, जिला हजारीबाग।
2. अजय कुमार यादव उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- कैलेश्वर यादव, निवासी सुरेश कॉलोनी, डाकघर हजारीबाग, थाना- सदर, जिला हजारीबाग।

... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने गृह सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय प्रथम तल, परियोजना भवन, डाकघर थानाधुर्वा, जिला रांची।
2. पुलिस महानिदेशक का कार्यालय पुलिस मुख्यालय, एचईसी डाकघर और थाना- धुर्वा जिला रांची ।
3. पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग डाकघर और थानाऔर जिला हजारीबाग।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अपने सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय एफ - 49/50, सेक्टर- III, डाकघर और थानाधुर्वा, जिला रांची ।
6. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय एफ -49/50, सेक्टर- III डाकघर और थानाधुर्वा जिला रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4111 / 2018

1. अंगद तिवारी, आयु लगभग 32 वर्ष पिता- श्री महावीर तिवारी निवासी टेलको, इंजन पार्क, हाउस नंबर 27, जमशेदपुर, डाकघर और थाना टेलको, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
2. अरुण कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- श्री दशरथ साहू, ग्राम गदरा, डाकघर गदरा, थाना पारोडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 5833 / 2018

1. मणिकांत सिंह राजन, उम्र 32 वर्ष पिता- तृप्ति नारायण सिंह, निवासी सेक्टर-III डी, क्वार्टर नंबर 27, बोकारो स्टील सिटी, डाकघर और थाना बोकारो स्टील सिटी-III, जिला बोकारो।

... .. प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य ।

2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
4. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।
5. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, काली नगर, चाय बागान, नामकुम, पोस्ट नामकू, पुलिस स्टेशन नामकुम, जिला - रांची से अपने सचिव के माध्यम से।
6. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची से काली नगर, चाय बागान, नामकुम, पोस्ट नामकू, पुलिस स्टेशन नामकुम, जिला - रांची।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 5844 / 2018

1. अमित कुमार सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- श्री देव बंश सिंह, ग्राम सुल्तानी, डाकघर बभनडीह, थाना हरिहरगंज, जिला सुल्तानी, थाना हरिहरगंज। पलामू (झारखंड)।
2. धर्मेन्द्र कुमार उम्र लगभग 31 वर्ष पिता- श्री गोपाल प्रसाद गुप्ता, विललगे हरिहरगंज, डाकघर और थाना- हरिहरगंज, जिला हरिहरगंज। पलामू, झारखंड।

... .. प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।

4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... ... उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6660 / 2018

1. तुलसी मुनि हांसदा, उम्र लगभग 26 वर्ष दशरथ हांसदा पत्नी छोटाराय टुडू, निवासी गांव चतरो, डाकघर पांडुडा, थाना- धालभूमगढ़, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

... ... प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुरवा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑट्टे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

... ... उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 6702 / 2018

1. संतोष कुमार उम्र लगभग 30 वर्ष पिता- केशवर साव निवासी सतबरवा डाकघर- सतबरवा थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू।
2. बालेश्वर सिंह उम्र लगभग 38 वर्ष पिता- राजा सिंह निवासी सोहड़ी, डाकघर- चानपी, थाना लेस्लीगंज, जिला लेस्लीगंज पलामू।
3. रविन्द्र सिंह उम्र लगभग 45 वर्ष पिता- राजा सिंह निवासी सोहड़ी, थाना लेस्लीगंज, जिला सोहड़ी पलामू।
4. प्रकाश कुमार सिंह उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- दुखी सिंह निवासी फुलवरिया, डाकघर- सतबरवा, थाना मेदिनीनगर, जिला पलामू।
5. रामधनी भुइयां उम्र लगभग 30 वर्ष राजा राम भुइयां, निवासी घुटवा डाकघर- चानपी, थाना लेस्लीगंज, जिला पलामू।
6. अर्जुन राम उम्र लगभग 38 वर्ष पिता- सरयू राम निवासी सतबरवा डाकघर- चानपी, थाना लेस्लीगंज, जिला पलामू।
7. अमिताभ सिंह उम्र लगभग 36 वर्ष पिता- सुनेश्वर सिंह निवासी रेवरातु, डाकघर- धावडीह, थाना लेस्लीगंज, जिला पलामू।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य, अपने गृह सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय पहली मंजिल, परियोजना भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची।
2. पुलिस महानिदेशक का कार्यालय पुलिस मुख्यालय, एचईसी डाकघर और थाना- धुर्वा जिला रांची ।
3. पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग पी.एल.ओ. थाना और जिला हजारीबाग ।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना- जगन्नाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय एफ -49/50, सेक्टर- III डाकघर और थाना -धुर्वा जिला रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 445 / 2019

नितेश कुमार सिंह, उम्र लगभग 32 वर्ष पिता- नागेंद्र प्रसाद, निवासी संकट मोचन नगर, सीक्रेट हार्ट स्कूल के पास, डाकघर और थाना- झुमरी तेलैया, जिला कोडरमा।

... .. प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑट्ट्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाताओं

साथ

डब्ल्यू.पी(एस) संख्या 1492 / 2019

1. सितेश कुमार प्रजापति, उम्र लगभग 31 वर्ष, राधा कृष्ण प्रजापति पिता--, निवासी वार्ड नंबर 5, ग्राम- चपरी, डाकघर- चपरी, थाना- भवनाथपुर, जिला- गढ़वा, झारखंड।
2. शिव कुमार पासवान, उम्र करीब 37 वर्ष, पिता- महेन्द्र राम निवासी वार्ड नंबर 3, ग्राम- मुकुंदपुर मायर, डाकघर- केतार, थाना-केतार, जिला- गढ़वा, झारखंड।
3. विजय कुमार भारती, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- जुगेश्वर राम, ग्राम- जमुवा, डाकघर जमाँय, थाना नगर उंटारी, जिला- गढ़वा, झारखंड।

4. मानसरोवर विश्वकर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- रामप्रसाद विश्वकर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 6, ग्राम- पिपरडीह, डाकघर- लामारी कला, थाना- कांडी, जिला- गढ़वा, झारखंड।
5. कृष्ण कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- जय श्री धोबी, निवासी वार्ड नंबर 9, ग्राम- नवाडीह, डाकघर- केतार, थाना - भवनाथपुर, गढ़वा, झारखंड।

... याचिकाकर्ताओं।

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर- और थाना- धुर्वा, जिला रांची ।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर
3. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, जिसका कार्यालय राजेंद्र चौक, डाकघर- और थाना- डोरंडा, जिला रांची ।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखटोली, नामकोम, डाकघर- और थाना- नामकोम, जिला रांची ।
6. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखटोली, नामकोम, डाकघर- और थाना- नामकोम, जिला रांची ।

... उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1720 / 2019

1. सुधीर यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- श्री भगवती यादव, निवासी ग्राम-छपरी, डाकघर- उदयपुर, थाना रामकांडी, जिला गढ़वा, झारखंड।
2. संदीप कुमार बैठा, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता- श्री चुन्नी बैठा, निवासी ग्राम-डुमरी, डाकघर एवं थाना- चैनपुर, जिला पलामू, झारखंड।
3. दिलीप यादव, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता- श्री नमहू यादव, निवासी गांव टेमराई, डाकघर सेमारा, थाना चैनपुर, जिला पलामू, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य मुख्य सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर- और थाना-- धुर्वा, जिला-रांची ।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, झारखंड सरकार, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर- और थाना- धुर्वा, जिला रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड, राजेंद्र चौक, डाकघर- और थाना--डोरंडा, जिला-रांची ।
4. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखटोली, नामकोम, डाकघर- और थाना- नामकोम, जिला रांची ।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय काली नगर, चाय बागान, सिरखटोली, नामकोम, डाकघर- और थाना- नामकोम, जिला रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1931 / 2019

1. मनोज कुमार गोरई, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता- सहदेव गोरव, निवासी ग्राम- सतनपुर, डाकघर- सतनपुर, थाना- सेक्टर बारहवीं, जिला- बोकारो, झारखंड।
2. राजन मांझी, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- साहेब राम मांझी, निवासी ग्राम- उबरडीह, डाकघर- चिलगद्दाह, थाना- जरीडीह, जिला- बोकारो, झारखंड।
3. वीरेंद्र कुमार हांसदा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- श्री रामजीत मांझी, निवासी ग्राम- कोजराम, डाकघर- उत्तरसरा, थाना- पेटवार, जिला-बोकारो झारखंड।
4. राम नाथ मांझी, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- मोहन मांझी, ग्राम हरदी-हरिडीह, डाकघर- अराजू, थाना- जरिडीह, जिला- बोकारो, झारखंड।
5. चंदन किस्कू, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- गोपाल मांझी, निवासी ग्राम- बेलडीह, डाकघर- अराजो, थाना- जरीडीह, जिला- बोकारो, झारखंड।
6. पंचान मांझी, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता- दरबारी मांझी, निवासी ग्राम- कोह, डाकघर- पीटरवार, थाना- पीटरवार, जिला- बोकारो, झारखंड।

7. कैलाश प्रसाद हांसदा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- स्वर्गीय हरेंद्र प्रसाद मांझी, निवासी ग्राम- बंचास टोला, तिपाख बेड़ा, डाकघर- अनंतपुर, थाना- जरीडीह, जिला- बोकारो, झारखंड।
8. रामजीत मुर्मू, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता- सियाराम मुर्मू, निवासी ग्राम- दुग्धा, टोला बेड़ा बस्ती, डाकघर- और थाना-- दुग्दा, जिला- बोकारो, झारखंड।
9. सगुन हांसदा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- बिलेश्वर हांसदा, निवासी ग्राम- बेलडीह, डाकघर- आराजू, थाना- जरीडीह, जिला- बोकारो, झारखंड।
10. रमेश मुर्मू, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- स्वर्गीय कुंवर मुर्मू, निवासी ग्राम- अररी, डाकघर- चारगी, थाना- पेटरवार, जिला- बोकारो, झारखंड।
11. रामजीत किस्कु, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- स्वर्गीय मदन किस्कु, निवासी ग्राम- पोद्दाग, डाकघर- और थाना-- पीटरवार, जिला- बोकारो, झारखंड।
12. भुनेश्वर कुमार महतो, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- अर्जुन महतो, निवासी ग्राम- खैराजरा, डाकघर- ओरदोना, थाना- पीटरवार, जिला- बोकारो, झारखंड।
13. संजय कुमार घासी, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता- कालेश्वर घासी, निवासी ग्राम- टोंड़ा, डाकघर- भास्की, थाना- जरीडीह, जिला- बोकारो, झारखंड।

... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार के माध्यम से, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची ।
2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर- III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला- रांची, पिन- 834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर- धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑट्टे हाउस कॉमलेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना- डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड ।

उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1990 / 2019

1. संजय कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- श्री सुखदेव प्रसाद, निवासी गांव मेरु, डाकघर मेरु (बीएसएफ), थाना मुफ्फसिल, जिला हजारीबाग।
2. रवि कुमार, वृद्धा पिता- स्वर्गीय नंदकिशोर प्रसाद, निवासी गांव मेरु, डाकघर मेरु (बीएसएफ), थाना मुफ्फसिल, जिला हजारीबाग।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य, अपने गृह सचिव के माध्यम से, जिसका कार्यालय पहली मंजिल, परियोजना भवन, डाकघर- और थाना- धुर्वा, जिला रांची ।
2. पुलिस महानिदेशक, जिसका कार्यालय पुलिस मुख्यालय, एचईसी, डाकघर- और थाना- धुर्वा, जिला रांची ।
3. पुलिस अधीक्षक, हजारीबाग, डाकघर और थानाऔर जिला हजारीबाग।
4. पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह, डाकघर, थाना- और जिला गिरिडीह।
5. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर- III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना- जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
6. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जिसका कार्यालय एफ -49/50, सेक्टर- III, डाकघर- और थाना- धुर्वा, जिला रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 3413 / 2019

1. बलराम ठाकुर उम्र लगभग 30 वर्ष पिता- जनार्दन ठाकुर, निवासी ग्राम-काबेर काओपी, थाना-चारन, थाना साहेबगंज, जिला-साहेबगंज।

2. राकेश शर्मा, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- स्वर्गीय राम रतन शर्मा, निवासी ग्राम-हबीबपुर, डाकघर- और थाना--साहिबगंज, जिला- साहिबगंज।
3. पंकज कुमार रबिदास, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- सरयुग रबिदास, ग्राम-सकनूगढ़, डाकघर एवं थाना-साहिबगंज, जिला साहिबगंज।
4. जितेंद्र कुमार रजक, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- बुल्लू रजक, निवासी ग्राम-बेंगोली टोला दुसद पारा साहिबगंज, डाकघर- और थाना- साहिबगंज, जिला साहिबगंज।
5. राकेश कुमार यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- महेश प्रसाद यादव, निवासी ग्राम-पोखरिया, थाना प्रभारी एवं थाना - जिस्वावरी, जिला साहेबगंज।
6. मोहम्मद फेरुजुद्दीन, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- मोहम्मद सरफुद्दीन निवासी ग्राम-मझरटोला, डाकघर-साहिबगंज, थाना जिरवावरी, जिला-साहिबगंज।
7. प्रेम कुमार साह, उम्र लगभग 33 वर्ष, पिता- हीरा लाल साहा, ग्राम-कुमार पुर, डाकघर बरटोला, थाना रंगा, जिला रंगा। साहिबगंज।
8. थॉमश टुडू, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता- मैकिल टुडू, निवासी ग्राम- लखीपुर, डाकघर लखीपुर, थाना रंगा, जिला लखीपुर। साहिबगंज।
9. मोहम्मद इम्तिजाज अंसारी, उम्र लगभग 31 वर्ष पिता- मोहम्मद कासिम, निवासी ग्राम-शकरुगझ, डाकघर एवं थाना- साहिबगंज, जिला- साहिबगंज।
10. सुरेंद्र यादव, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- स्वर्गीय दुवारिका यादव, निवासी ग्राम-कबुतर खापी, डाकघर चानन, थाना जिरवावारी, जिला जिरवाारी। साहिबगंज।
11. संतोष कुमार चौधरी, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- महेंद्र चौधरी, निवासी ग्राम- नयाटोला, डाकघर साहिबगंज।
12. कृष्णा नंद यादव, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- श्रीपति यादव, निवासी ग्राम-छोटा जिरवावारी, डाकघर चानन, थाना जिरवावारी, जिला जिरवावारी, जिला छोटा जीरवारी, थाना छोटा जीरवारी, जिला छोटा जीरवारी, डाकघर साहिबगंज।
13. प्रदीप रॉय, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता- लक्ष्मण राय, निवासी ग्राम- कमल टोला, डाकघर- और थाना- साहिबगंज, जिला पटना। साहिबगंज।
14. जितेंद्र कुमार यादव, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- भोला यादव, निवासी ग्राम- छोटा पंचगर जिरवावारी, डाकघर एवं थाना- जिरवावारी, जिला जिरवावारी। साहिबगंज।

15. मनीष कुमार यादव, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता- स्वर्गीय प्रभु नाथ यादव, निवासी ग्राम-खाबुत्तर खोपी, डाकघर एवं थाना-जिरवारी, जिला जिरवारी। साहिबगंज।
16. पप्पू यादव, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- कैलाश यादव, ग्राम खबुत्तर खोपी, पो. चानन, थाना जिरवावारी, जिला. साहिबगंज.
17. रूपाचन्द मरांडी, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता- बेटका मरांडी, ग्राम- लाबड़ी, थाना प्रभारी एवं थाना साहिबगंज।
18. होपना मुर्मू, उम्र लगभग 32 वर्ष पिता- शीतल मुर्मू, ग्राम -मोती पहाड़ी, डाकघर साहिबगंज।
19. होपना सोरेन, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- बाबू राम सोरेन, निवासी ग्राम- बारा दिघी, डाकघर साहिबगंज।
20. सुशील हेम्ब्रम, उम्र लगभग 28 वर्ष, पिता- चरण हेम्ब्रम, निवासी ग्राम-बारा दिघी, डाकघर बारा डिगीही, थाना रंगा, जिला बारा साहिबगंज।
21. सुरदाश किस्कू, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- एतबार किस्कू, निवासी ग्राम-शिवपहाड़, डाकघर बरतला, थाना रंगा, जिला शिवपहाड़। साहिबगंज।
22. फ्रांसिस टुडू, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- गारी टुडू, निवासी ग्राम- सिमरा मांड्रो, डाकघर मांडरो, थाना मिर्जा चौकी, जिला झांसी। साहिबगंज।
23. साहेब हेम्ब्रम, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- जैसी हेम्ब्रम, ग्राम-पराश बोरा, डाकघर साहिबगंज।
24. चूनू मरांडी, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- स्वर्गीय पूषा मरांडी, निवासी ग्राम-महकूप बारा दिघी, डाकघर साहिबगंज।
25. सुलेमान हसदा, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- सिम हसदा, ग्राम-चापूजन, डाकघर साहिबगंज।
26. बबलू किशु, उम्र लगभग 27 वर्ष, पिता- बाबूलाल किशू, निवासी ग्राम-लबड़ी करमटोला, डाकघर लाबड़ी, थाना बरहट, जिला बलूरट, बबलू, जिला लाबड़ी, प.सं. साहिबगंज।
27. सुमन कुमार हेम्ब्रम, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- शिबू हेम्ब्रम, ग्राम- छोटा केंदवा, डाकघर-मांडरो, थाना मिर्जाचुका, जिला मिर्जाचुका, साहिबगंज।
28. मोहम्मद साबिर हसुन, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- मोहम्मद वाहिद अली, निवासी ग्राम-मोती झरना, डाकघर साहिबगंज।

29. दीना मुर्मू, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता- शंझाला मुर्मू, निवासी ग्राम- गंगटी, डाकघर- भोगैया, थाना मिर्जाचोकी, जिला गठी। साहिबगंज।
30. लक्ष्मण किशकू, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- मुंशी किशकू, निवासी ग्राम-हरीशचंद पुरी, डाकघर साहिबगंज।
31. रामदास सोरेन, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- पांडु सोरेन, निवासी ग्राम-पोखला चशजुमा, डाकघर-पोरियो, थाना बोरिया, जिला पोखला, पो। साहिबगंज।
32. मदन मुर्मू, उम्र लगभग 32 वर्ष, सिंगराय मुर्मू का पिता-, ग्राम-इलाकी बोरबंधा, पो. बरहेट, थाना बरहेट, जिला. साहिबगंज।
33. मंगल किशकू, उम्र लगभग 31 वर्ष, पिता- बाबूजी किशकू, निवासी ग्राम- खुटाना, डाकघर- बरमशिया, थाना बरहेट, जिला बरहात। साहिबगंज।
34. नायकी मुर्मू, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- शाल्होज मुर्मू, निवासी ग्राम- पंच कटिया, संधाली, डाकघर-बरमशिया, थाना बरहेट, जिला- साहिबगंज।
35. छोटा लखन टुडू, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- सुफल टुडू, निवासी ग्राम-मोती झरना, डाकघर साहिबगंज।
36. अनिल यादव, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता- ब्रमदेव यादव, ग्राम-सकरूगढ़, डाकघर-कबूतर खोपी चानन, डाकघर एवं थाना जिरवावारी, जिला साहिबगंज।
37. सोनी देवी, उम्र लगभग 32 वर्ष, पति छोटे लाल बेदिया निवासी ग्राम-हेसला, डाकघर एवं थाना- रामगढ़, जिला - रामगढ़।
38. तेजू रजक, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- भद्रू रजक, ग्राम-सूत्री, थाना गोला, जिला सुत्रि, जिला रामगढ़।
39. कुमारी बेबी, उम्र लगभग 30 वर्ष, अवधेश कुमार की पत्नी, निवासी बालसागरा, डाकघर बालसागरा, थाना मांडू, जिला हजारीबाग।
40. शत्रुघ्न प्रसाद, उम्र लगभग 30 वर्ष, पिता- स्वर्गीय नागेश्वर महतो, निवासी चाईगड़ा, डाकघर रामगढ़।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य अपने मुख्य सचिव के माध्यम से, कार्यालय पहली मंजिल, परियोजना भवन, डाकघर- और थाना--धुर्वा, जिला-रांची ।
2. पुलिस महानिदेशक कार्यालय पुलिस मुख्यालय, एचईसी, डाकघर- और थाना--धुर्वा, जिला-रांची ।
3. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय साहेबगंज, डाकघर, थाना- और जिला- साहेबगंज ।
4. पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा, डाकघर, थाना और जिला-लोहरदगा ।
5. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय सिमडेगा, डाकघर, थाना और जिला- सिमडेगा।
6. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय प्लामू, डाकघर, थाना और जिला-प्लामू ।
7. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय गढ़वा, डाकघर, थाना और जिला-गढ़वा ।
8. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय सरायकेला खरसावां, डाकघर, थाना और जिला-सरायकेला
9. पुलिस अधीक्षक, कार्यालय, डाकघर थाना और जिला-रांची ।
10. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, अपने सचिव के माध्यम से एफ -49/50, सेक्टर- III, डाकघर- और थाना--धुर्वा, जिला-रांची ।
11. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का कार्यालय एफ -49/50, सेक्टर- III, डाकघर- और थाना--धुर्वा, जिला-रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4143 / 2019

1. समुंद्री कुमारी, उम्र लगभग 29 वर्ष पिता- महेंद्र प्रसाद मेहता, पत्नी राज कुमार मेहता, निवासी तिलैडीह, डाकघर-सूरजपुरा, थाना - ओपी पद्मा, जिला हजारीबाग झारखंड।

... .. प्रार्थी

बनाम

1. झारखंड राज्य ।
2. सचिव, कार्मिक, प्रशासन, सुधार एवं राजभाषा विभाग, परियोजना भवन, झारखंड सरकार, डाकघर एवं थाना धुर्वा जिला रांची ।

3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुरवा, डाकघर-धुर्वा, थाना- धुर्वा, जिला-रांची, पिन -834004 ।
4. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबगान, सिरखटोली, डाकघर और थाना- नामकुम, जिला रांची, झारखंड।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 961 / 2020

- 1) सोनू कुमार झा, निवासी भील-घाट डुमरिया, डाकघर-घाट डुमरिया, थाना-गोड्डा जिला- गोड्डा।
- 2) रॉकी सिंह, निवासी नैनातोंद, डाकघर-तेनुघाट, थाना- गोमिया, जिला बोकारो।
- 3) आनंद पांडेय, निवासी दुग्दा बस्ती, डाकघर फुलझरिया, थाना-बोकारो, जिला बोकारो।
- 4) महेश बेदिया, निवासी गांव एवं डाकघर-नवागढ़, थाना- सिकिद्री, जिला रांची
- 5) तुलसी दास प्रमाणिक, निवासी भील-परायडीह, डाकघर-जानुम्पिरी, थाना- तमार, जिला रांची।
- 6) अजीत कुमार यादव, निवासी एवं डाकघर-बाजितपुर, थाना- मेहरमा, जिला गोड्डा।
- 7) हरिहर सिंह, आर/ओ सक्रिगली आश्रम, डाकघर-साहिबगंज थाना- साहिबगंज-एम डिस्ट साहिबगंज ।
- 8) मिथुन कुमार सिंह, निवासी एवं डाकघर महादेवगंज थाना एवं जिला साहिबगंज ।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

- 1) सचिव गृह जेल और आपदा प्रबंधन, झारखंड राज्य, कार्यालय - पहली मंजिल परियोजना भवन, डाकघर और थाना- धुर्वा जिला रांची ।
- 2) सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्यभाषा विभाग, नेपाल हाउस में कार्यालय, डाकघर और थाना- डोरंडा, जिला रांची।
- 3) पुलिस उप महानिरीक्षक , झारखंड सशस्त्र पुलिस, कार्यालय -वन अधिकारी कॉलोनी, डाकघर और थाना- डोरंडा, जिला रांची।

- 4) अध्यक्ष , झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कार्यालय- चाईबगन कालीनगर, डाकघर और थाना- नामकोम, जिला रांची ।
- 5) सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चायबागान कालीनगर, डाकघर- और थाना- नामकोम, जिला रांची।
- 6) परीक्षा नियंत्रक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चाईबगन कालीनगर, डाकघर- और थाना- नामकोम, जिला रांची।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 1231 / 2020

- 1) नितेश कुमार, निवासी वार्ड नंबर 10 कोइलवार भोजपुर, डाकघर और थाना भोजपुर जिला भोजपुर बिहार।
- 2) नलित प्रकाश महतो, निवासी गांव उलिलोहार डाकघर-उलिलोहर थाना तामार जिला रांची।
- 3) मोहन प्रसाद, निवासी देवकुली डाकघर-थाना देवकुली जिला हजारीबाग।
- 4) नरेश कुमार, निवासी 14 शिव मंदिर चौक के पास अलगडीह डाकघर-सोकी थाना- मयूरहंड जिला चतरा।
- 5) शिबू कुमार राणा, निवासी गांव महेश डाकघर-मंधानिया थाना मयूरहंड जिला चतरा।
- 6) कल्पना कुमारी, राव/ओ विल उमेदंडा पो उमेदंडा थाना- बर्मू जिला रांची।
- 7) रहमत अली, निवासी मरहा बड़होरा डाकघर और थाना भोजपुर जिला भोजपुर।
- 8) रमन कुमार उपाध्याय, निवासी बभंगावां डाकघर और थाना- भभंगवान डिस्ट भोजपुर बिहार।
- 9) सरगुना कुमारी, ग्राम गोरिया करमा डाकघर पदमा जिला हजारीबाग।
- 10) हर्ष राज, निवासी भील दीक्षिनी डुमरी डाकघर और थाना डुमरी जिला समस्तीपुर विहार।
- 11) भरत चंद्र महतो, राव/ओ विल कुमारदागा पो कुमारगा पो कुमारगा थाना- पिंडराजोरा जिला बोकारो।
- 12) अंबुज कुमार महतो, राव/ओ विल कुमारडागा पो कुमारगा थाना- पिंडराजोरा जिला बोकारो।
- 13) पिंटू कुमार, विल कैथी सिरो पो एन्ड थाना- कैथ सिरो डिस्ट औरंगाबाद बिहार।

- 14) अविनाश कुमार पांडेय, शिव मंदिर यादव के पास मोहल्ला डाकघर- और थाना- हरिहरपुर जिला धनबाद।
- 15) अमित कुमार, गांव और डाकघर तरार थाना- दाउदनगर, जिला औरंगाबाद, बिहार।
- 16) विष्णु कुमार साँ, ग्राम डाकघर एंड थाना- पीरटांड जिला गिरिडीह।
- 17) दिलीप कुमार, एटी एंड डाकघर गोपालपुर थाना- कांच जिला गया।
- 18) पार्वती कुमारी साहू, गांव डाकघर- और थाना- निगनी जिला लोहरदगा।
- 19) मनोरंजन कुमार, विल दुलापुर पो एन्ड थाना- दुलौर डिस्ट भोजपुर बिहार।
- 20) सोनू कुमार यादव, ग्राम अबंदन उर्फ बैरान डाकघर एवं थाना अबंदन उर्फ बैरन जिला गाजीपुर बिहार।
- 21) संजीत कुमार यादव, देवकथिया थाना- रसालपुर डिस्ट गाजीपुर उत्तर प्रदेश।
- 22) अंकेश चौहान, गांव खंडबिहारी पो रतैता थाना- हवेली जिला मुंगेर।
- 23) मतेंद्र कुमार, डाकघर- और थाना- सरायियां जिला भोजपुर बिहार।
- 24) चंदन कुमार गुप्ता, विल पो एन्ड थाना- केशवन डिस्ट भोजपुर बिहार।
- 25) कृष्ण कुमार, गांव और डाकघर मैरीहाने थाना- गवन जिला गिरिडीह।
- 26) सुरेन्द्र कुमार, ग्राम एन्ड पो कृष्णगढ़ थाना- बरहरा डिस्ट भोजपुर बिहार।
- 27) इमरान मियां, पानी पकरी पश्चिम चंपारण पो पिपरा थाना- पाकरी जिला पश्चिम चंपारण बिहार।
- 28) रश्मि देवी, गांव जालौन डाकघर- और थाना- जालौन उकोन जिला उत्तरप्रदेश।
- 29) हिमांशु कुमार, एटी डाकघर- और थाना- नारदीगंज जिला नवादा बिहार।
- 30) परितोष कुमार, एटी एंड डाकघर- सस्बाहना थाना- कसार ग्राम एंड डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा।
- 31) जितेन्द्र कुमार, विल चंदनपुर पो चंदापर थाना- अष्ठावन डिस्ट नालंदा।
- 32) मिथिलेश कुमार, विल कडियाली पो एन्ड थाना- कडियाली कुर्द डिस्ट औरंगाबाद बिहार।
- 33) नीतीश कुमार, वार्ड नंबर 10 कोइलवार ग्राम डाकघर- एंड थाना- भोजपुर बिहार।
- 34) लालबिहारी कुमार, विल बुधौल पो बकरौर थाना- बोधगया डिस्ट गया बिहार।
- 35) बरुण कुमार, गांव डाकघर- और थाना- रूपे जिला नवादा बिहार।
- 36) रामप्रवेश कुमार, रानीसती मंदिर डाकघर- और थाना- करकेंड बाजार जिला धनबाद।
- 37) इंद्रदेव रजक, वार्ड नंबर 9 भोंडो डाकघर- और थाना- चंदवारा जिला कोडरमा।
- 38) अरुण कुमार, गांव और डाकघर- दहियारी थाना- परसबानी जिला बोकारो।

- 39) आलोक कुमार, विल एन्ड पो सरवापुर थाना- महेंदिया डिस्ट अरवाल बिहार।
- 40) संदीप कुमार, विल सिधिपुर पो एन्ड थाना- सिद्धीपुर डिस्ट पटना बिहार।
- 41) राधा कुमारी, दुर्गा मंदिर के पास डाकघर- प्रतिज्ञा थाना- कैदुआडीह जिला धनबाद।
- 42) रमा कुमारी, गांव एवं डाकघर- करोन थाना करोग्राम जिला देवघर।
- 43) लादुरय पूर्ति, गांव और डाकघर- बिंदा थाना- मुरहू जिला खूंटी।
- 44) विक्रान्त कुमार, एटी डाकघर- और थाना- मोहम्मदगंज जिला पलामू।
- 45) सुमन कुमारी, विल काशीनगर पुलिस स्टेशन डाल्टनगंज पो रेडमा दक्षिणी जिला पलामू।
- 46) संगीता कुमारी, र/ओ पंडरा पो पंडरा थाना- रुद डिस्ट लातेहार।
- 47) किरण कुमारी, निवासी गांव तुरीगारा पो तुरीगारा थाना- रानिया जिला खूंटी।
- 48) हरीश चंद्र लगुरी, निवासी गांव बलंदिया टोली मखिया टोली थाना- बलंदिया थाना- सतीबुरु झिंकपानी जिला पश्चिमी सिंहभूम।
- 49) मनोहर केरकेट्टा, डाकघर- जामगई थाना- चिनपुर जिला गुमला।
- 50) मदन महली, निवासी कुल्ही डाकघर- एवं थाना- कुल्ही जिला रांची।
- 51) पप्पू कुमार, निवासी जगदीशपुर डाकघर- जगदीशपुर पुलिस स्टेशन सरावां जिला रोहतास विहार।
- 52) शांति देवी, निवासी भील टेत्री पियो टेत्री थाना- नामकुम जिला रांची।
- 53) पल्लवी एक्का, निवासी भील बुरहाखुखरा पो बुरहाखुकरा थाना मंदार जिला रांची।
- 54) रंजीत हसा पूर्ति, निवासी भील केउरा डाकघर- केउरा थाना- सरवदा जिला पोल।
- 55) अनुपमा कुमारी, निवासी विल कोनमेरला डाकघर- एवं थाना- कंमेरला जिला सिमडेगा।
- 56) सुनील रविदास, निवासी विल पुनाई पो पुनाई थाना- पुनाई जिला हजारीबाग।
- 57) सुधीर कुमार यादव, निवासी गांव एंड पो बड़की धामराय थाना- जयनगर जिला कोडरमा।
- 58) राजकुमार कुशवाह, निवासी भील दरहा डाकघर- दरहा थाना इचक जिला हजारीबाग।
- 59) सोनू कुमार, निवासी भील रतैता पो रतैता थाना हवेली जिला मुंगेर बिहार।
- 60) बैजनाथ प्रसाद, निवासी विल कोइरीडीह पो कोइरीडीह पुलिस स्टेशन सरिया जिला गिरिडीह।
- 61) वसंत कुमार वर्मा, निवासी भील खुराजियो डाकघर- खुराजियो थाना- बिरनी जिला गिरिडीह।

62) अमित तिवारी, निवासी एस एन यादव अस्पताल बिरगा कॉलोनी करम टोली पो लालपुर थाना- लालपुर जिला रांची।

बनाम

- 1) झारखंड राज्य सचिव, गृह जेल और आपदा प्रबंधन, कार्यालय प्रथम मंजिल परियोजना भवन डाकघर और थाना- धुर्वा जिला रांची।
- 2) सचिव कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राज्यभाषा विभाग, कार्यालय नेपाल हाउस डाकघर और थाना- डोरंडा जिला रांची।
- 3) पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, वन अधिकारी कॉलोनी डाकघर और थाना- डोरंडा जिला रांची।
- 4) अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय के माध्यम से चायबगान कालीनगर डाकघर- और थाना- नामकोम जिला रांची।
- 5) सचिव झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चाईबागान कालीनगर डाकघर- और थाना- नामकोम जिला रांची।
- 6) परीक्षा नियंत्रक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चाईबागान कालीनगर डाकघर- और थाना- नामकोम जिला रांची ।

... ... उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 267 / 2021

1. अविनाश कुमार, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता- सदा नंद मंडल, निवासी गांव - 102, वार्ड नंबर 3, जगरनाथ मंदिर रोड, सरायकेला डाकघर- सरायकेला, थाना सरायकेला, जिला - सरायकेला, झारखंड।
2. पंकज कुमार, उम्र लगभग 25 वर्ष, पिता- प्रमोद कुमार, निवासी सैदल्ली, डाकघरपहुई, जिला - नालंदा, बिहार।

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. सचिव, गृह जेल और आपदा प्रबंधन के माध्यम से झारखंड राज्य, जिसका कार्यालय पहली मंजिल, परियोजना भवन, डाकघर- और थाना- धुर्वा, जिला रांची ।
2. सचिव, कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग, जिसका कार्यालय नेपाल हाउस डाकघर और थाना - दोरंडा, जिला रांची।
3. पुलिस उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, कार्यालय वन अधिकारियों की कॉलोनी, डाकघर और थाना डोरंडा जिला रांची।
4. अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चाईबागान, कालीनगर डाकघर और थाना- नामकोम, जिला रांची।
5. सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चाईबागान, कालीनगर डाकघर एवं थाना नामकोम, जिला रांची ।
6. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चायबागान, कालीनगर डाकघर और थाना- नामकोम, जिला रांची।

उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4241 / 2021

1. लक्ष्मी हांसदा, उम्र लगभग 31 वर्ष पिता - श्री राम काहन्द्र हंसदा निवासी, पत्नी श्री हेमंत सोरेन ग्राम मुराकाती, डाकघर- बाराजुरी, थाना घाटशिला, जिला पूर्वी सिंहभूम (झारखंड), पिन कोड-832303 ।
2. उर्मिला बेसरा, उम्र लगभग 32 वर्ष श्री धीरेन बेसरा, पत्नी मनोज हांसदा, ग्राम सरजामदा बंधटोला, डाकघर- सरजामदा, थाना- परसुडीह, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड, पिन कोड- 831002 ।

.. ... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, झारखंड राज्य, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।

2. गृह सचिव, झारखंड सरकार, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
3. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, एफ-49/50, सेक्टर-III, धुर्वा, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची, पिन-834004 ।
4. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, परियोजना भवन, रांची, डाकघर-धुर्वा, थाना-जगरनाथपुर, जिला-रांची ।
5. महानिदेशक, होमगार्ड, ऑड्रे हाउस कॉम्प्लेक्स, नेपाल हाउस के पास, डाकघर-डोरंडा, थाना-डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 4990 / 2021

1. अंगद यादव, उम्र लगभग 32 वर्ष पिता- सुनेश्वर यादव, ग्राम राहन बीघा, थाना सतबाहिनी, थाना पांडू, जिला देहरादून। पलामू।
2. सुरेंद्र यादव उम्र करीब 33 वर्ष पिता- मुंशी यादव निवासी वार्ड नंबर 2, गांव तहले, डाकघर- और थाना- चिनिया, जिला चिनिया। गढ़वा।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. झारखंड राज्य।
2. सचिव, गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग, परियोजना भवन, डाकघर रांची।
3. सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग, परियोजना भवन, डाकघर रांची।
4. पुलिस महानिदेशक, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, डाकघर रांची।
5. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अपने सचिव के माध्यम से जिसका कार्यालय चाईबगान, कालीनगर, डाकघर रांची।
6. उप महानिरीक्षक, झारखंड सशस्त्र पुलिस, वन अधिकारी कॉलोनी, डाकघर और थाना-डोरंडा, जिला दोरंडा, रांची।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 117 / 2023

1. विक्की कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, पिता- गणेश प्रसाद नोनिया, निवासी जय राम नगर बरवाडीह, डाकघर गिरिडीह, झारखंड।
2. रवि प्रकाश, उम्र लगभग 27 वर्ष पिता- सुपाल यादव, निवासी सत्संग नगर, डाकघर गोड्डा झारखंड।
3. मिथेलेश कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष पिता- गुरुचरण मंडल, निवासी सत्संग नगर, सत्संग मंदिर के पास, डाकघर गोड्डा झारखंड।
4. अजय मिश्रा, उम्र लगभग 30 वर्ष पिता- अनिल मिश्रा, निवासी जोशी कॉलोनी लकरखंडा, डाकघर- मराफरी, थाना। बोकारो स्टील सिटी, जिला बोकारो झारखंड।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. सचिव, गृह, जेल एवं आपदा प्रबंधन विभाग, परियोजना भवन, डाकघर रांची।
2. सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राज्यभाषा विभाग, परियोजना भवन, डाकघर रांची।
3. पुलिस महानिदेशक, जिसका कार्यालय परियोजना भवन, डाकघर रांची।
4. सचिव , झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चाईबगान, कालीनगर, डाकघर और थान नामकोम जिला रांची।
5. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय चाय बागान, काली नगर, डाकघर और थाना- नामकोम, जिला रांची, झारखंड।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 96 / 2024

1. मोहित कुमार, पिता- भोला प्रसाद, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 73/2, बी टाइप रेलवे कॉलोनी, आदित्यपुर, डाकघर-आदित्यपुर, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावां, झारखंड।
2. पूजा कुमारी, पिता- भास्कर पांडेय उम्र लगभग 26 वर्ष, ग्राम-तिलजोरी, डाकघर-भोजपुर, थाना-देवीपुर, जिला-देवघर, झारखंड।
3. सोनी कुमारी, पत्नी राजेंद्र कुमार गुप्ता, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी गांव और डाकघर-गंगपुर, थाना-गिद्दौर, जिला-चतरा, झारखंड।
4. अमिता शाल्क्सो, पिता- किशोर शाल्क्सो, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम-बहेड़ा टोली, डाकघर-रैंडांडा, थाना-महुआदंड, जिला-लातेहार, झारखंड।
5. सुचिता टोप्पो, पिता- वाल्टर टोप्पो, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी ग्राम- महुआदनार, तेवाही, हमी खास, डाकघर- और थाना--महुआदंड, जिला-लातेहार, झारखंड।
6. असरिता कुमारी, पत्नी बसंत कुमार कुशवाहा, उम्र लगभग 28 वर्ष, ग्राम-बाराडीह, डाकघर-और थाना--पत्थलगड़ा, जिला-चतरा, झारखंड।
7. अंजू कुमारी, पत्नी अरुण कुमार कुशवाहा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी गांव और डाकघर-और थाना--पत्थलगरा, जिला-चतरा, झारखंड।
8. अर्चना कुमारी, पिता- कुलदीप यादव, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-नगांव, डाकघर-और थाना--पत्थलगड़ा, जिला-चतरा, झारखंड।
9. चंदन कुमार गुप्ता, पिता- गुलाब साव, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गांव और डाकघर-दुवारी, थाना-गिद्दौर, जिला-चतरा, झारखंड।
10. छोटू कुमार गुप्ता, पिता- महेंद्र साव, उम्र लगभग 24 वर्ष, ग्राम और डाकघर-दुवारी, थाना-गिद्दौर, जिला-चतरा, झारखंड।
11. सविता कुमारी, पत्नी कैलाश दांगी, उम्र लगभग 30 वर्ष, ग्राम-धोधी, डाकघर-मंधनिया, थाना-मयूरहंड, जिला-चतरा, झारखंड।
12. सोनम कुमारी, पत्नी रंजीत राणा उम्र लगभग 32 वर्ष, ग्राम-लड़दिया, डाकघर-कोल्हैया, थाना-राजपुर, जिला-चतरा, झारखंड।
13. गनिता कुमारी, पत्नी कौलेश्वर डांगी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम-लेम्बोइया, डाकघर- और थाना--पत्थलगड़ा, जिला-चतरा, झारखंड।

14. सरिता कुमारी उर्फ सरिता देवी, पत्नी सुखदेव राणा, उम्र लगभग 32 वर्ष, ग्राम-बेलहर, डाकघर-नवाडीह दमौल, थाना-पत्थलगरा, जिला-चतरा, झारखंड।
15. मोहम्मद शाहिद रजा, पिता- नसीम अंसारी, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी क्वार्टर नंबर 120, एनटीएस बरकाकाना घुटुवा, डाकघर-बरकाकाना, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड।
16. मुकेश कुमार महतो, पिता- राजेश्वर महतो, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी हनुमान मंदिर के पास, गंडकी, डाकघर-गंडके, थाना और जिला-रामगढ़, झारखंड।
17. आनंद मोहन, पिता- विनय सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, ग्राम-उकरीद, डाकघर-सोसो, थाना-राजरप्पा, जिला-रामगढ़, झारखंड।
18. केदार महतो, पिता- जिब्रम महतो, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी गांव और डाकघर-गंडके, डाकघर-गंडके, थाना और जिला-रामगढ़, झारखंड।
19. अजय कुमार, पिता- बहाली महतो, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम-मुरम काला, रामगढ़, कैंट, डाकघर-गोसा, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड।
20. अशोक कुमार महतो, पिता- कमल महतो, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-लोलो, डाकघर-गंडके, थाना-राजरप्पा, जिला-रामगढ़, झारखंड।
21. कंचन महतो, पिता- शिवचरण महतो, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-गंडके, डाकघर-गंडकी, थाना और जिला-रामगढ़, झारखंड।
22. रंजीत कुमार, पिता- टिकेश्वर महतो, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-मुरम कला, डाकघर-गोसा, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड।
23. चंदन कुमार, पिता- छुईनू महतो, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम-लोलो, डाकघर-गंडके, थाना-राजरप्पा, जिला-रामगढ़, झारखंड।
24. राजकिशोर महतो, पिता- घनू महतो, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी महतो टोला, तेलियातू बरकाकाना, डाकघर-बरकाकाना, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड।
25. सावन कुमार, पिता- राम अधीन, उम्र लगभग 27 वर्ष, ग्राम-सेराड, डाकघर-करणी, थाना-इतखोरी, जिला-चतरा, झारखंड।
26. सीमा कुमारी, पत्नी जगदीश कुमार, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी रजरप्पा रोड, डाकघर-सांडी, थाना-राजरप्पा, जिला-रामगढ़, झारखंड।

27. सुशीला कुमारी, पत्नी पनालाल महतो, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम-कांकेबार, डाकघर-गोसाई, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड।
28. मंटू मुंडा, पिता- बंगाली मुंडा, उम्र लगभग 32 वर्ष, ग्राम-बगराय, डाकघर-पोटामडाग, थाना-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड।
29. मोहम्मद नाजिश अहमद, पिता- मोहम्मद सईद अहमद, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम-नेताजी रोड दुशाध मोहल्ला, वार्ड नंबर 03, डाकघर और थान-रामगढ़, जिला-रामगढ़, झारखंड।
30. प्रियंका कुमारी, पिता- अजय कुमार डांगी, उम्र लगभग 26 वर्ष, ग्राम- बरवाडीह, डाकघर और थाना-पत्थलगड़ा, बरवाडीह उर्फ निमेखाप, जिला-चतरा, झारखंड।
31. अंशराज कुमार, पिता- विजय कुमार डांगी, उम्र लगभग 25 वर्ष, ग्राम-तेतरिया, डाकघर और थाना-पत्थलगड़ा, तेतरिया, जिला-चतरा, झारखंड।
32. सुधा देवी, पिता- शंकर सिंह, उम्र लगभग 31 वर्ष, ग्राम-टोनाटूंड, टोनटानर, डाकघर- और थाना--इटखोरी, जिला-चतरा।
33. प्रियंका कुमारी, बेटी राम लखन साहू, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी ग्राम-पोटम, काशीमहुआ, डाकघर- और थाना--लावलॉग, चतरा, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, झारखंड राज्य, झारखंड सरकार, कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना--धुर्वा, जिला - रांची ।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना- - धुर्वा, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट-रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, कार्यालय पुलिस मुख्यालय, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना--धुर्वा, जिला-रांची ।
4. महानिदेशक, होमगार्ड, राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना--डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड।
5. अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला-रांची ।

6. सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला-रांची ।
7. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय प्रोजेक्ट कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला- रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 205 / 2024

1. पंकज कुमार सिन्हा, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- बैजनाथ प्रसाद, निवास मथुरा बागान गरबासा, हनुमान मंदिर के पास, डाकघर और थान- गुलमुरी, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
2. हरेकृष्ण सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- अशोक सिंह, निवास झारखंड नगर, परसुडीह, बाजार समिति के पास, परसुडीह, गोलमुरी-सह-जुगसलाई, डाकघर और थाना- टाटानगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
3. संजीव कुमार, उम्र लगभग 41 वर्ष, पिता- श्री विष्णुदेव सिंह, निवास गौड़ बस्ती, मानगो, श्री कृष्ण नगर, डाकघर- आम, थाना मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
4. कृष्ण कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- ज्ञान चंद्र प्रसाद, न्यू उलिडीह, शिव मंदिर रोड, डाकघर- आम, थाना आम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
5. मृत्युंजय मिश्रा, उर्फ मृत्युंजय कुमार मिश्रा उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- राम कुमार मिश्रा, कृष्णा नगर गौर बस्ती का निवास, मानगो, डाकघर- आम, थाना मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
6. जितेंद्र कुमार, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता- नंद कुमार ठाकुर, निवास स्थान H.No 9 लोहरा, बस्ती, विद्यापति नगर, हरि मंदिर के पास, डाकघर- बारीडीह, थाना- सिदगोड़ा, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
7. मुक्ता लाल महतो, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- रजनी कांत महतो, निवास लच्छीपुर, डाकघर और थाना- झारखंड लच्छीपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम।

8. आदित्य कुमार सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- शशि भूषण सिंह, निवास, नियर डीबीसी, सरजामदा निधि टोला, डाकघर- सरजामदा, थाना परसुडीह, गोलमुरी-सह-जुगसलाई, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
9. छोटक कुमार पांडेय, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- सरजू पांडे, निवास रोड नंबर 1, बागबेड़ा कॉलोनी, डाकघर- टाटानगर, डाकघर और थान- बागबेड़ा, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
10. विनोद कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- राम धनी प्रसाद, निवास स्थान शंको साई, रोड नंबर 5, डाकघर और थान- एमजीएम, मेडिकल कॉलेज, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
11. बस्की कुमार दुबे, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- श्याम नंदन दुबे, निवास स्थान मनीफिट बाजार, उड़िया बस्ती, डाकघर और थाना- टेलको, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
12. अजय कुमार यादव, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता- कालेश्वर यादव, निवास बागडिगी बस्ती, कुर्मिडी, डाकघर और थान - धनबाद, जिला- धनबाद, झारखंड।
13. अनुज कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- रामाधार सिंह, निवास स्थान कोल्हुआर, मझिला, नवादा, डाकघर और थाना- मंझिला, जिला- नवादा, झारखंड।
14. रघुवीर कुमार सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- गोरख सिंह, पुलिस कॉलोनी का निवास, एसकेएबीवी पी के पास, डाकघर- जीपीओ, थाना- सदर, हजारीबाग, जिला- हजारीबाग, झारखंड।
15. मुकेश कुमार, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता- श्री राम प्रवेश यादव, निवास लोदना, डाकघर और थान - तिसरा, जिला- धनबाद, झारखंड।
16. मोहम्मद अली इमाम, आयु लगभग 36 वर्ष, मोहम्मद मनीर पिता--, रतरी का निवास, डाकघर और थान - दुग्दा, जिला- बोकारो, झारखंड।
17. शिवचरण केवट, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- रोहन केवट, निवास राजतांड, डाकघर और थाना- दुग्दा, बस्ती, करमाटांड जिला- बोकारो, झारखंड।
18. धनंजय सिंह, आयु लगभग 35 वर्ष, पिता- राजेंद्र सिंह, निवास कालिंदी रोड, डाकघर और थाना- कदमा, जिला- जमशेदपुर, झारखंड।
19. रजनीश कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- श्री राम कुमार सिंह, निवास गदाबासा, डाकघर और थान - गोलमुरी, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

20. उमेश कुमार सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- सुरेश सिंह, निवास निवासी बाबाई रोड साकची, डाकघर और थाना- कालीमाली, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
21. भीम कुमार उर्फ भीम कुमार सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता- हरिशंकर सिंह, मेन रोड एग्रीको का निवास, डाकघर और थाना- एग्रीको, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
22. राजीव कुमार, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता- चंद्रचूड़ सिंह, निवास स्थान नया बाजार वेस्ट रोड, जमशेदपुर, डाकघर और थाना- जुगसलाई, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
23. आनंद कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- राम बृक्ष ठाकुर, निवास H.No 2043, विद्यापति नगर लोहारा बस्ती, राधा कृष्ण मंदिर के पास, डाकघर- बारीडीह, थाना जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
24. विजय कुमार दुबे, आयु लगभग 35 वर्ष, पिता- शंभूनाथ दुबे, निवास, आदर्श नगर, मैनीफिट, डाकघर-टेलको, थाना- टेलको, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
25. राजीव रंजन कुमार, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- लखन कुमार सिंह, निवास यशोदा भवन, ह.नं.-329, रोड नंबर-02, जोन नंबर-02, बिरसानगर, हुलुंग, डाकघर और थाना- पूर्वी सिंहभूम, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
26. कुणाल किशोर उर्फ कुणाल किशोर, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- श्री लखन कुमार सिंह, निवास यशोदा, निवास, जोन नंबर 2, रोड नंबर 2, अमित नाग चर्च के पास, डाकघर और थाना- बिरसानगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
27. दीपा कुमारी, आयु लगभग 36 वर्ष, केदार नाथ शर्मा की पिता-, निवास स्थान धर संख्या- 281, भुइयाडीह कालिंदी बस्ती, कालिंदी क्लब के पास, डाकघर- एग्रीको, थाना- एग्रीको, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
28. मनीष कुमार सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- राम सूरत सिंह, निवास स्थान रोड नंबर- 3, शांति नगर, बारीडीह बस्ती, डाकघर और थाना- बारीडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
29. धनजी सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, पिता- श्याम जी सिंह, निवास स्थान धर संख्या-1A, ब्लॉक आनंद नगर नामदा बस्ती, डाकघर और थाना- गोलमुरी, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
30. पप्पू ठाकुर, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- बूथन ठाकुर, जोन नंबर 3, बिरसानगर, टॉप टाम्पू स्टैंड के पास, डाकघर-बिरसानगर, थाना- बिरसानगर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

31. प्रदीप केवट, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- काशी केवट, निवास केवट टोला, दुग्धा बस्ती, दुग्धा कोल वाशरी, डाकघर और थाना- बोकारो, जिला- बोकारो, झारखंड।
32. सोहन यादव, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- राम भैरव यादव, निवास स्थान तेलो-पश्चिम, डाकघर और थाना- तेलो, जिला- बोकारो, झारखंड।
33. राजीव कुमार महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- योगेश महतो, निवास वीटीसी, बरहरवा, डाकघर- बरहरवा, थाना बरहरवा, जिला- साहेबगंज, झारखंड।
34. जनार्दन यादव, आयु लगभग 36 वर्ष, स्वर्गीय शंकर गोप पिता--, गोसाई गाउन का निवास, डाकघर और थाना - खुटाहरी, जिला- साहेबगंज, झारखंड।
35. मानसी नायक, आयु लगभग 38 वर्ष, निरंजन नायक की पिता-, धर संख्या- 66/ए का निवास, करंडीह, एसपी कॉलेज प्ले फाइल्ड के पास, डाकघर- टाटानगर, थाना परसुडीह, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
36. सुधीर कुमार राय, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- कृपाशंकर राय, निवास स्थान 231, बजरंग पथ, देवनगर, बाराद्वारी, डाकघर और थाना- साकची, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. मुख्य सचिव , झारखंड राज्य, झारखंड सरकार, कार्यालय परियोजना भवन, धुरवा, डाकघर और थाना- धुर्वा, जिला- रांची।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर एंड थाना- धुर्वा, जिला- रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, कार्यालय पुलिस मुख्यालय, परियोजना भवन के पास, धुरवा, डाकघर और थाना-- धुर्वा, जिला- रांची ।
4. महानिदेशक, होमगार्ड, राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना-- डोरंडा, जिला- रांची, झारखंड।
5. अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चायबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला- रांची।
6. सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना- नामकोम, जिला- रांची ।

7. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट कालीनगर, चायबागान, नामकोम, डाकघर और थाना- नामकोम, जिला- रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 430 / 2024

1. सुमन कुमार पांडेय, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- हीरानंद पांडे, निवासी वार्ड नंबर-1, ग्राम- गिड्डी, डाकघर-रोहिल्ला, थाना-रमना, जिला-गढ़वा, झारखंड।
8. कंचन कुमारी, उम्र लगभग 37 वर्ष, पत्नी तारा सरकार, निवासी धैया मिडिल स्कूल, कल्याणपुर, इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद, डाकघर-धनबाद, थाना-धनबाद, जिला- धनबाद।
9. अरुण कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- महेश राय, निवासी विद्या नगर करम चौक, हरमू, डाकघर-हरमू, थाना-हरमू, जिला-रांची।
10. ऋतु कुमारी, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- महादेव उरांव, निवासी कांके रोड, हाटमा, महाबीर मंदिर के पास, सरना टोली, मिसिरगोंडा, डाकघर-जीपीओ, थाना-मोराबादी, जिला- रांची।
11. प्रकाश प्रजापति, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- जगरनाथ प्रजापति, निवासी जयनगर कुम्हार टोला, शिव मंदिर के पास, डाकघर-जयनगर, थाना-पतरातू, जिला-रामगढ़, झारखंड।
12. पंकज कुमार सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- गोबिंद सिंह, निवासी मुराडीह, डाकघर और थाना-बरवाड्डा, जिला-धनबाद, झारखंड।
13. टेकलाल महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- जेठू महतो, निवासी हाउस नं 35, महाटोला, पंडरपाला, बिशुनपुर, डाकघर-धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
14. गोपाल कुम्हार, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- दशरथ कुम्हार, निवासी पात्रा टोली, नामकुम, डाकघर और थाना-नामकुम, जिला-रांची, झारखंड।
15. वीरेंद्र महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- संतू महतो, निवासी 43, महतो टोला, पंडरपाला, बिशुनपुर, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
16. मनदीप ओहादर, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- कस्तु ओदार, निवासी गार्सीदम, डाकघर- रानिया, थाना-खूंटी, जिला-खूंटी, झारखंड।

17. महेंद्र प्रसाद यादव, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- बुधन यादव, निवासी वार्ड नंबर 3, सोह, डाकघर-सोह, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा, झारखंड।
18. एमडी नसीम अंसारी, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- एमडी नूरहसन अंसारी, निवासी कंचनपुर, डाकघर रंका राज, थाना-रंका, जिला-कंचनपुर, गढ़वा, झारखंड।
19. हरिलाल महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- गोपाल महतो, निवासी बरहमोरिया, डाकघर-नवादा, थाना-विष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, झारखंड।
20. दुलारचंद कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- दिलो महतो, निवासी छोटकी बेलवाड़ा, डाकघर और थाना-बिष्णुगढ़, जिला-हजारीबाग, झारखंड।
21. कृष्ण कुमार चौबे, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- प्रेम सागर चौबे, निवासी मझिगवां, डाकघर-मझिगवां, थाना-भवनपुर, जिला-गढ़वा, झारखंड।
22. संजय, आयु लगभग 41 वर्ष, पिता- रामेश्वर शर्मा, निवासी मकान संख्या बी/54, बिरसानगर, डाकघर-बारीडीह कॉलोनी, थाना-बिरसानगर, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखंड।
23. राम निवास गोप, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- निर्मल गोप, निवासी न्यू एरिया, ब्लॉक कॉलोनी, कुटमू, लोहरदगा, डाकघर और थाना-लोहरदगा, जिला-लोहरदगा, झारखंड।
24. दिवाकर मिश्रा, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता- गोपाल मिश्रा, निवासी वार्ड नंबर 3, डाकघर-अकलवानी, थाना-लगमा, मेरल, जिला-गढ़वा, झारखंड।
25. धीरेंद्र कुमार दुबे, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- चंद्रिका दुबे, निवासी कंचनपुर, डाकघर और थाना-रंका, जिला-गढ़वा, झारखंड।
26. नीतीश कुमार तिवारी, उम्र लगभग 35 वर्ष, पिता- श्री बिक्रमा तिवारी, निवासी रंका, डाकघर-रंका, बौलिया, थाना-गढ़वा, जिला-गढ़वा, झारखंड।
27. नरेश महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- पच्चू महतो, निवासी रिक्वा, डाकघर-दारी, थाना-गिदडिया, जिला-हजारीबाग, झारखंड।

... .. याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. मुख्य सचिव , झारखंड राज्य, झारखंड सरकार, कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना--धुर्वा, जिला- रांची ।

2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर और थाना-धुर्वा, जिला- रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, कार्यालय पुलिस मुख्यालय, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा, डाकघर-और थाना--धुर्वा, जिला- रांची ।
4. महानिदेशक, होमगार्ड, राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना--डोरंडा, जिला-रांची, झारखंड।
5. अध्यक्ष, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला-रांची।
6. सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला- रांची ।
7. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय प्रोजेक्ट कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला- रांची ।

... .. उत्तरदाताओं

साथ

रिट याचिका (एस) संख्या 630 / 2024

1. दीपक कुमार मिश्रा, आयु लगभग 38 वर्ष, पिता- हरेंद्र मिश्रा, निवासी आईटीआई कैंपस, बिष्णुपुर, डाकघर-धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद।
2. अजय कुमार, आयु लगभग 37 वर्ष, पिता- कामेश्वर प्रसाद, निवासी काली मंदिर के पास, दहिया, डाकघर-कुसुंडा, थाना-केंदुआडीह, जिला-धनबाद, झारखंड।
3. वकील महतो, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- मुकुंद मुरारी महतो, निवासी सरायढेला, डाकघर धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
4. राजू कुमार सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- सुरेश सिंह, निवासी श्रीराम मंदिर, कुसुमविहार फेज-2, डाकघर-जगजीवन नगर, थाना-सरायढेला, जिला-धनबाद।
5. सुमित कुमार सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- लाल साहब सिंह, निवासी आई.एस.एच., क्वार्टर नं.41, हाउसिंग कॉलोनी, डाकघर-धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद।
6. मोहम्मद शमीम अंसारी, आयु अवबुत 42 वर्ष, पिता- एमडी इकरामुल हक, निवासी मकान नंबर-173, ग्राम-भुइयां चित्रा, डाकघर-घुनघसा, थाना-घुनघसा, जिला-धनबाद, झारखंड।

7. सरोज कुमार यादव, उम्र 37 वर्ष, पिता- मुनेश्वर यादव, लहवानी दहिया, डाकघर- आईएसएम, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
8. रिकेश कुमार यादव, आयु 38 वर्ष, पिता- कपिल देव गोप, निवासी माडा कॉलोनी, डाकघर- धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद।
9. मृत्युंजय कुमार, उम्र लगभग 36 वर्ष, पिता- नंद कुमार सिंह, निवासी काली मंदिर के पास, दहिया, डाकघर-धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
10. विजय कुमार, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- लक्ष्मी नारायण चौधरी, निवासी शास्त्री नगर, डाकघर-न्यू बरगंडा, थाना-गिरिडीह, जिला-गिरिडीह, झारखंड।
11. अनिल कुमार यादव, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- महादेव प्रसाद यादव, निवासी ग्राम-मनईटांड, डाकघर-धनबाद, थाना-धनसार, जिला-हजारीबाग, झारखंड।
12. जितेंद्र कुमार सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, पिता- स्वर्गीय राम सिंघासन सिंह, निवासी रेलवे, क्वार्टर नंबर 540/108, हिल कॉलोनी, आरपीएसएफ 10 बीएन मुख्यालय, डाकघर और थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
13. चंदन कुमार मिश्रा, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- श्री रामदयाल मिश्रा ग्राम-पुलिस लाइन, हीरापुर, डाकघर-धनबाद, थाना-धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड।
14. सतेंद्र कुमार सिंह, उम्र लगभग 38 वर्ष, पिता- श्री गणेश पीडी सिंह, निवासी ग्राम-नियर आर.एम.के4-513, डाकघर-सिंदरी, था.सं-बलियापुर, जिला-कचनपुर, गढ़वा, झारखंड।
15. गौरव कुमार, उम्र लगभग 37 वर्ष, पिता- प्रेम विजय प्रसाद सिंह, निवासी दक्षिण टोला, डाकघर और थाना-इटाहरी, जिला-मुंगेर, बिहार।

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. मुख्य सचिव , झारखंड राज्य, झारखंड सरकार, कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना--धुर्वा, जिला- रांची ।
2. प्रधान सचिव, गृह विभाग, कार्यालय परियोजना भवन, धुर्वा, डाकघर और थाना--धुर्वा, जिला- रांची ।
3. पुलिस महानिदेशक, झारखंड, कार्यालय पुलिस मुख्यालय, परियोजना भवन के पास, धुर्वा, डाकघर- और थाना-- धुर्वा, जिला- रांची ।

4. महानिदेशक, होमगार्ड, राजेंद्र चौक, डाकघर और थाना--डोरंडा, जिला-रांची।
5. अध्यक्ष , झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकॉन्, जिला-रांची।
6. सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला- रांची ।
7. परीक्षा नियंत्रक, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, कार्यालय प्रोजेक्ट कालीनगर, चाईबागान, नामकोम, डाकघर और थाना--नामकोम, जिला- रांची ।

.. उत्तरदाताओं

[8 फरवरी 2024, 21 फरवरी 2024, 22 फरवरी 2024 को सुना गया 15 मार्च 2024]

कोरम: माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

याचिकाकर्ताओं के लिए:

श्री आर एन सहाय, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री यशवर्धन, एडवोकेट

श्री कीर्तिवर्धन, एडवोकेट

श्री रितेश सिंह, एडवोकेट

श्री श्रेष्ठ गौतम, एडवोकेट

श्री राजर्षि सिंह, एडवोकेट

श्री योगेन्द्र यादव, एडवोकेट

श्री अनमोल दीपक, एडवोकेट

श्री बालेश्वर यादव, एडवोकेट

राज्य के लिए:

श्री सचिन कुमार, एएजी-॥

श्री जे. एफ. टोप्पो, जीए-वी

श्रीमती मौसमी चटर्जी, एसी से जीए-वी

श्रीमती वंदना सिंह, सीनियर एससी III

श्री अश्विनी भूषण, एसी से सीनियर एससी-III

श्री किशोर कुमार सिंह, एससी वी

श्री अभिनय कुमार, एसी से जीए ।

श्री सचिन कुमार, एसी से एससी-।

श्रीमती लक्ष्मी मुर्मू, जीपी-।

सुश्री दीपिका जोजोवर, एसी से एससी VI

श्री देवेश कृष्णा, एससी माइन्स III

श्री प्रवीण अखौरी, एससी माइन्स ।

श्री ऐश्वर्या प्रकाश, एसी टू एससी माइंस ।

JSSC के लिए:

श्री संजय पिपरावाल, एडवोकेट

श्री प्रिंस कुमार, एडवोकेट

श्री राकेश रंजन, एडवोकेट

श्रीमती ऋचा संचिता, एडवोकेट

श्रीमती पिंगी शॉ, एडवोकेट

डॉ. अशोक कुमार सिंह, एडवोकेट

श्री तेजो मिस्त्री, एडवोकेट

श्री प्रभात कुमार, एडवोकेट

निजी प्रतिनिधि के लिए:

श्री अजीत कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता

सुश्री आकृति श्री, एडवोकेट

मिस नेहा भारद्वाज, एडवोकेट

मिस अंकिता, एडवोकेट

सुश्री अपराजिता भारद्वाज, अधिवक्ता

हस्तक्षेपकर्ता के लिए:

श्री दिवाकर उपाध्याय, एडवोकेट

निर्णय

CAV 15 मार्च 2024

सुनाया गया 26 अप्रैल 2024

प्रति, श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.

याचिकाकर्ता "झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम"¹ के निर्माण से व्यथित हैं, जिसमें पुलिस कांस्टेबलों के चयन और नियुक्ति के लिए झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत प्रावधानों का अधिक्रमण किया गया है।

- रिट याचिकाओं के इस बैच में याचिकाकर्ता होमगार्ड हैं, जिन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, (a) जो मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए थे, (b) जिन्हें मेडिकल और फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया गया था और (c) जो आयु-छूट की मांग कर रहे हैं। उन सभी ने झारखंड राज्य की शक्ति और 2014 के भर्ती नियमों को तैयार करने के कानूनी आधार पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि झारखंड पुलिस मैनुअल कांस्टेबलों की नियुक्ति और चयन के क्षेत्र में है। बड़ी संख्या में याचिकाकर्ताओं ने पिछली भर्ती प्रक्रियाओं में भाग लिया था, लेकिन अंतिम चयन सूची में जगह नहीं बना सके और अब वे इस आधार पर कांस्टेबलों की नियुक्ति को चुनौती देना चाहते हैं कि अतीत में भर्ती अभ्यास झारखंड पुलिस मैनुअल के वैधानिक प्रावधानों

1 "झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम, 2014" को 'भर्ती नियमों के रूप में संदर्भित किया जाएगा 2014'

का उल्लंघन करते हुए आयोजित किए गए थे। संक्षिप्तता के लिए, हम संक्षेप में रिट दलीलों का उल्लेख करेंगे जो इस प्रकार हैं:

- (i) पुलिस अधिनियम, 1861 को 22 मार्च, 1861 को अधिसूचित किया गया था।
- (ii) बंगाल पुलिस मैनुअल 1884 में जारी किया गया था।
- (iii) 1912 में, बंगाल पुलिस मैनुअल को बिहार के रूप में फिर से नामित किया गया था और उड़ीसा पुलिस मैनुअल।
- (iv) बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 जारी किया गया था।
- (v) बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने दिसम्बर, 1977 में संशोधित पुलिस नियमावली अनुमोदित की।
- (vi) झारखंड राज्य 15 नवम्बर, 2000 को सृजित किया गया था।
- (vii) 12 नवम्बर, 2001 को बिहार पुलिस नियमावली को कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया था।
- (viii) याचिकाकर्ता झारखंड राज्य में होमगार्ड के रूप में कार्य कर रहे हैं।
- (ix) पुलिस कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होमगार्ड से आवेदन आमंत्रित करते हुए 1 मई 2015 को 2015 का विज्ञापन संख्या 4 जारी किया गया था।
- (x) 2015 के विज्ञापन संख्या 4 ने तीन चरणों में परीक्षा आयोजित करके नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की, अर्थात् (क) प्रारंभिक परीक्षा, (ख) मुख्य परीक्षा और (ग) शारीरिक और चिकित्सा परीक्षण।
- (xi) विज्ञापित पदों की कुल संख्या 7272 थी जिसमें से झारखंड जिला पुलिस बल में 6422 पदों पर और झारखंड सशस्त्र पुलिस बल में 850 पदों पर नियुक्ति की जानी थी।
- (xii) याचिकाकर्ताओं के अनुसार, होमगार्डों के लिए 3631 पद निर्धारित किए गए थे।
- (xiii) 2015 के विज्ञापन संख्या 4 के तहत, झारखंड राज्य के साथ पंजीकृत प्रशिक्षित होम गार्ड के लिए एक प्रावधान है कि 50% पद उनके लिए

निर्धारित किए जाएंगे; शेष 50% पद गैर-होमगार्ड उम्मीदवारों द्वारा भरे जाएंगे।

(xiv) बाद में, 2017 का विज्ञापन संख्या 8 जारी किया गया था और कांस्टेबलों की नियुक्तियों की गई हैं।

3. **रिट याचिकाओं** के पहले सेट में, याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि 2014 के भर्ती नियमों को लागू नहीं किया जा सकता है और भारत के संविधान के अधिकारातीत हैं। यह सबमिशन इस आधार पर आधारित है कि कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए पहले से ही वैधानिक नियम मौजूद हैं, जो 2017 के 2 रिट याचिका (एस) नंबर 6 और इसके बाद रिट याचिकाओं के पहले सेट के रूप में संदर्भित हैं, पुलिस अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए थे, 1861. ये याचिकाकर्ता मुख्य परीक्षा के आधार पर अंतिम परिणाम के एक हिस्से को इस आधार पर चुनौती देना चाहते हैं कि अंतिम परिणाम में उनका बहिष्कार पूरी तरह से अवैध और मनमाना था क्योंकि वे पहले ही प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके थे। उपरोक्त प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता होमगार्ड के लिए 50 प्रतिशत आरक्षित सीटों के तहत कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए शारीरिक/चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति मांग रहे हैं। संक्षेप में, सुनील टुडू ने निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है:

a) दिनांक 20.10.2014 के ज्ञापन संख्या 6992 में निहित अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, 2014 (संक्षेप में "नियम 2014") को भारत के संविधान के विरुद्ध माना और घोषित किया जाता है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार तैयार किया गया है, जबकि वैधानिक नियम तैयार किए गए हैं और पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 और 12 के तहत शक्तियों के तहत अस्तित्व में हैं।

और/या

2 रिट याचिका(एस) संख्या 6/2017 एवं समरूप मामलों को इसके बाद रिट याचिकाओं के प्रथम सेट के रूप में संदर्भित किया जाएगा

- b) यह माना और घोषित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 4/15 के अंतर्गत प्रक्रियाधीन भर्ती प्रक्रिया केवल पुलिस मैनुअल के अनुसार ही पूरी की जानी है, न कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली, 2014 के तहत।

और/या

- c) उपयुक्त रिट/रिट्स, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों या प्रमाण पत्र के रूप में रिट जारी करने के लिए ताकि मुख्य परीक्षा के परिणाम के उस भाग को निरस्त किया जा सके जो मुख्य रूप से कांस्टेबल के पद से संबंधित है, क्योंकि आवेदक होमगार्ड हैं और उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा है। होमगार्ड श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आरक्षित होने के बावजूद होमगार्डों के नाम जानबूझकर मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं।

और/या

- d) याचिकाकर्ता होमगार्ड की गैर-चयन/कोई शॉर्टलिस्टिंग न करने को पूरी तरह से अवैध और मनमाना घोषित करना, भले ही उसने पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा को सही तरीके से पूरा किया/योग्यता प्राप्त की हो।।

और/या

- e) प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान याचिकाकर्ता को शारीरिक/चिकित्सीय परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दें, जो कि कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति/चयन के लिए आयोजित की जाएगी, होमगार्ड श्रेणी के लिए आरक्षित 50% पदों के खिलाफ। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत बनाए गए मैनुअल के तहत आयोजित की गई प्रारंभिक परीक्षा में सफलतापूर्वक योग्यता प्राप्त की है, जबकि वर्तमान होमगार्ड श्रेणी में आवेदकों की संख्या कुल आरक्षित पदों की तुलना में कहीं कम है।

और/या

- f) चुनाव प्रक्रिया और परिणाम को रद्द करने के लिए कथित "नियम 2014" के अनुसार।।

और/या

- g) आपके लार्डशिप्स द्वारा मामले की तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार और न्याय के हित में कोई अन्य आदेश/निर्देश उचित समझा जा सके।

4. *रिट याचिकाओं के दूसरे सेट में*³, याचिकाकर्ताओं ने 2017 के विज्ञापन संख्या 8 में भर्ती अभ्यास को इस आधार पर चुनौती दी है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन में आयोजित की गई थी। यह दलील देते हुए कि बड़ी संख्या में पद खाली रह गए हैं, याचिकाकर्ता दूसरी मेरिट सूची तैयार करने के लिए निर्देश मांग रहे हैं ताकि वे विचार के क्षेत्र में आ सकें और कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हो सकें। डब्ल्यू.पी (एस) में। 2020 की संख्या 1231, याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत मांग रहे हैं:

"A. झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम, 2014 को संविधान भारत के विरुद्ध घोषित करना, जैसा कि नोटिफिकेशन संख्या 6992 (परिशिष्ट-3) दिनांक 20.10.2014 में अधिसूचित किया गया है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 309 के उपबंध के तहत प्रदान की गई शक्तियों के अनुसार बनाया गया है, जबकि पुलिस अधिनियम, 1861 के धारा 7 और 12 के तहत नियम पहले से अस्तित्व में हैं।;

और/या

B. भर्ती प्रक्रिया, जो विज्ञापन क्रमांक 8/2017 के संबंध में चल रही है, को केवल पुलिस मैनुअल के अनुसार ही पूरा किया जाना चाहिए, न कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम, 2014 के तहत;

और/या

3 रिट याचिका(एस) संख्या 1231/ 2020 और अनुरूप मामलों को इसके बाद रिट याचिकाओं के दूसरे सेट के रूप में संदर्भित किया गया है

C. उपयुक्त वारंट/वारंटों, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों के जारी करने के लिए प्रतिवादियों पर निर्देश दिया जाए कि वे पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए 2001 के नियमों के अनुसार नियम 13 के तहत दूसरा मेरिट लिस्ट जारी करें, क्योंकि विभिन्न श्रेणियों के तहत सीटें अभी भी खाली हैं और याचिकाकर्ता यहां कांस्टेबल के पद के लिए विचाराधीन क्षेत्र में हैं।;

और/या

D. प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिका कर्ताओं के मामले पर विचार करें और उनके पक्ष में नियुक्ति पत्र जारी करें, क्योंकि उन्होंने लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षण सफलतापूर्वक पास किया है, और उनके लिए विभिन्न श्रेणियों में अभी भी सीटें खाली हैं;

और/या

E आपके भगवानों द्वारा मामले की तथ्यों और परिस्थितियों तथा न्याय के हित में उचित और उपयुक्त समझी जाने वाली किसी अन्य आदेश/निर्देश।"

5. **तीसरी श्रृंखला की मौलिक याचिकाओं** में, याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन संख्या 17 वर्ष 2023 के अनुच्छेद (3) को चुनौती दी है। उनका कहना है कि इस अनुच्छेद के तहत 3 वर्ष का पंजीकरण और 6 महीने की सक्रिय सेवा का प्रावधान उन पर लागू नहीं होता। उन्हें झारखंड के विभिन्न जिलों में 2017 से 2019 के बीच होमगार्ड के रूप में चयनित किया गया था और प्रशिक्षण के लिए उन्हें 2022 में अत्यधिक देरी के बाद भेजा गया। इसलिए, अनुच्छेद (3) में निर्धारित उपरोक्त शर्तें उनके खिलाफ लागू नहीं हो सकतीं। ये याचिकाकर्ता कटऑफ तिथि को 1 अगस्त 2016 से 1 अगस्त 2019 में बदलने की मांग कर रहे हैं यह कहते हुए कि पिछले 8 वर्षों में कोई भी रिक्ति भरी नहीं गई। चूंकि ये याचिकाकर्ता अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके हैं, वे उत्तरदाताओं से यह निर्देश देने की मांग कर रहे हैं कि उनकी आवेदन पत्र को विज्ञापन संख्या 17 वर्ष 2023 के तहत

4 डब्ल्यूपी (एस) संख्या 205 /2024 और अनुरूप मामलों को इसके बाद रिट याचिकाओं के तीसरे सेट के रूप में संदर्भित किया गया है

कांस्टेबल के पद के लिए स्वीकार किया जाए। इनके अनुसार, कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए एक सामान्य राज्य-स्तरीय मेरिट सूची केवल तैयार की जा सकती है और उत्तरदाताओं को जिला स्तर पर कांस्टेबलों की चयन/प्रकाशन से रोका जाना चाहिए। वाई.पी. (एस). संख्या 205 वर्ष 2024 में, याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की हैं::

"A झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम, 2014 (संक्षेप में "नियम 2014") को भारत के संविधान के प्रति अल्ट्रा वायर्स घोषित करते हुए यह घोषणा की जाती है कि यह नियम नोटिफिकेशन संख्या 6992 दिनांक 20.10.2014 (अनुबंध-4) के अनुसार अधिसूचित किया गया है। यह नियम अनुच्छेद 309 के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं जबकि वैधानिक नियम पहले से मौजूद हैं, जो पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 और 12 के तहत बनाए गए हैं। यह घोषित किया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया, जो विज्ञापन संख्या 17/2023 के संदर्भ में चल रही है, केवल पुलिस मैनुअल के अनुसार पूर्ण की जानी चाहिए, न कि झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम, 2014 के तहत।

और/या

B. उचित रिट/रिटों, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों या सर्टियोरी के स्वभाव में रिट जारी करने के लिए, जिनमें विज्ञापन संख्या 17/2023 के पृष्ठ-10 पर स्थित धारा-3 (शर्त संख्या-3) का वह भाग रद्द करने का प्रावधान है, जहाँ 3 वर्षों की पंजीकरण और होम गार्ड के रूप में 6 महीनों की सक्रिय सेवा को प्रतिवादियों द्वारा अनुचित रूप से लागू किया गया है। इन होम गार्डों का चयन 2017/2018/2019 के विज्ञापन के अनुसार विभिन्न जिलों के लिए किया गया था, लेकिन इनका चयन होने के बावजूद इन्हें 2022 में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, जो कोरोना के प्रकोप या कुछ अन्य कारणों से था, जो R-4 की लापरवाही है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जहां तक कांस्टेबल के पद का सवाल है, याचिकाकर्ता होम गार्ड होने के नाते भेदभाव का सामना कर रहे हैं, हालाँकि होम गार्ड श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 50% सीटें आरक्षित हैं।

और/या

C. उचित आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों के लिए लेख जारी करने की मांग, कट ऑफ तिथि को 01.08.2016 के रूप में फिर से निर्धारित करने के लिए, क्योंकि विज्ञापन संख्या 17/2023 में एक उम्मीदवार को दी गई कट ऑफ तिथि 01.08.2019 है, जबकि विज्ञापन संख्या 04/15 के बाद से आर-5 द्वारा पिछले 8 वर्षों में कोई रिक्ति नहीं बताई गई है।

और/या

D. उचित रिट/रिट्स, आदेश/आदेश, दिशा/दिशाएँ जारी करने के लिए जन विवाद संख्या 5 से 7 को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं के फॉर्म को पुनः तिथि 01.08.2016 पर पुनः निर्धारित करें (क्योंकि विज्ञापन संख्या 17/2013 में अधिकतम उम्मीदवारों के लिए कट ऑफ तिथि 01.08.2019 है), क्योंकि पिछले 8 वर्षों में उत्तरदाताओं द्वारा कोई खाली स्थान अधिसूचित नहीं किया गया है। साथ ही, विज्ञापन संख्या 17/2023 के पृष्ठ-10 पर उल्लिखित खंड-3 की शर्तों का संचालन रोकने के लिए भी निर्देश दिया जाए, जिसमें 3 वर्ष की पंजीकरण और 6 महीने की सक्रिय सेवा को होमगार्ड के रूप में अनreasonably लागू किया गया है। जो लोग 201/2018/2019 के विज्ञापन के अनुसार विभिन्न जिलों में होमगार्ड के रूप में चयनित हुए थे, लेकिन चयन के बावजूद उन्हें 2022 में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया, कोरोना के कारण या अन्य कारणों से, जो आर-4 की ओर से लापरवाही है, जिसके लिए याचिकाकर्ताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

और/या

E. प्रतिवादियों को निर्देशित किया जाए कि वे वर्तमान याचिकाकर्ताओं को आवेदन पत्र जमा करने और कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति/चयन के लिए प्रस्तावित प्रारंभिक/मुख्य परीक्षा/शारीरिक/चिकित्सीय परीक्षण में भाग लेने की अनुमति दें, जबकि गृह रक्षक श्रेणी के लिए आरक्षित 50% सीटों के मुकाबले वर्तमान गृह रक्षक श्रेणी में आवेदकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है।

और/या

F उपयुक्त आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों के निर्गमन के लिए, उत्तरदाताओं को यह निर्देश दिया जाए कि वे कांस्टेबल की चयन प्रक्रिया को पूरा करें और राज्य स्तर की मेरिट सूची तैयार करें, और उत्तरदाताओं को जिला स्तर पर कांस्टेबल तैयार करने/प्रकाशित करने/चुनने से रोका जाए क्योंकि यह भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार के खिलाफ भेदभावपूर्ण है।।

और/या

G साल 2014 के नियमों के अनुसार विज्ञापन संख्या 17/2023 द्वारा जारी आर-7 के तहत चयन प्रक्रिया और परिणाम को स्थगित किया जाता है। ।

और/या

H. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिकाकर्ताओं के लिए किसी भी अन्य उचित राहत/राहतों के लिए, जिनके वे हकदार पाए जाते हैं, एवं याचिकाकर्ताओं को नीतिगत न्याय प्रदान करने के लिए।"

6. प्रारंभिक आपत्ति उठाते हुए, सफल उम्मीदवारों के लिए पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार ने तर्क दिया कि अतीत में की गई नियुक्तियों को असफल उम्मीदवारों द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि चयन प्रक्रिया धोखाधड़ी से प्रभावित नहीं पाई गई थी। विद्वान वरिष्ठ वकील ने "**राधेश्याम यादव**"⁵ का उल्लेख करने के लिए कहा कि चयनित उम्मीदवारों को 2014 के भर्ती नियमों को दी गई चुनौती के बावजूद संरक्षित किया जाना चाहिए, और भले ही रिट याचिकाएं सफल हों। "**राधेश्याम यादव**"⁵ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

"31. हाल ही में, विवेक कैस्थ (सुप्रा) में इस न्यायालय ने शिवनंदन सीटी बनाम केरल उच्च न्यायालय, 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 994 में संविधान पीठ के फैसले के बाद अपीलकर्ताओं की नियुक्तियों की रक्षा की, भले ही यह पता चला कि उनकी नियुक्तियां विज्ञापित रिक्तियों से अधिक थीं। इस न्यायालय ने निम्नानुसार व्यवस्था दी -

5 राधेश्याम यादव वि. उत्तर प्रदेश राज्य: 2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 10

"32. आज, जब हम यह निर्णय दे रहे हैं, दोनों अपीलकर्ता पहले ही लगभग 10 वर्षों तक न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य कर चुके हैं। इस बीच, उन्हें सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के अगले उच्च पद पर भी पदोन्नत किया गया है। उनके चयन और नियुक्ति की इस प्रक्रिया में (जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से लाभ हुआ है), हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है जो इन नियुक्तियों को हासिल करने में इन दो अपीलकर्ताओं के आचरण के रूप में किसी

पक्षपात, भाई-भतीजावाद या तथाकथित दोष का सुझाव दे सके। उच्च न्यायालय वास्तव में इस कारक को नोट करता है। राज्य आयोग पर दोष लगाते समय यह दर्ज किया गया है कि "..... रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस तथ्य का संकेत देता हो कि प्रतिवादी संख्या 4 और 6 के चयन के पीछे कोई दुर्भावना थी।

"34. अपीलकर्ता उच्च न्यायालय के मद्देनजर किसी भी न्यायसंगत राहत के हकदार नहीं थे क्योंकि वे चयन/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई अवैधता के लाभार्थी थे। लेकिन फिर यह इस सवाल को आगे ले जाने में विफल रहा, जो हमारी राय में, इसे करना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने कभी जवाब नहीं दिया कि "अवैध" चयन और नियुक्ति का यह दोष उच्च न्यायालय (उसके प्रशासनिक पक्ष पर) पर कितना होगा। निस्संदेह, रिक्तियों को समय पर भरने के सभी इरादों के साथ, उच्च न्यायालय अभी भी दोष से बच नहीं सकता है..

"36. इस स्तर पर हमारे विचार के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता लगभग 10 वर्षों से न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। वे अब सिविल जज (सीनियर डिवीजन) हैं। इन न्यायिक अधिकारियों के पास अब उनके पीछे 10 साल की न्यायिक सेवा का समृद्ध अनुभव है। इसलिए, वर्तमान अपीलकर्ताओं को उनके पदों से हटाना जनहित में नहीं होगा। सामान्यतः ये कारक, जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, कोई मायने नहीं रखता, जब नियुक्ति को ही गलत माना जाता है। लेकिन हम इस बात पर भी विचार करने में विफल नहीं हो सकते हैं कि अपीलकर्ताओं को उन उम्मीदवारों की सूची से नियुक्त किया गया था जिन्होंने लिखित परीक्षा और मौखिक परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की थी और वे मेरिट सूची में थे। दूसरे, यह किसी का मामला नहीं है कि अपीलकर्ताओं को

पक्षपात, भाई-भतीजावाद या किसी भी कार्य के कारण नियुक्त किया गया है जिसे दूर से भी "दोषी" कहा जा सकता है। अंततः वे दस वर्षों से न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसलिए एक विशेष इक्विटी है जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में झुकती है। शिवनंदन सीटी बनाम केरल उच्च न्यायालय 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 994 में इस न्यायालय के हालिया संविधान पीठ के फैसले में, हालांकि इस न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया था कि केरल उच्च न्यायालय द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित करके खेल के नियमों को बदल दिया गया था, जो नियमों में मौजूद नहीं थे और इसलिए संक्षेप में नियुक्ति स्वयं नियमों का उल्लंघन थी, फिर भी यह देखते हुए कि जिन व्यक्तियों ने इस चयन के तहत नियुक्तियां हासिल की थीं, वे अब 6 साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं, यह माना गया कि उन्हें हटाना सार्वजनिक हित में नहीं होगा।

(महत्व सन्निविष्ट)

32. वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं की स्थिति उन व्यक्तियों से अलग नहीं है जिनकी नियुक्तियों को ऊपर उद्धृत मामलों में संरक्षित किया गया था। उनका कोई निंदनीय आचरण नहीं था। वे खुले बाजार से आए वास्तविक आवेदक थे। कथित शरारत, यहां तक कि राज्य के अनुसार, स्कूल और उसके प्रबंधक के अंत में थी। अगर अपीलकर्ताओं को राहत से वंचित किया जाता है तो यह न्याय का उपहास होगा। उनके साथ भारी पूर्वाग्रह भी होगा।

7. सामान्य नियम यह है कि एक उम्मीदवार जो परीक्षा में उपस्थित हुआ और एक मौका लिया कि उसे एक अनुकूल सिफारिश मिल सकती है, वह चयन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा सकता है। "**मदन लाल**"⁶ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक उम्मीदवार जिसने चयनित होने का मौका लिया और साक्षात्कार में उपस्थित हुआ, उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया अनुचित थी या चयन समिति का गठन ठीक से नहीं किया गया था, जब उसने पाया कि साक्षात्कार का परिणाम उसके लिए सुखद नहीं था। इससे बहुत पहले, "**माणक लाल**"⁷ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय

6 मदन लाल वि. जम्मू और कश्मीर राज्य: (1995) 3 एससीसी 486

7 मानक लाल वी। प्रेम चन्द सिंघवी : एयर 1957 एससी 425

ने निम्नानुसार टिप्पणी की थी:

"9. रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष इस बिंदु को कभी नहीं उठाया और जिस तरह से उच्च न्यायालय के समक्ष भी इस बिंदु को उठाया गया था, वह कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर आपत्ति का पहला आधार यह था कि श्री छंगानी का शिकायतकर्ता डॉ प्रेम चंद में आर्थिक और व्यक्तिगत हित था। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने पाया है कि वर्तमान कार्यवाही में श्री छंगानी के आथक हित के बारे में लगाए गए आरोप पूर्णत निराधार हैं और इस निष्कर्ष को श्री दफ्तरी द्वारा हमारे समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने यह भी पाया है कि अपीलकर्ता द्वारा आपत्ति केवल नए सिरे से जांच का आदेश प्राप्त करने और इस प्रकार समय प्राप्त करने के लिए उनके समक्ष उठाई गई थी। श्री दफ्तरी के पक्ष में यह स्वीकार किया जा सकता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय अपीलकर्ता के खिलाफ छूट के आधार पर नहीं पाया जाता है, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह उनके निष्कर्ष का सार प्रतीत होता है। हालांकि, हमने माफी के सवाल पर श्री दफ्तरी के मामले को सुना है और हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं है कि अपीलकर्ता ने जानबूझकर अपनी आपत्ति को माफ कर दिया और अब इसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। श्री दफ्तरी यह तर्क नहीं देते हैं कि उस समय अपीलकर्ता को यह तथ्य याद नहीं था कि श्री छंगानी आपराधिक कार्यवाही में डॉ प्रेम चंद के लिए उपस्थित हुए थे। वास्तव में अपीलकर्ता द्वारा उस हलफनामे के मददेनजर ऐसी दलील नहीं दी जा सकती है, जिसे अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील में हमारे सामने रखने की मांग की थी। इस हलफनामे के तहत, अपीलकर्ता का मामला यह प्रतीत होता है कि, जब तक वह ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए अपने वकील श्री मुरली मनोहर से नहीं मिला, अपीलकर्ता को यह नहीं पता था कि श्री छंगानी को ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए कानूनी रूप से अयोग्य घोषित किया गया था। यह स्पष्ट है कि इस आधार का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि अपीलकर्ता को ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए श्री छंगानी की कथित अयोग्यता को जन्म देने वाले तथ्यों के बारे में पता था। संक्षेप में, तर्क यह है कि हालांकि

अपीलकर्ता को पता था कि श्री छंगानी आपराधिक कार्यवाही में डॉ प्रेम चंद के लिए उपस्थित हुए थे, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि, परिणामस्वरूप, श्री छंगानी को ट्रिब्यूनल के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। श्री दफ्तरी ने मामले का यही सीमित पहलू हमारे समक्ष रखा है। श्री दफ्तरी का तर्क है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता को इस मामले में सही कानूनी स्थिति और उससे उत्पन्न होने वाले उसके अधिकारों के बारे में पता नहीं था,

तो ट्रिब्यूनल में श्री छंगानी की नियुक्ति को चुनौती देने में उसकी विफलता छूट की प्रभावी दलील नहीं देगी। हालांकि, हमारी राय में, श्री दफ्तरी के तर्क को स्वीकार करना बहुत मुश्किल है कि उनके मुवक्किल को श्री मुरली मनोहर से मिलने तक सही कानूनी स्थिति या उनके अधिकारों का पता नहीं था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता बार में जूनियर है, लेकिन फिर भी वह बार में दस साल की स्थिति का दावा कर सकता है। इसके अलावा, वह वर्तमान कार्यवाही में उनका बचाव करने में एक वकील की सहायता प्राप्त की थी और यह मानना बेहद मुश्किल प्रतीत होता है कि न तो अपीलकर्ता और न ही उनके वकील को पता था कि ट्रिब्यूनल में श्री छंगानी की उपस्थिति को उनके द्वारा प्रभावी ढंग से चुनौती दी जा सकती है। हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि यहां तक कि एक आम आदमी, जो कानूनी तकनीकी और न्यायसंगत सिद्धांतों से परिचित नहीं है, जिस पर विकलांगता का सिद्धांत आधारित है, ने तुरंत आशंका जताई होगी कि डॉ. प्रेम चंद के लिए पेश होने वाला वकील अपीलकर्ता के आचरण पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत था और इससे अपीलकर्ता को शर्मिंदगी हो सकती है और उसके खिलाफ पूर्वाग्रह हो सकता है। एक आम आदमी के विशुद्ध रूप से सामान्य दृष्टिकोण से, स्थिति स्पष्ट रूप से अजीब थी, और इसलिए, यह तर्क कि अपीलकर्ता इस मामले में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत नहीं था, हमें बाद में सोचा गया प्रतीत होता है। चूंकि अपीलकर्ता को उस स्तर पर पहली बार इस बिंदु को उठाने की मांग में उच्च न्यायालय के समक्ष इस अस्थिर स्थिति को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था, इसलिए हमें आश्चर्य नहीं है कि उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि समय प्राप्त करने और मामले में नए सिरे से जांच करने के लिए याचिका देर से ली गई

थी। चूंकि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता भौतिक तथ्यों को जानता था और उसे उस मामले में अपने कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत माना जाना चाहिए, कार्यवाही के पहले चरण में वर्तमान याचिका लेने में उसकी विफलता उसके खिलाफ छूट का एक प्रभावी अवरोध बनाती है। यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ट्रिब्यूनल से एक अनुकूल रिपोर्ट प्राप्त करने का मौका लेना चाहता था जिसे गठित किया गया था और जब उसने पाया कि उसे एक प्रतिकूल रिपोर्ट का सामना करना पड़ रहा है, तो उसने वर्तमान तकनीकी बिंदु को उठाने का उपकरण अपनाया।

8. हालांकि, यह कोई सार्वभौमिक नियम नहीं है कि एक उम्मीदवार जो चयन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सहमत होता है, वह अपने अधिकार को अवैधता और मनमानी को चुनौती देने के लिए खो देगा। एक भाग लेने वाला उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने के कारण नियमों या नियमों के गलत व्याख्यान को चुनौती देने से नहीं रोका जा सकता। यदि ऐसा मान लिया जाता है, तो एक उम्मीदवार में उस नियम को प्रश्न करने का अधिकार नहीं हो सकता जो उनके अनुसार भारतीय संविधान के खिलाफ है। भर्ती नियमों या भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में अन्य विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे नियमों की पूर्वव्यापी आवेदन या नियमों की गलत व्याख्या या गलत निर्माण। ऐसी स्थितियों में, एक उम्मीदवार जो चयन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, वह चयन प्रक्रिया की अवैधता के बारे में नहीं जान सकता और इसे चुनौती भी नहीं दे सकता।
9. कम से कम तीन कारण हैं जिनके चलते याचिकाकर्ताओं ने 2014 के भर्ती नियमों को चुनौती देने का निश्चय किया। सबसे पहला और प्रमुख कारण यह है कि वे कांस्टेबल के पद पर चयनित होने के अपने प्रयास में सफल नहीं हो सके। दूसरी बात, उन्हें 2014 के भर्ती नियमों में यह प्रावधान नाराज करता है कि कांस्टेबलों की नियुक्ति लिखित परीक्षा पर आधारित होगी, जबकि झारखंड पुलिस मैनुअल के नियम 663(क) में शर्त है कि लिखित परीक्षा केवल एक योग्यताकारी परीक्षा होगी। पहले और दूसरे सेट की याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया है कि कट-ऑफ मार्क्स तय करना झारखंड पुलिस मैनुअल में बताए गए चयन प्रक्रिया के खिलाफ है, जिसमें केवल एक योग्यताकारी लिखित परीक्षा दी गई है। ये याचिकाकर्ता कुछ उपलब्ध जानकारी के आधार पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे कि एक बड़ी संख्या में विज्ञापित रिक्तियां भरी नहीं गई हैं

और यदि मुख्य परीक्षा की शर्त को हटाया जाता है, तो वे कांस्टेबल के पद पर नियुक्त हो जाएंगे। तीसरी बात, दूसरी मेरिट सूची बनाने का प्रावधान बनाए नहीं रखा गया है और अधिकतम आयु सीमा को घटा दिया गया है।

10. श्री श्रेष्ठ गौतम, विद्वान वकील जो रिट याचिकाओं के दूसरे सेट में याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए थे, ने तर्क दिया कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियम केवल एक क्षणिक प्रावधान हो सकते हैं जहां क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कोई वैधानिक नियम नहीं हैं। इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियम झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत नियमों को अधिक्रमित या प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं जो पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 और 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। इसे सरल रूप से रखने के लिए, यह तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत झारखंड राज्य द्वारा तैयार किए गए 2014 के भर्ती नियम कानून के किसी भी अधिकार के बिना हैं और कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत नियमों के कब्जे वाले क्षेत्र में काम नहीं कर सकते हैं।
11. “व्यापार क्षेत्र” का सिद्धांत तब लागू होता है जब विषय वस्तु किसी विधि द्वारा नियंत्रित होती है। एक साधारण उदाहरण यह है कि जब किसी विषय क्षेत्र पर केंद्रीय विधि होती है, जो भारत के संविधान के प्रावधानों के अधीन होती है, तो राज्य सरकार को उसी क्षेत्र में विधि बनाने का अधिकार नहीं होता है। तथापि, यदि सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय के संबंध में ऐसा होता है तो दोनों विधानों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से निमत करके इस विवाद का समाधान किया जाता है। मामलों की दूसरी श्रेणी उत्पन्न होती है जहां राज्य सरकार उसी क्षेत्र में कार्यकारी आदेश निर्धारित करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करती है जो राज्य विधान द्वारा कवर किया जाता है। यह एक सुस्थापित कानून है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति राज्य के राज्यपाल को उस मामले के संबंध में कोई नियम बनाने का अधिकार देने तक विस्तारित नहीं है, जिस पर राज्य विधानमंडल द्वारा कानून बनाया गया है। तथापि, राज्य सरकार की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाला राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के लिए अपने अधीनस्थ प्राधिकारी को कुछ कार्य प्रदान करने वाली कोई विधि बनाने

पर कोई रोक नहीं लगाता है। जहां सक्षम विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियमों के बीच कोई विरोध उत्पन्न होता है, वहां अधिनियमित कानून अभिभावी होगा। यह भी बहुत अच्छी तरह से स्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत नियम वहां मान्य होंगे जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत कार्यकारी आदेश और अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों के बीच संघर्ष है। कार्यकारी आदेशों द्वारा, नियमों या मूल नियमों में अंतर को नियमों के तहत पहले से ही प्रदान किए गए नियमों के पूरक के रूप में पूरक किया जा सकता है लेकिन संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत बनाए गए कार्यकारी आदेश भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री श्रेष्ठ गौतम ने "एबी कृष्णा"⁸, "राकेश कुमार"⁹ और "डीआर यादव"¹⁰ को यह प्रस्तुत करने के लिए संदर्भित किया कि संविधान के अनुच्छेद 309 का परंतुक राष्ट्रपति या राज्यपाल को संक्रमणकालीन अवधि के लिए सेवा नियम बनाने की शक्ति देता है जब तक कि विधानमंडल संघ या राज्य के तहत पदों के लिए भर्ती और सेवा से जुड़ी शर्तों के लिए कानून नहीं बनाता है। "एबी कृष्णा" में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत शक्ति का प्रयोग राज्यपाल द्वारा नहीं किया जा सकता है, जहां विधायिका ने पहले ही भर्ती नियम प्रदान करने वाला कानून बना दिया है। (ख) माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय में कहा कि सरकार संशोधन या वैधानिक नियमों को प्रशासनिक अनुदेशों द्वारा प्रतिस्थापित करें। और, "डीआर यादव"¹⁰ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

"21. उक्त प्रावधान के साधारण पाठ करने पर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके तहत बनाए गए नियम तब तक लागू होंगे, जब तक सेवा की शर्तों को नियंत्रित करने वाला कोई अधिनियम, वैधानिक नियम या अन्य अधीनस्थ विधायी प्रावधान नहीं बनाए जाते या कोई अन्य रूप से कार्यान्वित नहीं होते। दूसरे शब्दों में,

8 ए. बी. कृष्णा बनाम कर्नाटक राज्य (1998) 3 एससीसी 495

9 भारत संघ बनाम राकेश कुमार: (2001) 4 एससीसी 309

10 डीआर यादव बनाम आरके सिंह: (2003) 7 एससीसी 110

संविधान के अनुच्छेद 309 की उप-धारा के तहत बनाए गए नियम एक संक्रमणकालीन अवधि के लिए होते हैं और इन्हें एक बार बनाए गए विशेष नियमों के लिए रास्ता देना होगा। हालाँकि, यदि कोई अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम पहले से ही कार्यान्वित हो रहे हैं, तो अनुच्छेद 309 की उप-धारा के तहत बनाए गए सामान्य नियम उस सेवा पर लागू नहीं होंगे। ।

12. ऐसा प्रतीत होता है कि कानून अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्ति के संदर्भ में बनाए गए कोई भी कार्यकारी आदेश या नियम उन भर्ती नियमों के अधीन होंगे जिन्हें विधायी अधिनियमन या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत नियमों के तहत बनाया गया है। अब यह सवाल विचारणीय है कि क्या झारखंड पुलिस नियमावली में विधानमंडल द्वारा बनाए गए वैधानिक नियम हैं या विधानमंडल के किसी अधिनियम के तहत. यह प्रदर्शित करने के लिए कि झारखंड पुलिस मैनुअल में नियम पुलिस अधिनियम, 1861 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तैयार किए गए हैं, याचिकाकर्ताओं ने बिहार पुलिस मैनुअल की प्रस्तावना पर बहुत अधिक भरोसा किया है।
13. पुलिस अधिनियम, 1861 को पुलिस बल को पुनर्गठित करने और अपराध की रोकथाम और पता लगाने के लिए इसे और अधिक कुशल बनाने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसमें प्रावधान है कि राज्य सरकार के अधीन संपूर्ण पुलिस स्थापना को औपचारिक रूप से नामांकित एक पुलिस बल माना जाएगा और उसमें उतनी संख्या में अधिकारी और कामक शामिल होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश दिए जाएं। धारा 2 के परंतुक में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी पुलिस बल के अधीनस्थ रैंकों के सदस्यों के वेतन और सेवा की अन्य सभी शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। धारा 3 में प्रावधान है कि पूरे सामान्य पुलिस जिले में पुलिस का अधीक्षण राज्य सरकार में निहित होगा और उसके द्वारा प्रयोग किया जाएगा। याचिकाकर्ता धारा 4 से समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं जो पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेशों को संदर्भित करता है, जिन्हें एक सामान्य पुलिस जिले में पुलिस को प्रशासित करने की शक्ति के साथ निहित किया जाएगा। धारा 7 जो अपने शीर्षक के तहत अवर अधिकारियों की नियुक्ति, बर्खास्तगी आदि की अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, यह प्रदान करती है कि पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक और जिला अधीक्षक

अधीनस्थ रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत बनाए गए नियमों या ऐसे नियमों के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में दंड दे सकते हैं जो राज्य सरकार पुलिस अधिनियम के तहत बना सकती है। नियम के उपसर्ग में उपसर्ग शीर्षक को किसी प्रावधान के निर्माण के उद्देश्य से संदर्भित नहीं किया जा सकता है जब उसमें प्रयुक्त शब्द स्पष्ट और असंदिग्ध हों। "रायचूर्मथम प्रभाकर"¹¹ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी खंड के शीर्षक या शीर्षक को विधियों के निर्माण में खेलने के लिए एक सीमित भूमिका सौंपने की अनुमति है, लेकिन शीर्षक या शीर्षक उस अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकता है जो स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से प्रावधान की भाषा से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। हमारी राय में, धारा 7 के अंतर्गत उपबंध, कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति का स्रोत प्रदान नहीं करते हैं। धारा 12 में प्रावधान है कि पुलिस महानिरीक्षक पुलिस बल के संगठन, वर्गीकरण और वितरण के लिए नियम बना सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने न्यायालय पर प्रस्तावना और धारा 12 को एक साथ पढ़ने के लिए जोर देकर कहा कि झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत नियम पुलिस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं। हालांकि, धारा 12 को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन नियम बनाने की पुलिस महानिरीक्षक की शक्ति कर्तव्य के दुरुपयोग या उपेक्षा को रोकने के उद्देश्य से है, और पुलिस बल को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कुशल बनाने के लिए है। इसी प्रकार, धारा 46 राज्य सरकार को उपधारा (2) के खंड (क) और (ग) में विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है।

14. झारखंड पुलिस मैनुअल बिहार पुलिस मैनुअल में संलग्न प्रस्तावना को पुनः प्रस्तुत करता है। प्रस्तावना में कहा गया है कि बिहार पुलिस मैनुअल पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 7 और 12 के तहत राज्य सरकार द्वारा और उसके प्राधिकार से जारी किया जाता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि नियम आदि सभी पुलिस अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार के अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए आधिकारिक मार्गदर्शक हैं। नीचे हम झारखंड पुलिस मैनुअल की प्रस्तावना को पुनः प्रस्तुत करेंगे, जो इस प्रकार है:

¹¹ रायचूर्मथम प्रभाकर वी। रावतमल दुगर: (2004) 4 एससीसी 766

"बिहार पुलिस मैनुअल, 1978 [वॉल्यूम 1 (नियम), वॉल्यूम II (फॉर्म) और वॉल्यूम III (परिशिष्ट)] पुलिस अधिनियम V, 1861 की धारा 7 और 12 के तहत राज्य सरकार के अधिकार से जारी किया गया है। सभी नियम आदि सभी पुलिस अधिकारियों के लिए बाध्यकारी हैं और सरकार के अन्य संबंधित अधिकारियों के लिए एक आधिकारिक मार्गदर्शक हैं।"

15. पुस्तक या अन्य साहित्यिक कार्य को पेश करने के लिए लेखक द्वारा एक प्रस्तावना लिखी जाती है। प्रस्तावना के माध्यम से, लेखक अपना परिचय दे सकता है, या पुस्तक के उद्देश्य, निर्माण या सामग्री के बारे में बात कर सकता है। एक प्रस्तावना इस कहानी के बारे में भी बात कर सकती है कि पुस्तक कैसे लिखी गई थी या पुस्तक के लिए विचार कैसे विकसित किया गया था। यह एक आम बात है कि लेखक द्वारा लेखन की तारीख और स्थान के साथ एक प्रस्तावना पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। प्रस्तावना शब्द लैटिन शब्द 'प्रे' से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है "पहले बोला गया" और 'फातिया' जिसका अर्थ है "पहले बनाया गया"। इसलिए प्रस्तावना में एक प्रारंभिक या परिचयात्मक बयान शामिल है और प्रस्तावना में धारा 7 और 12 का उल्लेख मात्र यह मानने का निर्धारक कारक नहीं है कि झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत नियम पुलिस अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए थे।
16. झारखंड पुलिस मैनुअल में 2 अक्टूबर 1978 को बिहार के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा लिखी गई प्रस्तावना भी शामिल है। प्रस्तावना में सरकारी आदेशों के संकलन का इतिहास दिया गया है। 1912 से पहले, 1884 में पहली बार जारी किए गए बंगाल पुलिस मैनुअल को महानिरीक्षक की व्यक्तिगत सहायता द्वारा संशोधित किया गया था। 1912 में, बंगाल पुलिस मैनुअल को बिहार और उड़ीसा पुलिस मैनुअल के रूप में फिर से नामित किया गया था, जिसमें 1923-24 और 1929-30 में संशोधन किया गया था। स्वतंत्रता के बाद, कई दशकों में किए गए संशोधनों वाली पुलिस मैनुअल 1949 और 1955 में प्रकाशित हुई थी। बाद में, बिहार पुलिस मैनुअल में संशोधन करने के लिए पुलिस महानिरीक्षक, विधानमंडल के सदस्यों और कार्यकारिणी से मिलकर एक समिति का गठन किया गया। समिति ने बिहार पुलिस आयोग की सिफारिशों को शामिल किया और बड़ी संख्या में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों व्यक्तियों का साक्षात्कार किया और तीन खंडों

में बिहार पुलिस मैनुअल के संशोधन को अंतिम रूप दिया; कैबिनेट ने दिसंबर 1977 में संशोधित पुलिस मैनुअल को मंजूरी दी।

17. झारखंड पुलिस मैनुअल की प्रस्तावना निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की जाती है:

बंगाल पुलिस मैनुअल, पहली बार 1884 में जारी किया गया था, बंगाल पुलिस कार्यालय के रजिस्ट्रार श्री बोटेल्सो द्वारा सरकारी आदेशों का संकलन था। तत्पश्चात्, निम्नलिखित संशोधन किए गए-

(i) 1890 से 1893 तक श्री एच जाइल्स द्वारा। इंस्पेक्टर जनरल और श्री सीए विल्किंस, आईसीएस के लिए पीए, (ii) 1897 में एडवर्ड हेनरी (तब श्री हेनरी) के समय के दौरान महानिरीक्षक के निजी सहायक श्री ईएम शावर्स द्वारा, (iii) 1906 से 1907 तक श्री डेली द्वारा और 1909 से 1910 तक श्री स्वेन द्वारा, दोनों महानिरीक्षक के निजी सहायक जिन्होंने अपने स्वयं के कर्तव्यों के अलावा संशोधन किया, श्री बी. ए. कॉलिन्स, आईसीएस द्वारा सहायता प्रदान की गई जो अंततः 1911 में प्रकाशित हुई, (iv) 1912 में डॉ. जेवी रयान, एल.एल.डी., पुलिस अधीक्षक द्वारा जब इसका नाम पहली बार 1914 में बिहार और उड़ीसा पुलिस मैनुअल के रूप में बदला गया था। (v) इस वर्तमान नियमावली से पहले अंतिम संशोधन 1923-24 में श्री आरजे हर्स्ट, उप महानिरीक्षक, सीआईडी द्वारा किया गया था, जिसे बाद में 1927 से 1929 तक श्री डब्ल्यूएपी सीली, विशेष ड्यूटी पर पुलिस अधीक्षक और श्री ईएओ पर्किन, महानिरीक्षक के सहायक द्वारा जारी रखा गया था और 1929-30 में श्री सीआरबी मरे द्वारा समाप्त किया गया था, महानिरीक्षक के सहायक श्री आर.ए.पी.

2. भारत की स्वतंत्रता के बाद, पुलिस मैनुअल, खंड I को 1949 और 1955 में गवर्नमेंट प्रेस, गुलजारबाग में पुनर्मुद्रित किया गया था, जहां कई दशकों तक क्रमिक रूप से जारी किए गए और वहां पुस्तिकाओं में रखे गए सभी संशोधनों को शामिल किया गया था। तत्पश्चात्, पुलिस मैनुअल, खण्ड-I का अनुवाद किया गया। हिन्दी में यह कार्य तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक श्री शारदा प्रसाद वर्मा की पहल पर पुलिस उपाधीक्षक श्री केदार नाथ मिश्र "प्रभात" और

श्री राम गोपाल शर्मा "रुद्र" द्वारा किया गया था। इसे दो भागों में प्रकाशित किया गया था। पहला भाग जिसमें अध्याय 1-14 और दूसरा भाग जिसमें अध्याय 15-36 शामिल थे, क्रमशः 1965 और 1971 में प्रकाशित हुए थे।

3. राज्य सरकार ने विशेष रूप से श्री रणानंद तिवारी, गृह मंत्री (पुलिस) (पूर्व में एक कांस्टेबल जो 1942 में महात्मा गांधी के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे) की पहल पर पुलिस मैनुअल और श्री बट्टी नारायण सिन्हा को संशोधित करने का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए आई.थाना, पुलिस उप महानिरीक्षक का विशेष रूप से चयन किया गया था। उन्होंने 1 जून, 1971 से सही मायने में संशोधन का काम शुरू किया। बाद में, निम्नलिखित व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई: -

- (1) श्री त्रिलोक नाथ, आई.पी., पुलिस महानिरीक्षक ... विशेष कर्तव्य-सह-अध्यक्ष पर।
- (2) श्री फजलुर रहमान, विधायक (बाद में केंद्रीय मंत्री) ... सदस्य।
- (3) श्री जय नारायण, जिन्होंने आई.थाना से त्यागपत्र देने के बाद श्री जय नारायण ने 1000 करोड़ रुपए की राशि से त्यागपत्र दे दिया था। ... सदस्य। एम.एल.ए.
- (4) श्री कुमार तरानंद सिंह, निवासी निदेशक, ... सदस्य। टिस्को, जमशेदपुर।
- (5) श्री सत्येन्द्र नारायण अग्रवाल, पूर्व उप... सदस्य। अध्यक्ष, बिहार विधान सभा।
- (6) वित्त आयुक्त, (7) गृह सचिव, (8) विधि सचिव, और (9) उप उप-राज्यपाल (प्रशासन) पदेन सदस्यों के रूप में, इसके अलावा (10) सदस्य-सचिव श्री बट्टी नारायण सिन्हा।

4. श्री सिन्हा ने एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार की जिसे व्यापक रूप से परिचालित किया गया। स्थानांतरण पर, उन्होंने जुलाई 1972 में श्री दुनिया लाल, आईपीएस, पुलिस उप उप-एलजी को कार्यभार सौंप दिया। दुर्भाग्यवश, श्री डी लाल का 9 अगस्त, 1972 को अकाल निधन हो गया।

5. श्री ज्योतिन्द्र मोहन प्रसाद, आई.थाना, पुलिस अधीक्षक को अगस्त 1972 में सदस्य-सह-सचिव के रूप में तैनात किया गया था, बाद में उसी वर्ष उप एलजी के रूप में पदोन्नत किया गया। वह अभी भी जारी है।
6. पुलिस मैनुअल रिवीजन कमेटी ने सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक श्री मिथिलेश कुमार सिन्हा, आई.पी., द्वारा 1961 में प्रस्तुत बिहार पुलिस आयोग की सिफारिशों को शामिल किया और इसने पुलिस आदेश पुस्तिका से भी उद्धरण लिया जिसे 1969 में संशोधित किया गया था। इसके अलावा, नई आपराधिक प्रक्रिया संहिता (1974 का 2)। बिहार लेखा संहिता और नई लेखा प्रणाली तथा पुलिस संगठन में सुधार के लिए विशेष रूप से गठित विधानसभा की उप-समिति की सिफारिशों ने नियमावली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। समिति ने बड़ी संख्या में व्यक्तियों, सरकारी और गैर-सरकारी दोनों का साक्षात्कार लिया और अक्टूबर, 1974 तक हिंदी में पुलिस मैनुअल के सभी तीन खंडों का संशोधन पूरा कर लिया।
7. तब श्री अजीत कुमार घोष, आई.पी., महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक पुलिस महानिदेशक (नवंबर, 1974 में अध्यक्ष) के रूप में श्री नरेंद्र पाल सिंह, आईएएस, संयुक्त सचिव, (बाद में अपर सचिव), गृह (पुलिस) के सदस्य के रूप में एक कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया था, लेकिन जल्द ही, इस समिति का पुनर्गठन किया गया जिसमें अध्यक्ष और वित्त सचिव, विधि सचिव और उप आईजी (प्रशासन) पदेन सदस्यों के रूप में श्री नरेंद्र पाल सिंह थे। इसमें श्री राम नंदन प्रसाद, अतिरिक्त एलआर और बाद में श्री गोबिंद प्रसाद, डिप्टी एलआर के नाम उल्लेख के लायक हैं। सदस्य सचिव श्री ज्योतिन्द्र मोहन प्रसाद पहले की तरह अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। श्री प्रसाद ने राजभाषा अधिकारी श्री सतीश चंद्र मिश्रा की मदद से पुलिस मैनुअल के सभी तीन खंडों का अंग्रेजी में अनुवाद भी किया और इस प्रकार, अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों को प्रकाशित किया जा रहा है। श्री ए. के. घोष, जिन्होंने बाद में गृह (पुलिस) के विशेष सचिव का पदभार संभाला, ने 31 मार्च, 1977 को सेवानिवृत्त होने से पहले पुलिस मैनुअल, खंड-1 की गहन जांच की। मंत्रिमंडल ने दिसम्बर, 1977 में संशोधित नियमावली को अनुमोदित किया।

8. अंत में, सहायक सर्वश्री बीरेंद्र नारायण झा, सिंहेश्वरी प्रसाद सिंह और चंद्रशेखर प्रसाद सिंह और टाइपिस्ट शिव नाथ पंडित द्वारा दी गई सहायता की सराहना की जानी चाहिए।
9. संशोधित नियमावली पुलिसकर्मियों द्वारा निस्वार्थ सार्वजनिक सेवा के कारण को समर्पित है और सभी को पेश की जाती है। इसके सुधार के लिए किसी भी सुझाव का स्वागत है।

पटना

पुलिस महानिरीक्षक,

2 अक्टूबर, 1978

बिहार, पटना।

18. प्रस्तावना आमतौर पर लेखक या पाठक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, लेकिन आमतौर पर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति जो पुस्तक को विश्वसनीयता प्रदान करता है। क्षेत्र में एक विशेषज्ञ द्वारा पुस्तक के बारे में एक प्रस्तावना निश्चित रूप से सामग्री के लिए सहायक है। लेकिन प्रस्तावना या प्रस्तावना किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करने और उस पर एक निश्चित अर्थ देने के लिए आधिकारिक बाहरी सहायक नहीं हो सकती है। प्रस्तावना में केवल यह घोषणा की गई है कि बिहार पुलिस मैनुअल, जिसमें खंड-I में नियम, खंड-II में प्रपत्र और खंड-III में परिशिष्ट शामिल हैं, पुलिस अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत राज्य सरकार के प्राधिकार से जारी किए गए हैं।
19. झारखंड पुलिस मैनुअल 46 अध्यायों में फैला हुआ है और इसमें (i) बल के सामान्य कर्तव्य और उनकी आचार संहिता (ii) संगठन और विभाग के कार्मिक (iii) सभी रैंकों के पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य (iv) पुलिस स्टेशन (v) सूचना (vi) जांच (vii) अभियुक्त की गिरफ्तारी और हिरासत (viii) निगरानी और अपराध की रोकथाम (ix) अपराधियों की दोषसिद्धि और पंजीकरण (x) आपराधिक जांच विभाग और खुफिया विभाग (xi) नियुक्ति और नामांकन (xii) परीक्षा और प्रशिक्षण (xiii) पदोन्नति और भत्ते (xiv) स्थानांतरण छुट्टी और सेवानिवृत्ति (xv) दंड (xvi) पुरस्कार (xvii) वर्दी और कपड़े (xviii) शिकायतें और भ्रष्टाचार पूछताछ (xix) पुलिस सूचना और नियंत्रण कक्ष (xx) पुलिस के विशेष कर्तव्य और (xxi) मंत्रिस्तरीय संवर्ग और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और वरिष्ठ कर्मचारी। झारखंड पुलिस नियमावली का खंड-I जो 672 पृष्ठों में फैला हुआ है, पुलिस बल के

अनेक पहलुओं से संबंधित है और जिसका लगभग आधी शताब्दी से अनुसरण किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया कि झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत नियम बाध्यकारी हैं और लंबे समय तक लगातार लागू होने के बाद वैधानिक बल प्राप्त किया और कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर, श्री सचिन कुमार, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने "अजय कुमार भुयां"¹² का उल्लेख करते हुए कहा कि झारखंड पुलिस मैनुअल संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत जारी कार्यकारी आदेशों का एक संग्रह है। यह तर्क दिया गया है कि 2014 के भर्ती नियम झारखंड पुलिस मैनुअल के तहत प्रावधानों को उस हद तक हटा देंगे जब तक यह असंगत है संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए नियमों के संबंध में ।

20. लैटिन वाक्यांश "कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिटियो" जिसका अर्थ है कि समकालीन प्राधिकरण से प्राप्त प्रदर्शनी के संदर्भ में एक कानून या किसी अन्य दस्तावेज़ की व्याख्या करना हमेशा निर्णायक नहीं होता है, हालांकि काफी वजन का हकदार होता है। "देश बंधु गुप्ता एंड कंपनी"¹³ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "बालेश्वर बागती"¹⁴ और "मथुरा मोहन साहा"¹⁵ का उल्लेख किया और दोहराया कि न्यायालय एक कानून का निर्माण करते समय उस पर की गई व्याख्या को बहुत अधिक महत्व देंगे, लेकिन इस तरह की व्याख्या का न्यायालयों पर नियंत्रण प्रभाव नहीं हो सकता है और यदि आवश्यक हो तो ठोस और प्रेरक कारणों से इसे छोड़ दिया जाना चाहिए। "देश बंधु गुप्ता एंड कंपनी"¹³ में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिए हैं -

"9. यह कहा जा सकता है कि हमारे समक्ष यह विवादित नहीं था कि अधिसूचना जारी करने के लगभग एक साथ अस्तित्व में आए इन दो दस्तावेजों को प्रश्नगत अधिसूचना जारी करने में सरकार के वास्तविक इरादे का पता लगाने के लिए देखा जा सकता है, विशेष रूप से उस तरीके के संबंध में जिसमें बकाया लेनदेन को बंद या परिसमाप्त किया जाना था। समकालीन एक्सपोजिटियो का सिद्धांत (समकालीन

12 अजय कुमार भुइयां बनाम उड़ीसा राज्य (2003) 1 एससीसी 707

13 देश बंधु गुप्ता एंड कंपनी बनाम दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड: (1979) 4 एससीसी 565

14 बालासोर बागोर वी. भागीरथी दास : आईएलआर (1908) 35 कैलरी 701

15 मथुरा मोहन साहा वी। राम कुमार साहा: एयर 1916 कल 136

प्राधिकरण से प्राप्त प्रदर्शनी के संदर्भ में एक कानून या किसी अन्य दस्तावेज की व्याख्या करना) को लागू किया जा सकता है, हालांकि यह हमेशा निर्माण के प्रश्न का निर्णायक नहीं होगा (मैक्सवेल, 12 वां संस्करण, पृष्ठ 268)। पैरा 219 (पीपी 393-395 पर) में वैधानिक निर्माण (1940 संस्करण) पर क्रॉफर्ड में यह कहा गया है कि प्रशासनिक निर्माण (यानी प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा एक कानून को निष्पादित करने के आरोप में रखा गया समकालीन निर्माण) आम तौर पर पलटने से पहले स्पष्ट रूप से गलत होना चाहिए; इस तरह के निर्माण, जिसे आमतौर पर व्यावहारिक निर्माण के रूप में जाना जाता है, हालांकि नियंत्रित नहीं है, फिर भी काफी वजन का हकदार है; यह अत्यधिक प्रेरक है। बालेश्वर बागर्ट बनाम भागीरथी दास के मामले में वह सिद्धांत, जिसे मथुरा मोहन साहा बनाम राम कुमार साहा में दोहराया गया था, मुखर्जी जे द्वारा इस प्रकार कहा गया है: "यह व्याख्या का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय किसी कानून का निर्माण करते समय और उसके अधिनियमन के समय और उसके बाद से, उस पर लगाई गई व्याख्या को अधिक महत्व देंगे, उन लोगों द्वारा जिनका कर्तव्य इसे समझना, निष्पादित करना और लागू करना है ...। मैं एक पल के लिए सुझाव नहीं देता कि इस तरह की व्याख्या का अदालतों पर किसी भी तरह से नियंत्रण प्रभाव पड़ता है; इस तरह की व्याख्या, यदि अवसर उत्पन्न होती है, तो ठोस और प्रेरक कारणों से अवहेलना की जा सकती है, और त्रुटि के स्पष्ट मामले में, एक अदालत बिना किसी हिचकिचाहट के इस तरह के निर्माण का पालन करने से इनकार कर देगी।

बेशक, इन दो दस्तावेजों की सहायता के बिना भी जिसमें एक

सरकार के इरादे की समकालीन व्याख्या करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अधिसूचना के एक सादे निर्माण पर परंतुक ने प्रतिवादी के नियमों, उप-कानूनों और विनियमों के अनुसार एक वायदा अनुबंध में प्रवेश करके सभी बकाया लेनदेन को बंद करने या परिसमापन की अनुमति दी है।

21. इस विषय पर कानून को *"अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड"*¹⁶ में आगे स्पष्ट किया गया जिसमें

16 अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड राजस्थान राज्य: (2021) 12 एससीसी 147

माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया है -

"24.3. वर्तमान उद्देश्य के लिए यह निरीक्षण करना पर्याप्त है कि संक्षेप में, समकालीन एक्सपोजिटियो के सिद्धांत को एक कानून या यहां तक कि दस्तावेज़ की व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में लागू किया जाता है, जो उस समय सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुई प्रदर्शनी का उल्लेख करता है। यह सिद्धांत स्टेयर डिसीसिस के सिद्धांत से भी संबंधित है, जिसके तहत, लंबे समय तक खड़े रहने वाले एक प्रदर्शनी को एक कानून माना जाता है और इसे इस तरह लागू किया जाता है। जहां तक कानून को निष्पादित करने का आरोप लगाने वाले प्रशासनिक या कार्यकारी अधिकारियों द्वारा रखे गए समकालीन निर्माण का संबंध है, अदालतें उसी को काफी वजन देने के पक्ष में झुकती हैं, लेकिन यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किसी विशेष प्रशासनिक या कार्यकारी प्राधिकारी की समझ हमेशा निष्पन्न होती है और इसे लागू करना पड़ता है, भले ही गलत हो। सच्चा सिद्धांत इसके ठीक विपरीत है: अर्थात्, यदि समकालीन प्राधिकरण द्वारा रखा गया निर्माण स्पष्ट रूप से गलत या गलत पाया जाता है, तो उसकी अवहेलना की जानी चाहिए।

22. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि राज्य सरकार पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्यकारी आदेश जारी कर सकती है लेकिन ऐसे कार्यकारी आदेश वैधानिक नियमों का रंग नहीं लेते हैं। यह कहना गलत है कि झारखंड पुलिस मैनुअल में निहित कार्यकारी आदेश, हालांकि 'नियम' के रूप में लेबल किए गए हैं, पुलिस अधिनियम की धारा 4, 7, 12 और 46 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए वैधानिक नियम हैं। अभिव्यक्ति 'वैधानिक नियम' का अर्थ है कि नियम एक कानून के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं और कार्यकारी आदेशों को वैधानिक नियमों के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है। झारखंड पुलिस मैनुअल में समय-समय पर जारी किए गए कार्यकारी आदेश शामिल हैं और इन कार्यकारी आदेशों को 'नियम' के रूप में लेबल करना सुविधा और उसके तहत निपटाए गए विषयों पर संकलन के लिए था।
23. दिनांक 20 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना में कहा गया है कि 2014 के भर्ती नियम झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाए गए हैं।

संविधान के अनुच्छेद 162 और अनुच्छेद 309 पर विस्तृत चर्चा की गई है और सापेक्ष गुंजाइश अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में अच्छी तरह से परिभाषित है। संविधान के अनुच्छेद 309 में यह प्रावधान है कि संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम द्वारा विनियमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 309 का परंतुक "यह सक्षम होगा" अभिव्यक्ति से शुरू होता है और इसलिए भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने के लिए राज्य सरकार की सक्षमता पर तब तक कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता जब तक कि उस निमित्त प्रावधान उपयुक्त विधानमंडल के अधिनियम द्वारा या उसके तहत नहीं किए जाते हैं। "सोमसुंदरम विश्वनाथ"¹⁷ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यदि कार्यकारी निर्देशों और संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों के बीच कोई संघर्ष है, तो बाद के प्रावधान के तहत बनाए गए नियम प्रबल होंगे। "सोमसुंदरम विश्वनाथ"¹⁷ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार आयोजित किया:

"6. यह सुस्थापित है कि सिविल सेवाओं से संबंधित अधिकारियों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में मानदंड या तो उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाए गए कानून द्वारा या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों द्वारा या भारत संघ के तहत सिविल सेवाओं के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से और अनुच्छेद 3 के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं। (ग) राज्य सरकारों के अधीन सिविल सेवाओं के मामले में भारत के संविधान की धारा 162 के अंतर्गत सिविल सेवाओं के कार्यान्वयन की अनुमति दी गई है। यदि कार्यपालिका अनुदेशों और भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियमों के बीच कोई विरोध है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियम प्रबल होते हैं, और यदि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के अधीन बनाए गए नियमों और उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच कोई विरोध होता है तो उपयुक्त विधानमंडल द्वारा बनाया गया

17 भारत संघ बनाम सोमसुंदरम विश्वनाथ: (1989) 1 एससीसी 175

कानून प्रबल होता है। विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या इस मामले में नियमों और ऊपर उल्लिखित दिनांक 30-12-1976 के कार्यालय ज्ञापन के बीच कोई विरोध है। हमने पहले ही देखा है कि विभिन्न विभागों में सेवाओं में भर्ती करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अलग-अलग नियम बनाए गए हैं और उनमें निचले कैडर से उच्च कैडर में अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में सिफारिशें करने के उद्देश्य से विभागीय पदोन्नति समितियों के गठन के लिए प्रावधान किए गए हैं। लेकिन ये नियम कुछ हद तक चरित्र में कंकाल हैं। उनमें से किसी में भी विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और उनके विभिन्न कार्यों तथा विभागीय पदोन्नति समितियों की गणपूत के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये विवरण, जो विभागीय पदोन्नति समितियों के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक थे, व्यवहार के रूप में, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के रूप में 30-12-1976 से पहले निर्धारित किए गए थे और 30-12-1976 को एक समेकित कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया था जिसमें इस तरह के संबंध में निर्देश थे विवरण जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की सभी विभागीय पदोन्नति समितियों पर लागू थे। उक्त कार्यालय ज्ञापन कई विषयों से संबंधित है, जैसे विभागीय पदोन्नति समितियों के कार्य, बारंबारता, जिन पर विभागीय पदोन्नति समितियों को बैठक करनी चाहिए, विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा विचार किए जाने के लिए रखे जाने वाले मामले, विभागीय पदोन्नति समितियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया, निलम्बित अधिकारी के मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसके आचरण की जांच चल रही है या जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही शुरू की गई है, या (क) क्या यह सच है कि कोई सदस्य अनुपस्थित होने पर विभागीय पदोन्नति समितियों की कार्यवाहियों की वैधता, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता, जब नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों से सहमत न हो तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, विभागीय पदोन्नति समितियों की सिफारिशों का कार्यान्वयन, के संबंध में विभिन्न स्तरों पर पदोन्नति के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में कुछ भी कहा जाता है; तदर्थ पदोन्नति, पैनलों की वैधता की अवधि आदि इसलिए, दिनांक 30-12-1976 का कार्यालय ज्ञापन, इसके

द्वारा निपटाए गए विषयों के संबंध में एक पूर्ण संहिता की प्रकृति में है, जब तक कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों में कुछ भी न हो, जो कार्यालय जापन में निहित निर्देशों के प्रतिकूल है, कार्यालय जापन जो स्पष्ट रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत जारी किया गया है, वैध माने जाने का हकदार है और सभी संबंधितों पर बाध्यकारी है। वर्तमान मामले में, नियमों में इनमें से कोई भी विवरण नहीं है, सिवाय यह इंगित करने के कि विभागीय पदोन्नति समिति का गठन करने वाले सभी व्यक्ति कौन हैं। इसलिए, हम नियमों और कार्यालय जापन के बीच कोई प्रतिकूलता नहीं पाते हैं। इन परिस्थितियों में हमें लगता है कि प्रतिवादी 1 द्वारा अपने अतिरिक्त हलफनामे दिनांक 13-5-1988 (पेपर बुक के पृष्ठ 132) में उठाई गई दलील कि कार्यालय जापन अप्रभावी है, को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के इस फैसले से सहमत नहीं हैं कि 7-8-1986 को विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही "केवल इस कारण से दूषित हो गई है कि सचिव, रक्षा मंत्रालय, इसके सदस्यों में से एक उपस्थित नहीं था"। हम मानते हैं कि विभागीय पदोन्नति समिति की 7-8-1986 को हुई बैठक की कार्यवाही उपरोक्त कारण से अवैध नहीं है।

24. बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था:

663. (क) 19 से 27 वर्ष की आयु के बीच के मजबूत, स्वस्थ युवा पुरुष जिन्होंने माध्यमिक (अर्थात् मैट्रिकुलेशन) परीक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें यथासंभव भर्ती के रूप में चुना जाएगा। शारीरिक परीक्षणों का मानक वही होगा जो उप-निरीक्षकों के लिए परिशिष्ट 38, खंड 9 में दिया गया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए, ऊपरी आयु-सीमा 32 वर्ष तक है और मैट्रिक पास उपलब्ध नहीं होने पर शैक्षिक योग्यता को मिडिल पास तक कम किया जा सकता है। ऊंचाई और छाती माप के मानक नीचे दिए गए हैं। ये मिनिमा हैं और अधीक्षकों को उच्च स्तर के पुरुषों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए: (i) सामान्य के लिए - ऊंचाई 163 सेंटीमीटर और छाती 80 सेंटीमीटर। (ii) अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए - ऊंचाई 158 सेंटीमीटर और छाती 78 सेंटीमीटर। नोट। - छाती को मापने के लिए, मापने वाले टेप को समान रूप से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन कसकर

नहीं, इसका ऊपरी किनारा कंधे के ब्लेड की निचली सीमा को छूता है, और इसका निचला किनारा निपल्स के ठीक ऊपर से गुजरता है, पक्षों द्वारा लटकी हुई बाहें। मानक न्यूनतम माप है, जिसमें छाती पूरी तरह से अपस्फीति है। माप लेने से ठीक पहले उम्मीदवार को बिना सांस लिए और बिना जल्दी किए तीस तक गिनने के लिए बनाया जाएगा। (iii) गोरखाओं के लिए कोई शारीरिक मानक नहीं है, जो भारत के निवासी हैं और सबसे अच्छी काया के पुरुषों को प्राप्य और कम से कम साक्षर बनाया जाएगा। N.B. - नेपाली विषयों को सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है। (बी) भर्ती के समय अधीक्षक की उपस्थिति में रिजर्व निरीक्षक द्वारा रंगरूटों को मापा जाएगा। (ग) चयन बोर्ड को 27 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों या विशेष कारणों से, माप के मानक से नीचे के पुरुषों का चयन करने से वंचित नहीं किया गया है, लेकिन यह केवल अच्छे आधार पर ऐसा करेगा। भर्ती से पहले उप महानिरीक्षक ऊंचाई और छाती में 2.5 सेमी की छूट दे सकते हैं। केवल। (परिशिष्ट 2, भाग II का खंड 9 देखें)। (घ) भर्ती वर्ष में दो बार इस प्रकार की जाएगी कि भर्ती किए गए कर्मचारी सत्र शुरू होने से पहले कांस्टेबल प्रशिक्षण स्कूल जाने के लिए तैयार हों। जिला मुख्यालयों में प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अधीक्षक रिक्तियों की सही संख्या देते हुए समाचार पत्रों में उम्मीदवारों के चयन की सूचना प्रकाशित करेगा और रोजगार कार्यालय के माध्यम से विज्ञापन भी देगा। वह प्रयास करेगा कि चयन पूरा हो जाए और परिणाम उसी दिन या अगले दिन उम्मीदवारों के सामने रखे जाएं ताकि उन्हें अनावश्यक रूप से रहने के लिए मजबूर न किया जाए। मेडिकल टेस्ट में संभावित अनफिट के लिए कुछ अतिरिक्त पुरुषों को छोड़कर विज्ञापित संख्या से अधिक उम्मीदवारों की कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जानी है।

25. बिहार पुलिस नियमावली में संशोधन किए गए थे जो 12 नवंबर 2001 की अधिसूचना में प्रदान किए गए हैं जिसे झारखंड सरकार ने इसे अपनाते समय किया था। बिहार पुलिस मैनुअल के नियम 663 (सी) को निरस्त कर दिया गया था और उसमें नए प्रावधान शामिल किए गए थे जो अब झारखंड पुलिस मैनुअल का हिस्सा हैं। संशोधन नियम 663 खंड (ए) और खंड (सी) तक सीमित हैं, जिसके तहत पहले से मौजूद खंड (ए) में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित 32 वर्ष की

ऊपरी आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता हटा दी गई थी। ऊंचाई और छाती माप के मानक के रूप में आवश्यकता को भी हटा दिया गया था और दिनांक 12 नवंबर 2001 की अधिसूचना में वर्णित सीमा तक संशोधित किया गया था। उल्लेख करने के लिए, खंड (सी) के तहत प्रदान किए गए पूर्व-मौजूदा नियम 663 27 वर्ष से ऊपर के कांस्टेबलों का चयन और माप का मानक उप महानिरीक्षक द्वारा ऊंचाई और छाती में 2.5 सेमी की छूट के अधीन है।

26. दिनांक 12 नवंबर की अधिसूचना के प्रासंगिक भाग 2001 नीचे निकाले गए हैं:

अंग्रेजी अनुवाद:

(3) बिहार पुलिस नियमावली के नियम 663 (ग) को निरस्त माना जाएगा और इसके स्थान पर निम्नलिखित संशोधन किया गया माना जाएगा

1 से 17 तक प्रतिस्थापित,

.....
.....

(13) प्रतीक्षा सूची:- पुलिस नियमावली नियम 663 (डी) के अनुसार कोई प्रतीक्षा सूची नहीं बनाई जानी चाहिए। यदि पहली सूची जारी होने के बाद विज्ञापित रिक्तियों को नहीं भरा जा सकता है, तो उस स्थिति में विज्ञापित रिक्तियों को भरने के लिए, एकीकृत प्राथमिकता सूची की पहली मेरिट सूची में चयनित अंतिम उम्मीदवार के नीचे से, उसी क्रम में, मेरिट वार सूची के अनुसार, रिक्तियां बनाई जाएंगी। सभी प्रकाशित रिक्तियों को निश्चित रूप से पहली लिस्टिंग जारी होने के छह महीने के भीतर भर दिया जाएगा।

27. झारखंड पुलिस नियमावली के अध्याय 20 में नियम 639 में वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य अधिकारियों का वर्णन है; कांस्टेबल क्रम संख्या 13 पर पदानुक्रम में सबसे नीचे है। नियम 661 (ए) में प्रावधान है कि कांस्टेबलों को (i) लेखक कांस्टेबल और (ii) साधारण कांस्टेबल के रूप में प्रतिष्ठित किया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि मैट्रिक पास करने वाले और पदोन्नति के लिए प्रतियोगी परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने

वाले कांस्टेबलों को लेखक कांस्टेबल के रूप में जाना जाएगा जिनकी ड्यूटी पुलिस स्टेशनों में एक विशेष लेखक की होगी। वे उप-निरीक्षकों और सहायक उप-निरीक्षकों की अनुपस्थिति में कार्यालय ड्यूटी करेंगे, और पुलिस स्टेशन के नियमित व्यवसाय का संचालन करेंगे। खंड (ख) के अधीन यह भी उपबंधित है कि कांस्टेबलों की नियुक्ति जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाएगी जिसके लिए इस प्रयोजन के लिए विधिवत गठित चयन बोर्ड द्वारा एक सूची तैयार की जाएगी। नियम 663 भर्तियों के चयन से संबंधित है, जो 19 से 27 वर्ष की आयु के बीच मजबूत, स्वस्थ युवा पुरुष होंगे और मैट्रिक पास होंगे। इसमें यह भी प्रावधान है कि शारीरिक परीक्षण का मानक परिशिष्ट-38 (खंड 9) में प्रदान किए गए अनुसार उप-निरीक्षकों का होगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष तक होगी और मैट्रिक पास करने वाले उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर शैक्षिक योग्यता को घटाया जा सकता है। नियम 663 (सी) के खंड (7) में प्रावधान है कि एक योग्यता लिखित परीक्षा होगी और उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम चयन सूची की तैयारी के लिए नहीं गिना जाएगा। खंड (12) में यह प्रावधान किया गया है कि रिक्त सीटों का 50% झारखंड राज्य में पंजीकृत होम गार्डों के लिए आरक्षित होगा और उपयुक्त होम गार्ड उम्मीदवारों की अनुपस्थिति में खाली रिक्तियों को गैर-होम गार्ड उम्मीदवारों से भरा जाएगा। खंड (13) के तहत, यह प्रदान किया जाता है कि कोई प्रतीक्षा सूची नहीं होगी, लेकिन यदि पहली सूची के बाद विज्ञापित रिक्तियों को नहीं भरा जाता है, तो पहली मेरिट सूची में चयनित अंतिम के नीचे से उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की जाएगी।

28. तथापि, 2014 के भर्ती नियमों में यह प्रावधान है कि 300 अंकों की कक्षा-X मानक के स्तर की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनमें मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान, सामान्य भाषा, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा और संख्यात्मक योग्यता शामिल होगी।
29. नियम 4 के तहत, 2014 के भर्ती नियम प्रदान करते हैं कि भर्ती प्रक्रिया झारखंड राज्य समान सेवा नियुक्ति बोर्ड द्वारा आयोजित की जाएगी। उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, विज्ञापन और आवेदन पत्र के लिए एक प्रारूप तैयार किया जाएगा और चयनित डाकघरों और बैंकों में इच्छुक उम्मीदवारों को उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें यह भी प्रावधान है

कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन/ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा और उम्मीदवार को विज्ञापित रिक्तियों के लिए जिला/बटालियन का विकल्प दिया जाएगा। नियम 5 में आरक्षण नीति का विस्तार से उल्लेख किया गया है। नियम 6 के अंतर्गत भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। यह प्रदान करता है कि लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि दो उम्मीदवार मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवार की जन्म तिथि निर्धारित की जाएगी, सभी चीजें समान होंगी। ये नियम शारीरिक कौशल परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया भी प्रदान करते हैं और निर्धारित करते हैं। नियम 6 (viii) के तहत, यह आगे प्रदान किया गया है कि क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में उत्तीर्ण अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार केवल चयन के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे। खंड (ix) के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45% और एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए 35% होंगे। नियम 10 में प्रावधान है कि सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। नियम 11 में प्रावधान है कि झारखंड पुलिस मैनुअल के तदनुरूपी प्रावधानों को हटा दिया जाएगा।

30. दिनांक 20 अक्टूबर 2014 की अधिसूचना के प्रासंगिक अंश नीचे दिए गए हैं:

अंग्रेजी अनुवाद:

(6) भर्ती की प्रक्रिया:

(i) आवेदन पत्रों की संवीक्षा आवेदन पत्रों की संग्रहण के बाद की जाएगी। केवल वही उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे जिनके आवेदन पत्र सही पाए गए हैं। आवेदन पत्रों की जांच के बाद, उम्मीदवारों को सबसे पहले, लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा।

(ii) अंतिम योग्यता सूची तैयार होने तक की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया झारखंड राज्य समान सेवा नियुक्ति बोर्ड द्वारा की जाएगी। निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर एक डेटा तैयार किया जाएगा। उम्मीदवार के संबंध में पूरी जानकारी अर्थात् उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार पिता- का नाम,

स्थायी और अस्थायी पता, आयु प्रमाण पत्र, आरक्षण श्रेणी, नागरिकता, शैक्षिक योग्यता और नियुक्ति बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई भी अतिरिक्त जानकारी तैयार डेटा में उपलब्ध होगी।

(iii) योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों का पृथक्करण इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा किया जाएगा।

(iv) दोषपूर्ण आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए जाएंगे और इस संबंध में सूचना अस्वीकृति के कारणों का उल्लेख करते हुए वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

(v) परीक्षा का स्थान और कार्यक्रम तय करने के बाद, इसकी सूचना झारखंड राज्य समान सेवा नियुक्ति बोर्ड द्वारा पात्र उम्मीदवारों को दी जाएगी। इसके साथ ही, प्रमुख स्थानीय समाचार पत्रों में एक सार्वजनिक सूचना भी प्रकाशित की जाएगी।

(vi) लिखित परीक्षा का स्तर कक्षा-X स्तर का होगा और प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। दो घंटे के एक प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के सामने प्रत्येक सही उत्तर के लिए अंक का उल्लेख किया जाएगा।

(vii) उत्तर पुस्तिका दो प्रतियों में होगी, इसमें से एक प्रति अदृश्य कार्बन कॉपी के रूप में होगी और इस प्रति को नियुक्ति बोर्डों के पास सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा

(viii) लिखित परीक्षा मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान, सामान्य भाषा के ज्ञान और संख्यात्मक योग्यता के लिए आयोजित की जाएगी; (ग) राज्य सरकार द्वारा जिले के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के लिए 1000 करोड़ रु की राशि निर्धारित की गई है। केवल उन उम्मीदवारों को अंतिम चयन / सफल सूची में शामिल किया जाएगा, जिन्होंने जिले के लिए अधिसूचित क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की परीक्षा के ज्ञान में उत्तीर्ण अंक प्राप्त किए हैं, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के ज्ञान का आकलन करने के लिए परीक्षण प्रक्रिया को इसके परीक्षण के लिए कार्यकारी आदेश द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

(ix) लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हक अंक सामान्य और पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 45 प्रतिशत और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 35 प्रतिशत होंगे।

(x) लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

(xi) टाई के मामले में, सफल उम्मीदवारों की मेरिट सूची में उम्मीदवारों के अंकों में, जन्म तिथि वरिष्ठता का आधार होगी।

(xii) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, विज्ञापित/अपेक्षित रिक्ति के 1:3 के अनुपात में सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा परीक्षा के लिए चुना जाएगा।

(xiii) लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित उम्मीदवारों को शारीरिक कौशल परीक्षा में उपस्थित होना होगा और इसमें उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा, लेकिन शारीरिक कौशल परीक्षा के आधार पर कोई अंक नहीं दिया जाएगा।

.....

.....

(10) चयन सूची:

(i) भर्ती परीक्षा पूर्ण होने के उपरान्त सफल अभ्यर्थियों की चयन सूची नियुक्ति मण्डल द्वारा विज्ञापन में प्रकाशित प्रत्येक जिला/बटालियन/यूनिट हेतु श्रेणीवार उपलब्ध रिक्ति के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(ii) यदि लिखित परीक्षा में कुल अंक और साथ ही दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की आयु समान है, तो सूची में उनकी वरिष्ठता उनकी ऊंचाई के आधार पर निर्धारित की जाएगी। (iii) झारखंड राज्य समान सेवा नियुक्ति बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची एक वर्ष के लिए वैध होगी।

(11) इस नियम की अधिसूचना के पश्चात् झारखंड पुलिस नियमावली के सुसंगत उपबंध स्वतः ही लोप हो जाएंगे।

झारखंड के राज्यपाल के आदेश से

एसडी/

(एन.एन. पांडे)

प्रधान सचिव

31. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि 2014 के भर्ती नियमों के लागू होने पर झारखंड पुलिस मैनुअल के नियम 663 के प्रासंगिक प्रावधानों को स्वचालित रूप से हटा दिया जाएगा। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नियम 663 के तहत प्रावधान, जिसके तहत राज्य सरकार को दूसरी मेरिट सूची प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, को संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग करके बनाए गए नियमों के माध्यम से हटाया या हटाया नहीं जा सकता है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियम संविधान के अन्य प्रावधानों जैसे अनुच्छेद 14, 16, 310 और 311 के अनुरूप होने चाहिए, याचिकाकर्ताओं ने एक याचिका दायर की कि झारखंड पुलिस मैनुअल में नियम 663 (सी) के एक हिस्से को छोड़ने से उनके लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ और झारखंड सरकार द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसने कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए कट-ऑफ अंक निर्धारित किए। श्री आर.एन. सहाय, रिट याचिकाओं के पहले सेट में याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मुख्य परीक्षा से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह सबमिशन इस आधार पर है कि विज्ञापन में कोई भी शर्त झारखंड पुलिस मैनुअल में वैधानिक नियमों को लागू नहीं करती है और कांस्टेबलों की नियुक्ति के लिए उसका पालन नहीं किया जा सकता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने "मलिक मज़हर"¹⁸ का उल्लेख किया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सेवा में भर्ती केवल नियमों के अनुसार की जा सकती है और विज्ञापन में त्रुटि, यदि कोई हो, नियमों को ओवरराइड नहीं कर सकती है।

18 मलिक मज़हर सुल्तान बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग: (2006) 9 एससीसी 507

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा है कि 2014 के भर्ती नियमों को विधानसभा के समक्ष नहीं रखा गया था और इस कारण से झारखंड पुलिस मैनुअल के वॉल्यूम-1 के तहत मौजूदा वैधानिक नियमों को निरस्त भी नहीं किया जा सकता है। उनके बाद, श्री अभय कुमार मिश्रा, रिट याचिकाओं के तीसरे सेट में उपस्थित होने वाले विद्वान वकील ने तर्क दिया कि 2014 के भर्ती नियम भारत के संविधान के अधिकारातीत हैं क्योंकि नियम 3 के तहत कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा को उम्मीदवारों के नुकसान के लिए बदल दिया गया है और यह प्रावधान झारखंड पुलिस मैनुअल के नियम 663 (सी) का उल्लंघन करते हुए तैयार किया गया है।

32. न्यायालय का प्राथमिक कर्तव्य कानून की व्याख्या करना है, लेकिन अधिनिर्णय की प्रक्रिया में न्यायालय को विधायी या कार्यकारी इरादे और कानून की भावना में संघर्ष को हल करने के लिए कहा जा सकता है। कानून की रचनात्मक व्याख्या करना न्यायालय का कर्तव्य है। कार्यकारी इरादे को प्रकट उद्देश्य और उद्देश्य और कार्यपालिका के वास्तविक इरादे को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है जो अपनी योजना को लागू करना चाहता है। ऐसा करने में, न्यायालय को कभी-कभी एक कार्यात्मक दृष्टिकोण अपनाने और उसके तहत इस्तेमाल किए गए शब्दों और वाक्यांशों से परे और पीछे जाकर कार्यपालिका के इरादे को देखने की आवश्यकता हो सकती है ताकि कोई बेतुकापन या व्यावहारिक असुविधा उत्पन्न न हो।
33. यह अच्छी तरह से तय है कि यह नियोक्ता के लिए नियुक्ति के लिए योग्यता और अन्य मानदंडों का फैसला करने के लिए है। यह नियमों की वैधता को चुनौती देने का भी कोई आधार नहीं है कि उन पर बेहतर तरीके से खेती की जा सकती थी या नियुक्ति के लिए बेहतर नियम हो सकते थे। नियुक्ति के लिए नियम बनाना पूरी तरह से नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है और जब तक यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि इस प्रकार बनाए गए नियम संविधान या अन्य कानून में समानता खंड का उल्लंघन करते हैं, तब तक नियमों को वैध ठहराया जाना चाहिए। किसी उम्मीदवार को नियमों के तहत निर्धारित आयु आवश्यकता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है और कोई भी उम्मीदवार अधिकार के रूप में आयु में छूट नहीं मांग सकता है। आयु मानदंड और कट-ऑफ तिथि तय करना विशुद्ध रूप से प्रशासनिक या विधायी कार्य हैं और न्यायालय केवल इस

आधार पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है कि पिछले नियम उम्मीदवारों के लिए बेहतर अनुकूल हैं।

34. वर्गीकरण के आधार के रूप में तारीख की पसंद को हमेशा मनमाना नहीं कहा जा सकता है जब तक कि इसे मनमौजी या सनकी नहीं दिखाया जाता है; *जस्टिस होम्स*¹⁹ के शब्दों में - यह उचित निशान से बहुत दूर है। *"हैथिसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड"*²⁰ में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि वर्गीकरण किसी विशेष तारीख को किया जा सकता है और कोई अंतिम तारीख निर्धारित करना हमेशा मनमाना नहीं हो सकता है भले ही ऐसी तारीख के चयन के लिए कोई विशेष कारण सामने न आ रहा हो। कार्यकारी प्राधिकारी के दिमाग में जो विचार हो सकता है वह वित्तीय, प्रशासन या अन्य विचार हो सकता है और न्यायालय को न्यायिक संयम का प्रयोग करना चाहिए और *कट-ऑफ तिथि*²¹ तय करने के लिए आमतौर पर कार्यकारी प्राधिकरण को छोड़ देना चाहिए। *"एन. सुब्बारायडू"*²² में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया:

"7. कार्यकारी अधिकारियों के दिमाग में विभिन्न विचार हो सकते हैं जिसके कारण एक विशेष कट-ऑफ तिथि तय की गई है। ये विचार वित्तीय, प्रशासनिक या अन्य विचार हो सकते हैं। अदालत को न्यायिक संयम बरतना चाहिए और आमतौर पर कट-ऑफ तारीख तय करने के लिए इसे कार्यकारी अधिकारियों पर छोड़ देना चाहिए। सरकार को इस संबंध में कुछ छूट और स्वतंत्र खेल के साथ छोड़ दिया जाना चाहिए।

35. *"रामजी प्रसाद"*²² ने माना कि तारीख का चुनाव कई कारकों पर निर्भर करता है जैसे रिक्तियों की संख्या, पदों को भरने की आवश्यकता, उम्मीदवारों की उपलब्धता आदि। निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि का निर्धारण अधिकतम या न्यूनतम आयु नियम बनाने वाले प्राधिकरण या नियोक्ता के विवेक में है और यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि इस तरह की कट-ऑफ तिथि किसी भी गणितीय सटीकता

19 लुइसविले गैस कंपनी बनाम अलबामा पावर कं: 240 यूएस 30, 32 (1927)

20 हैथिसिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड भारत संघ: एआईआर 1960 एससी 923

21 आंध्र प्रदेश सरकार बनाम एन सुब्बारायडू: (2008) 14 एससीसी 702

22 बिहार राज्य बनाम रामजी प्रसाद: (1990) 3 एससीसी 36823

जिससे सभी बोधगम्य मामलों में कठिनाई से बचा जा सके। "अमी लाल भट्ट (डॉ)"²³ में के साथ या इस तरह से तय नहीं की जा सकती है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि किसी पद के लिए निर्धारित अधिकतम या न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करना मनमाना नहीं है। "अमी लाल भट्ट (डॉ)"²³ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय को निम्नानुसार स्पष्ट किया है:

"5. यह विवाद, हमारे विचार में, टिकाऊ नहीं है। पहली बात तो यह है कि किसी पद के लिए निर्धारित अधिकतम या न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करना अपने आप में मनमाना नहीं है। मूल रूप से, किसी पद के लिए आवश्यक अधिकतम या न्यूनतम आयु निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि तय करना, नियम बनाने वाले प्राधिकरण या नियोक्ता के विवेक में है, जैसा भी मामला हो। किसी को यह स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की कट-ऑफ तिथि किसी भी गणितीय सटीकता के साथ तय नहीं की जा सकती है और इस तरह से सभी बोधगम्य मामलों में कठिनाई से बचा जा सकता है। जैसे ही कट-ऑफ तिथि निर्धारित की जाती है, कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो कट-ऑफ तिथि के दाईं ओर आते हैं और कुछ व्यक्ति जो कट-ऑफ तिथि के गलत पक्ष पर आते हैं। यह कट-ऑफ तिथि, स्वतः, मनमाना नहीं बना सकता है जब तक कि कट-ऑफ तिथि निशान से इतनी चौड़ी न हो कि इसे पूरी तरह से अनुचित बना दिया जाए। यह विचार इस न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम परमेश्वरन मैच वर्क्स में व्यक्त किया गया था और बाद के मामलों में दोहराया गया है। आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम बी शरत चंद्र के मामले में, प्रासंगिक सेवा नियम ने निर्धारित किया कि उम्मीदवार को उस वर्ष के 1 जुलाई को 26 वर्ष की आयु पूरी नहीं करनी चाहिए जिसमें चयन किया गया है। इस तरह की कट-ऑफ तारीख को चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने चयन की प्रक्रिया में आवश्यक विभिन्न चरणों पर विचार किया और कहा, "जब चयन की प्रक्रिया में ऐसे अलग-अलग चरण होते हैं, तो नियुक्ति के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता की न्यूनतम या अधिकतम आयु को किसी भी उतार-चढ़ाव या अनिश्चित तारीख पर निर्भर करने की अनुमति नहीं दी

23 अमी लाल भट्ट (डॉ) वी। राजस्थान राज्य: (1997) 6 एससीसी 614

जा सकती है। यदि चयन के अंतिम चरण में देरी हो रही है और अधिक बार यह विभिन्न कारणों से होता है, तो उम्मीदवार जो आवेदन की तारीख पर पात्र हैं, वे बिना किसी गलती के अंतिम चरण में खुद को समाप्त कर सकते हैं। इसलिए, न्यूनतम या अधिकतम आयु प्राप्त करने की तारीख विशिष्ट होनी चाहिए और उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए और भर्ती एजेंसी के लिए आवेदनों की जांच करने के लिए एक विशेष तिथि के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए, इस न्यायालय ने माना कि किसी उम्मीदवार की न्यूनतम या अधिकतम आयु के संबंध में अनिश्चितता से बचने के लिए, जो तब उत्पन्न हो सकती है जब ऐसी आयु चयन की प्रक्रिया से जुड़ी हो जिसमें अनिश्चित समय लग सकता है, यह वांछनीय है कि ऐसी कट-ऑफ तिथि एक निश्चित तिथि के संदर्भ में होनी चाहिए। इसलिए, मनमानी करने से दूर, एक स्वतंत्र कट-ऑफ तिथि तय करना, अधिकतम आयु निर्धारित करने में निश्चितता के लिए बनाता है।

36. *"नायर सर्विस सोसाइटी"*²⁴ में जहां अधिकतम निर्धारित आयु सीमा 35 वर्ष तक कम कर दी गई थी, जो पहले 40 वर्ष थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निम्नानुसार आयोजित किया:

"37. उपर्युक्त श्रेणियों I, II और III को संबंधित व्यक्तियों द्वारा धारित स्थिति के आधार पर बाहर रखा गया है। श्रेणी IV श्रेणी VI में निर्दिष्ट आयु सीमा के अधीन है। हालांकि, हम इस स्तर पर यह कह सकते हैं कि हमें श्री वेणुगोपाल के इस निवेदन में कोई योग्यता नहीं मिलती है कि आयु-सीमा को 40 से घटाकर 35 करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन की तुलना में, आयु-सीमा को 40 के रूप में निर्धारित करना इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केरल राज्य में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष है, कानून में गलत है। (क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष है, की तुलना में यह आयु 60 वर्ष है।

37. यह तर्क देना भी उतना ही गलत है कि 2014 के भर्ती नियम नियम 663 (सी) के तहत प्रावधान को अधिक्रमित और छोड़ नहीं सकते हैं, इस हद तक कि यह प्रदान किया गया है कि दूसरी मेरिट सूची तैयार की जाएगी। दूसरी मेरिट सूची तैयार करने के

24 नायर सर्विस सोसाइटी v. केरल राज्य (2007) 4 एससीसी 1

प्रावधान को एक अनिवार्य प्रावधान नहीं माना जा सकता है जो झारखंड राज्य को रिक्त पदों को नहीं भरने पर अवर उम्मीदवारों का चयन करने के लिए बाध्य करेगा। नियोक्ता को निम्न स्तर के उम्मीदवारों या उन लोगों को नियुक्त करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है जो नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। 2014 के भर्ती नियमों के नियम 11 को चुनौती देने में कोई बल नहीं है जो यह प्रावधान करता है कि झारखंड पुलिस मैनुअल में संबंधित प्रावधानों को हटा दिया जाएगा। 2015 के विज्ञापन संख्या 4 और 2017 के विज्ञापन संख्या 8 के तहत की गई नियुक्तियों को चुनौती इस कारण से भी विफल हो जाएगी कि किसी उम्मीदवार के पास अधिकार के रूप में किसी पद पर नियुक्ति के लिए कोई अपरिहार्य दावा नहीं है।

38. स्पष्ट रूप से, न्यायालय को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायिक समीक्षा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। **न्यायमूर्ति जोसेफ मैककेना**²⁵ जो एक अमेरिकी राजनेता और संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के एसोसिएट जस्टिस थे, ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

“यह अन्यायपूर्ण और दमनकारी लग सकता है, फिर भी न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त हो सकता है। सरकार की समस्याएं व्यावहारिक हैं और उचित ठहरा सकती हैं, यदि उन्हें आवश्यकता नहीं है, तो किसी न किसी आवास, अतार्किक, यह हो सकता है, और अवैज्ञानिक है। लेकिन इस तरह की आलोचना भी जल्दबाजी में व्यक्त नहीं की जानी चाहिए। जो सबसे अच्छा है वह हमेशा समझ में नहीं आता है; किसी भी पसंद के ज्ञान पर विवाद या निंदा की जा सकती है। केवल सरकार की गलतियां हमारी न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं हैं। यह केवल इसकी मनमानी कवायद है जिसे शून्य घोषित किया जा सकता है।”

39. पूर्वगामी कारणों से, हम मानते हैं कि "झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियम, 2014" वैध हैं और इसके तहत प्रावधान मनमानेपन के दोष से ग्रस्त नहीं हैं। इन नियमों को पुलिस कांस्टेबलों के चयन और नियुक्ति के लिए वैध रूप से लागू किया जा रहा है। इसलिए हमें इन मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और परिणामस्वरूप, रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

25 मेट्रोपोलिस थियामर कंपनी वी। शिकागो शहर: 228 यूएस 61 (1913)

40. अन्तरवर्ती आवेदन, यदि कोई हो, तदनुसार निपटाया जाएगा।

(श्री चंद्रशेखर, ए.सी.जे.)

(अरुण कुमार राय, जे.)

(अरुण कुमार राय, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

दिनांक: 26 अप्रैल 2024

अमित/सुधीर/आर.के.

ए.एफ.आर.

अनुवादक : एडवोकेट मधु कुमारी